संयुक्त प्रान्तीय
समाचार पत्र उद्योग जांच समिति की रिपोर्ट.

विषय-सूची

परिशिष्ट

(क) (१) सदस्यों की सूची और उपस्थिति का विवरण
(पुनःनिर्माण के पूर्व)

(क) (२) सदस्यों की सूची और उपस्थिति का विवरण।
(पुनःनिर्माण के बाद)

(ख) प्रश्नावली

(ग) संयुक्त प्रान्तीय श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन, (लखनऊ) का उत्तर।

(घ) संयुक्त प्रान्तीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन का उत्तर।

(ङ) मौखिक गवाही देनेवाले सज्जनों की सूची।

(च) लाभप्रद जान बीमा योजना।
(जन्मभूमि कार्यालय, बम्बई की योजना)

(छ) मतभेद सूचक टिप्पणी।

---:ooo:---

संयुक्त प्रान्तीय समाचार पत्र उद्योग जांच समिति की रिपोर्ट

अध्याय १

प्रस्तावना

हम. संयुक्त प्रान्त के समाचार पत्र उद्योग के कार्यकर्ताओं की काम की हालत जांच करने के लिये नियुक्त कमेटी के नीचे हस्ताक्षर करने वाले सदस्य, अपनी रिपोर्ट ...र के सन्मुख उपस्थित करते हैं। हमारी कमेटी की नियुक्ति प्रान्तीय सरकार की ...न, १९४७ की विज्ञप्ति संख्या ६४२१।१९-१८४।४६ के अनुसार हुई थी।

समिति के विचाराधीन विषय ये थे :—

समस्त उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रान्त के समाचार पत्र उद्योग की सामान्य स्थिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए जांच करना :–

(क) प्रान्त के समाचार पत्रों के ...दकीय विभाग के कर्मचारियों की काम की सामान्य स्थिति, उनका वेतन, महंगाई का ..., छुट्टी, प्राविडेन्ट फंड आदि, तथा....

(ख) ऐसे तरीके जिनके द्वारा इस स्थिति में व्यवहारिक आवश्यक सुधार सम्भव किये जा सकें।

समिति का संगठन जब सर्व प्रथम हुआ था तब इसके निम्नलिखित सदस्य थे :—

१. श्री केशवदेव मालवीय, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी, मा... सचिव, सूचना विभाग।
२. श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव, सम्पादक सा...
३. „ एम्० चेलपतिराव, सम्प...
४. „ अनीस अहमद ...
५. „ जी...
६. „ अयूब कु...
७. „ मुहम्मद अशीर, ...
८. „ परमेश्वरीलाल गु...
९. „ हमीदुल अंसारी ...
१०. „ ज्योतिप्रसाद मि...
११. „ मुहम्मद अब्दुल ...

१२. श्री कमलापति त्रिपाठी, सम्पादक "संसार" बनारस।

१३. ,, हरिशंकर विद्यार्थी, सम्पादक, "प्रताप" कानपुर।

१४. ,, कृष्णचन्द्र शर्मा, प्रेस संवाददाता, झांसी।

१५. ,, महीपतराम नागर, सहायक सम्पादक "लीडर" इलाहाबाद।

१६. ,, विजयकुमार मिश्र, सम्पादक नेशनल प्रेस आव इंडिया, लखनऊ।

१७. ,, अमीन सलोनवी, सम्पादक इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस, लखनऊ।

,, मिदहत कामिल किदवई, डिप्टी डाइरेक्टर सूचना विभाग, युक्त सरकार ... ... मंत्री।

इस समिति की कुल दो बैठकें, ता० ४ जुलाई, १९४७ और ता० २ अगस्त, १९४७ को हुई। दूसरी बैठक में समिति की प्रश्नावली तैयार करने के लिये नियुक्त सर्व श्री महीपतराम नागर, जीवाराम पालीवाल, अनीस अहमद अब्बासी, और मंत्री श्री मिदहत कामिल किदवई की उपसमिति द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के आलेख पर विच हुआ और निर्णय हुआ कि चूंकि कई सदस्यों ने पद त्याग कर दिया है और कारण से समिति पुनः संगठित की जायगी, अतः प्रश्नावली पर विचार समि पुनः संगठित होने तक स्थगित रखा जाय।

इस बीच समिति के अन्य कई सदस्यों ने पदत्याग कर दिया और अध्यक्ष केशवदेव मालवीय प्रान्त के विकास और उद्योग विभाग के सचिव नियुक्त हुये। अतः ता० १० जनवरी, १९४८ की सरकारी विज्ञप्ति सं०१३९९४।१९१८४।४६ के अनुसार समिति का पुनः संगठन हुआ जिसमें निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किये गये:—

१. श्री चरणसिंह, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी, माननीय प्रधान सचिव, अध्यक्ष।

२. ,, जीवाराम पालीवाल सम्पादक "सैनिक" आगरा।

३. ,, ठा० श्रीनाथसिंह, सम्पादक "दीदी", अध्यक्ष यूनाइटेड राइटर्स ऐंड जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन, इलाहाबाद।

४. ...ल गुप्त, सहकारी सम्पादक "आज" बनारस।

... "निर्मल" सम्पादक "देशदूत" इलाहाबाद।

... ए०, सम्पादक "संसार" बनारस।

... कानपुर।

... पत्रिका" इलाहाबाद।

... डर" अध्यक्ष यू० पी०

... कत", लखनऊ।

... ना" बिजनौर।

... खनऊ।

... ऊ।

१४. श्री० राज बहादुर माथुर, प्रतिनिधि, 'नशनल हेरल्ड' लखनऊ।

१५. „ श्रीराम शर्मा, पत्रकार, बल्काबस्ती, आगरा।

१६. „ कृष्णचन्द्र शर्मा, प्रेस संवादवादा, झांसी।

१७. „ विजयकुमार मिश्र, सम्पादक नेशनल प्रेस आव इंडिया, लखनऊ।

१८. „ अमीन सलोनवी, सम्पादक इंडिपेन्डेन्ट न्यूज़ सर्विस, लखनऊ।

„ विद्या भास्कर, आफिसर इंचार्ज हिन्दी (पत्रकार) शाखा, सूचना विभाग युक्त प्रान्तीय सरकार... .. ..मंत्री।

ता० २२।६।४८ की सरकारी आज्ञा द्वारा श्री मकीन अहसन कलीम, "कौमी-आवाज" लखनऊ सदस्य नियुक्त किये गये।

पुनः संगठित समिति की पहली बैठक, जो वस्तुतः पुरानी समिति की तीसरी बैठक [illegible], १८ मार्च, १९४८ को हुई। इस बैठक में प्रश्नावली पर विचार हुआ और निश्चय [illegible] कि इसका उत्तर तथा इस विषय पर अन्य स्मृति पत्र आदि प्रेषित करने की [illegible] १ मई, १९४८ निश्चित की जाय। प्रान्त के लगभग ३ हजार समाचार पत्रों तथा [illegible] के नाम प्रश्नावली भेजी गयी। इनमें हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के सभी पत्र [illegible]निक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक आदि विभिन्न नियतकालिक पत्र और प्रूफरी-[illegible] कार्टूनिस्ट, अनुवादक, सहकारी सम्पादक, सम्पादक, आदि कर्मचारी पत्र संचालक और मालिक आदि थे। पत्रकार संस्थाओं के विशेष आग्रह से प्रश्नावली के उत्तर भेजने की तिथि १ मई, १९४८ से प्रथम बार १५ मई, १९४८, और बाद में ३१ मई, १९४८ कर दी गयी।

सर्वश्री श्रीनाथसिंह, राजबहादुर माथुर, और मकीन अहसन कलीम की उपसमिति ने, जिसकी नियुक्ति समिति की पिछली बैठक के निश्चय के अनुसार अध्यक्ष ने की थी, समिति के सन्मुख गवाही देने के लिये निमंत्रित किये जाने वाले सज्जनों की सूची तैयार की और तदनुसार मौखिक रूप से समिति के सन्मुख अपने विचार प्रकट करने के लिये पत्रकारों तथा समाचार पत्र उद्योग से सम्बन्धित अन्य सज्जनों को निमंत्रित किया गया। इसके बाद १७ से २२ अगस्त (१९ अगस्त को छोड़ कर), तक निमंत्रित सज्जनों की मौखिक गवाही ली गई। जिन सज्जनों [illegible] ने मौखिक गवाही दी उनकी सूची परिशिष्ट "ङ" में दी गयी है।

उक्त बैठकों के अन्तिम [illegible] ने एक प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार किया कि पूरी समिति को प्रान्त [illegible] का दौरा कर विवरण संग्रह करना चाहिये। इस प्रस्ताव प[illegible] सूचना देने के लिये समिति की बैठक ७ अक्तूबर, १९४८ को [illegible] बैठक में समिति ने एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा दौरे के सम्बन्ध के अपने [illegible] को रद्द किया तथा अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दिया कि वे समिति [illegible] का आलेख तैयार करने के लिये एक उप-समिति की नियुक्ति करें। तदनुस[illegible] ने सर्व श्री महीपतराम नागर, (अध्यक्ष), अनीस अहमद अब्बासी, जीवार[illegible] वाल, सत्येन्द्रनाथ सान्याल, और विद्या भास्कर (मंत्री) की उपसमिति की नियुक्[illegible]। इस उपसमिति की बैठकें क्रमशः १७।१०।४८,

२०।११।४८,४ और ५। १२ ४८, २९।१२।४८ और ३०।१२।४८, २८।२।४९ और १।३। ४९ को हुई और इसने मुख्य समिति के अध्यक्ष महोदय के पास १ मार्च, १९४८ को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी।

समिति को बहुत खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि उसको अपनी आशा के अनुरूप सामग्री उपलब्ध न हो सकी। समाचार पत्र सम्पादन कार्य में लगे हुये कर्मचारियों की हीन आर्थिक अवस्था तथा काम करने की शर्तों के मनमाना होने आदि की चर्चा तो बहुत सुनी जाती है; परन्तु इस सम्बन्ध में आँकड़े,तथ्य और लिखित विवरण अप्राप्य हैं। प्रान्तीय सरकार के अर्थ और आंकड़ा संग्रह विभाग ने भी सम्पा की आर्थिक स्थिति तथा (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स) आदि विवरण संग्रह करने प्रयत्न किया, परन्तु उसे भी सफलता नहीं मिली। शायद इसका कारण यह है कि यह उद्योग अब तक असंघटित रहा है। विशेष खेद की बात तो यह है कि जो संचाल और पत्रों के मालिक अपने कार्यालय से सम्बन्धित आंकड़े और विवरण प्रेषित कर सक थे, उन्होंने भी ऐसा करना किन्हीं कारणों से उचित नहीं समझा। फलतः इस प्रान्त प्रकाशित होने वाले कई प्रमुख अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू के पत्रों केसम्बन्ध में अर्थात् आमदनी और खर्च तथा उनके कार्यालय के कर्मचारियों के काम की हालत अ विषय में समिति को अपेक्षित रूप से पूरी जानकारी न हो सकी। कुछ प्रमुख प जो संचालक या उनके प्रतिनिधि समिति के सम्मुख मौखिक विवरण देने के लिये उप हुये थे। उनसे भी समिति को निराशा हुई; क्योंकि ऐसे सज्जनों ने भी पूरा विवरण नहीं दिया। साथ ही समिति को यह कहते संतोष होता है कि पत्रकारों की कई संस्थाओं तथा कुछ पत्र संचालकों ने समिति के साथ पूर्ण सहयोग दिया और उस जांचके कार्य को सरल करने में भरपूर सहायता दी।

समिति के सन्मुख लिखित विवरण, मौखिक गवाही तथा अन्य साधनों द्वारा जिन संस्थाओं, सज्जनों और पत्रकारों ने अपने विचार प्रकट किये या सुझाव उपस्थित किये उनके प्रति वह आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहती है। समिति युक्त प्रान्तीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (यूं० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट फेडेरेशन) और युक्त प्रान्तीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन की विशेष रूप से आभारी है।

समिति अपने भूतपूर्व अध्यक्ष मा...य श्री केशवदेव मालवीय और वर्तमान अध्यक्ष श्री चरण सिंह जी के प्रति हार्दिक ...ता प्रकट करती है। माननीय मालवीय जी के उद्योग से सर्व प्रथम इस समिति ...आ था और जब तक उन्होंने मंत्रिपद स्वीकार नहीं किया था तब त... सम्मुख उपस्थित समस्याओं में प्रत्यक्ष रूप से दिलचस्पी लेते र... कार्यकाल में वास्तव में समिति का मुख्य काम प्रारम्भ हुआ ...रख में समिति का संचालन और कार्य समाप्त हुआ। उनके सौम्य ...वहार तथा उदारचित्त नीति से समिति के सदस्यों को बहुत सहायता मि... श्रम के साथ उन्होंने पत्रकारों की समस्याओं का अध्ययन कर निमंत्रित ग... आदि किये वह सर्वथा प्रशंसनीय है। उन्होंने समिति के सदस्यों को पग प... रामर्श दिया तथा उनका मार्ग प्रदर्शन किया उसके लिये समिति उनके प्रति वि...प से कृतज्ञता प्रकट करती है।

साथ ही समिति श्री विद्या भास्कर के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करती है, जिन्होंने अत्यन्त लगन और योग्यता के साथ मंत्रिपद का कार्य निभाया है। उन्होंने जिस परिश्रम और अध्यवसाय के साथ समाचार पत्र उद्योग के विभिन्न अंगों की समस्याओं का अध्ययन कर रिपोर्ट का आलेख तैयार किया वह प्रशंसनीय है। श्री विद्या भास्कर के स्वयं प्रमुख पत्रकार होने के कारण उन्हें पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं का जो प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव है, उससे समिति को पूरा लाभ हुआ और उसका कार्य सरल हुआ। समिति अपने कार्यालय के कर्मचारी सर्व श्री टी० टी० वाधवानी, फूलबदन सिंह, एवं राज-[illegible]ण मिश्र के परिश्रम और लगन की भी सराहना करती है, जिससे समिति का कार्य [illegible] होने में सहायता मिली है।

अध्याय २

भारत के समाचार पत्रों के इतिहास पर एक दृष्टि

समाचार पत्रों के कार्यालयों के कर्मचारियों की आर्थिक अवस्था तथा समाचार पत्रों की सामान्य स्थिति की जांच के सिलसिले में समाचार पत्रों के इतिहास पर एक सरसरी नजर डाल लेना अनुचित न होगा। हमारे देश के समाचार पत्र और पत्र का इतिहास संघर्षमय रहा है। आज यह संघर्ष आर्थिक हो गया है, परन्तु प्रा इसका रूप मुख्यतः राजनीतिक रहा है। ब्रिटिश शासन काल से इस दे में आधुनिक प्रकार के समाचार पत्रों का इतिहास प्रारम्भ होता है। उसके पूर्व के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि मुगल बादशाह देश के विभिन्न प्रान्तों सरकारी कर्मचारियों से जनता की हलचलों के तथा गुप्त समाचार संग्रह करते थे औरंगजेब के जमाने में खबरों के परचों तथा पुस्तिकाओं के प्रचलन तथा प्रसार होने बात कही जाती है। ब्रिटिशकाल के प्रारम्भ में पत्रों का प्रकाशन और सम्पादन विदेशियों द्वारा ही होता था। पहला पत्र अंग्रेजी का "हिक्कीज बंगाल गजट औ कत्ता जनरल एडवरटाइजर" था, जो २९ जनवरी, १७८० को कलकत्ते से निकल. दो हजार रूपयों की पूंजी से प्रारम्भ किया गया दो पृष्ठों का यह पत्र भी सर कोप का भाजन हुये बिना न रहा और उस पर वारेन हेस्टिंग्स के काल में प्रतिबन्धा-त्मक आदेश लगे। इस घटना को पत्रों और सरकार के संघर्ष का श्रीगणेश कहा जाता है। ज्यों ज्यों यह दमन नीति बढ़ती गयी त्यों त्यों पत्रों की संख्या, प्रचार और विस्तार भी बढ़ता गया। सन् १७९८ में लार्ड वेलेजली ने समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध के जो कई आदेश निकाले उनमें एक यह भी था कि रविवार को कोई पत्र प्रकाशित न हो। कदाचित् इसका उद्देश्य समाचार पत्रों के कर्मचारियों को साप्ताहिक आराम देना नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारियों को विश्राम देना था। इस युग में पत्रकारों की मांग पत्रों की मांग से कुछ पृथक नहीं थी। भारतीय पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जब सर चार्ल्स मेटकाफ से, जो भारतीय पत्रों को स्वातंत्र्य दान देने वाले कहे जाते हैं, भेंट की तब उनसे देशी पत्रों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गयी। मेटकाफ़ ने सहा-नुभूति के ज़ो शब्द कहे और जो वचन दिये उसका पालन उनके बाद ब्रिटिश शासन काल में किस प्रकार हुआ यह सर्व विदित है। यह हमारा विचाराधीन विषय भी नहीं है। ब्रिटिश सरकार की दुर्नीति के फलस्वरूप देशी समाचार पत्रों के विशेषकर देशभक्त हिन्दुस्तानियों द्वारा संचालित अंग्रेजी समाचार पत्रों के युग का उदय हुआ। मद्रास का "हिन्दू" और कलकत्ते के "अमृत बाजार पत्रिका" के संचालकों और सम्पादकों ने अंग्रेज पत्रकारों तथा अधिकारियों को अपनी योग्यता और निपुणता से प्रभावित एवं विस्मित किया। जिस समय लार्ड लिटन ने भारतीय स्वामीत्व के या देशी भाषा के समाचार पत्रों को कुचलने का विचार किया, उस [illegible] भारत के कुल समाचार पत्रों की संख्या १७० के लगभग थी। किसी पत्र [illegible] ० से अधिक प्रतियां नहीं छपता थीं और यह अन्दाज लगाया गया था कि १ [illegible] क समाचार पत्रों से लाभ उठाते

थे। सन् १८७८ का वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट लार्ड लिटन की कृति थी। इसीका मुंहतोड़ जवाब देने के लिये बंगला भाषा का "अमृत बाजार पत्रिका" एक ही रात में अंग्रेजी भाषा की पत्रिका हो गयी। लार्ड रिपन द्वारा इस ऐक्ट का वापस लिया जाना उस समय की राष्ट्रीय जागृति की विजय का द्योतक है। इसी काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और तब से भारत के समाचार पत्रों का इतिहास कांग्रेस के इतिहास से सम्बद्ध है। बाद में सरकार की ओर से जो हमले पत्रों पर हुये उनमें अफिशियल सिक्रेट्स [illegible] न्यूज पेपर्स् ऐक्ट और सन् १९१० का प्रेस ऐक्ट उल्लेखनीय हैं। प्रथम संसार-[illegible] महायुद्ध में असहयोग आन्दोलन के जमाने में और उसके बाद सन् १९३०-३२ [illegible]ाधीनता संग्राम में तथा अन्त में द्वितीय महायुद्ध के समय सन् १९३९ से १९४५ तक जिन काले कानूनों के द्वारा पत्रों का गला घोंटा गया था, उनकी स्मृति ताजी है। [illegible]न सब संघर्षों में समाचार पत्रों ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की जैसी रक्षा की [illegible]सका ही परिणाम है कि आज भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में समाचार प्रत्रों का प्रमुख [illegible]ग होना स्वीकार किया जाता है।

[illegible] प्रारम्भ में कलकत्ता ही समाचार पत्रों का जन्मस्थल और केन्द्र था। वहां [illegible] के पत्र तो निकलते ही थे, हिन्दी, बंगला, फारसी और उर्दू के पत्र भी वहीं से [illegible]हले निकले। हिन्दी का प्रथम पत्र "उदन्त मार्तन्ड" भी वहीं से सन् १८२६ ई० [illegible]०वीं मई को निकला। युक्तप्रान्त में भी पत्रों के प्रकाशन में क्रमागत अभिवृद्धि [illegible]शः उसी प्रकार हुई। यहां भी प्रथम अंग्रेजी पत्र "पायनियर" का प्रारम्भ अंग्रेजों के हाथों हुआ। युक्तप्रान्त का सर्व प्रथम हिन्दी दैनिक पत्र "हिन्दुस्तान" था, जो सन् १८८५ में पूज्य पंडित मदनमोहन मालवीय के सम्पादकत्व में निकला। इसके संचालक कालाकांकर के राजा रामपालसिंह थे। युक्तप्रान्त की जनता में राजनीतिक या सामाजिक अथवा साहित्यिक चेतना उत्पन्न करने के लिये जिन महानुभावों ने अकथ परिश्रम और अर्थव्यय से समाचार पत्र निकाले उनमें से कुछ ये हैं। इनका नाम पत्रों के इतिहास में श्रद्धापूर्वक लिया जायगा :—

राजा शिवप्रसाद "सितारे हिन्द," गोविन्द रघुनाथ थत्थे, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, सर सी० वाई० चिन्तामणि, डाक्टर सच्चिदानन्द सिनहा, पंडित मोतीलाल नेहरू, शिवप्रसाद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, नौबतराय, मुंशी सज्जाद हुशेन, नियाज फतेहपुरी, दयानारायण निगम, और जानिब देहलवी।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, हमारे देश के समाचार पत्रों का आरम्भिक और आधुनिक इतिहास राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक चेतना के इतिहास से मिलाजुला है। समाचार पत्रों और उसके सम्पादकों एवं संचालकों ने अपने राजनीतिक विचारों के कारण कठिन से कठिन यातनायें सहीं, बड़ा से बड़ा त्याग किया। चूंकि युक्तप्रान्त उर्दू और हिन्दी दोनों का केन्द्र रहा है, इसलिये यहीं के सम्पादकों को अपने समाचार पत्रों के द्वारा भाषा संस्कार सम्बन्धी काम अधिकतर करना पड़ा है।

विदेशों [illegible]ी स्थिति से तुलना।

आजकल हमारे प्रान्त में [illegible]ग ९३३ पत्र निकलते हैं। निम्नलिखित तालिका में उनका भाषावार विभाजन किय[illegible]या है :—

हिन्दी ५०३, उर्दू २६२, अंग्रेजी १४३, त्रैभाषीय १०, संस्कृत ६, बंगाली ४, गुजराती १, नैपाली १, गुरुमुखी १, मराठी १, गौर अरबी १। इन ९३३ पत्रों के के कर्मचारियों की संख्या तथा उनको मिलने वाले पारिश्रमिक एवं उनके घरेलू खर्च के आंकड़े इत्यादि प्राप्त कर सकना बहुत कठिन है, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि लगभग १००० पत्रों में हजारों आदमी काम करते हैं और उनकी स्थिति अन्य तत्सम व्यवसाय के कर्मचारियों की तुलना में अच्छी नहीं है। हमारे प्रान्त की अधिकांश जनता निरक्षर है। इस स्थिति में पत्रों कीं वितरण संख्या अधिक नहीं हो स[illegible] यह कहना अनुचित न होगा कि इन पत्रों की स्थिति में सुधार की बहुत अ[illegible] और तब तक यह सुधार सम्भव नहीं, जब तक उसके कर्मचारियों की स्थिति [illegible] वांछनीय सुधार नहीं हो जाता। यह भी कहना चाहिये कि हमारे प्रान्त के पत्रों की शैशवावस्था है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस प्रान्त के हिन्दी पत्रों की संख्या में ज[illegible] वृद्धि हुई है उससे पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। हमारे प्रान्त के पत्रों [illegible] प्रायः वही दशा है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पत्रों की दशा आज से लगभग [illegible] सौ साल पूर्व थी। "ग्रोथ आफ न्यूज पेपर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स" नामक पुस्त[illegible] श्री डब्ल्यू० एस० डिल लिखते हैं. . . "सवा सौ वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका [illegible] समाचार पत्र की वितरण संख्या १००० प्रतियों से अधिक नहीं थी। बहुत क[illegible] की ६०० से अधिक प्रतियां छपती थीं। गृहयुद्ध के समय तीन करोड़ प्रन्द्रह लाख [illegible] आवादी के देश में मुश्किल से ४०० दैनिक पत्र थे।" संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प[illegible] की वर्तमान स्थिति को देखते हुये यह कल्पना करना भी कठिन है कि कभी वहां ऐसी गिरी हालत रही होगी। सन् १९३१ में वहां के दैनिक पत्रों की संख्या २३९२ थी और सभी अखवारों की अनुमानतः ४ करोड़ ५० लाख प्रतियां छपती और बिकती थीं। इसी अनुपात में पत्रों की आमदनी में भी वृद्धि हुई है। इंगलैंड में केवल लन्दन के पत्रों के वितरण के सम्बन्ध में हाल में यह आँकड़े मिलते हैं :—

"प्रातःकाल के समाचार पत्र १ करोड़ ५५ लाख ७४ हजार ९७८, सायंकालीन समाचार पत्र ३४ लाख ९० हजार ६०६ प्रतिदिन और रविवार के समाचार पत्र २ करोड़ ३३ लाख ४४ हजार ७७७ प्रतियां। कुल ४ करोड़ प्रतियों से ऊपर।

इन आंकड़ों को उपस्थित करने में समिति का अभिप्राय अमेरिका और इंगलैंड की स्थिति से हमारे देश की स्थिति की तुलना करना नहीं है। आज हमारे देश के पत्रों की जो स्थिति है वह २८ वर्ष पहले नहीं थी। आगामी २० वर्षों में यही स्थिति नहीं बनी रहेगी। समिति यह विवरण केवल इस दृष्टि से यहां उपस्थित करती है जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि समाचार पत्रों को स्वतंत्र वातावरण और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर उनके पनपने में विलम्ब नहीं होता। आवश्यकता इस बात की है कि आज की स्थिति से निराश न होकर समाचार पत्रों के उज्वल भविष्य की आशा से उसके कर्मचारियों की हालत में सुधार करने का प्रयत्न शुरू कर दिया जाय।

पत्रकारों की वर्तमान [illegible]र्थिक अवस्था

समाचार पत्रों मे काम करने वाले स[illegible]कीय विभाग के कर्मचारियों की वर्तमान आथिक अवस्था की चर्चा यहां करना अ[illegible]क्त न होगा, क्योंकि इससे उनकी

आर्थिक समस्याओं तथा माँगों का औचित्य समझने में सरलता होगी। वर्तमान अवस्था से अभिप्राय सन् १९३७ से १९४८ तक की अवधि से है, क्योंकि इस उद्योग के जीवन का यही सब से महत्त्वपूर्ण काल है।

समिति को खेद है कि इस सम्बन्ध के जैसे आवश्यक आंकड़े चाहिये थे वैसे प्राप्त न हो सके। समिति ने इस सम्बन्ध में पत्र संचालकों से निम्नलिखित दो प्रश्न किये थे :--

(१) सन् १९३८ ई० या युद्ध के पूर्व उससे सन्निकट वर्ष में तथा सन् १९४७ ई० में अपने कर्मचारियों के मुख्य वर्गों की दैनिक और मासिक औसत आमदनी बतलाइये। यदि दैनिक या मासिक आमदनी में मौलिक वेतन के अतिरिक्त उनको दिया गया अन्य रूपया भी सम्मिलित है, महंगाई भत्ता और बोनस को छोड़ कर, जिसका उल्लेख आगे किया गया है, तो इस प्रकार दी गई रकमों का अलग उल्लेख होना चाहिये।

(२) आपके पत्र में कितनी पूंजी लगी हुई है और सन् १९३८ ई० से सन् १९४७ ई० तक प्रतिवर्ष कितना कितना लाभ हुआ? इसके साथ कम से कम से कम निम्नलिखित सूचना दीजिये......

(क) कितनी लागत पूंजी, पेडअप कैपिटल और (डिबेंचर्स और अन्य)

(ख) यंत्रों आदि का ह्रास (डिप्रिसियेशन) और वृद्धि।

(ग) विभिन्न सुरक्षित पूंजियो का स्थानान्तरण।

(घ) डाइरेक्टरों की फीस तथा एजेंसी कमीशन।

(ङ) टैक्स में दी गयी रकम। इसमें एक्सेस प्राफिट टैक्स के रूप में दी गयी रकम को अलग से दिखलाइयें।

(च) विभिन्न श्रेणियों के हिस्सों पर अदा किया गया मुनाफा (डिविडेन्ड)

(छ) एक्सेस प्राफिट टैक्स की वह सुरक्षित पूंजी, जो आप गवर्नमेन्ट से वापस पाने के अधिकारी हैं।

बहुत ही कम पत्र संचालकों ने ये आंकड़े उपस्थित किये हैं। दूसरी ओर यद्यपि कर्मचारियों ने अपने वेतन तथा दूसरे प्रकार के आय का व्योरा दिया है, तथापि वास्तविक आवश्यकता अथवा घरेलू खर्च का विवरण जिनकी बुनियाद पर उनकी आर्थिक अवस्था का अनुमान लगाया जा सके, अप्राप्य रहा। प्रान्तीय सरकार के अर्थ और आंकड़ा संग्रह विभाग ने जहां विभिन्न वर्गों के वेतनभोगी कर्मचारियों के घरेलू खर्च का विवरण प्राप्त किया है, वहां उसने समाचार पत्रों के सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों के घरेलू खर्च का भी विवरण प्राप्त करने का प्रयत्न किया। परन्तु हमारी समिति के पूछताछ करने पर उत्तर मिला कि सम्पादकीय वर्ग से आंकड़े संग्रह करना कठिन रहा है, क्योंकि प्रश्नावली के उत्तर नहीं मिले हैं। फिर भी लिखित विवरणों, मौखिक गवाहियों तथा समिति के सदस्यों के निजी अनुभव के आधार पर समिति ने यह अनुभव किया है कि लड़ाई के पूर्व सन् १९३७, १९३८ में पूर्ण समय देकर काम करने वाले हिन्दी के उप-

सम्पादकों और सहायक सम्पादकों को प्रायः ३० रूपये से ४० रूपये मासिक तक मिलते थे। अंग्रेजी और उर्दू दोनों के समाचार पत्रों के उप सम्पादकों को प्रायः ४० रूपये से ५० रूपये मासिक तक मिलते थे। किन्तु अब सन् १९४७,४८ में हिन्दी के समाचार पत्रों के सहायक और उप सम्पादकों को प्राय १०० रूपये से १२५ रूपये मासिक तक, उर्दू के सहायक और उप सम्पादकों को ७५ रूपये से १०० रूपये मासिक तक, और अंग्रेजी के सहायक और उप सम्पादकों को प्रायः १२५ रूपये से २०० रूपये मासिक तक मिलते हैं।

अखबारों में काम करने वालों की समस्या केवल वेतन की समस्या नहीं मानसिक श्रम के साथ इस वर्ग को शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। ये दोनों के श्रम कम नहीं हैं। यदि केवल मानसिक श्रम या केवल शारीरिक श्रम करना पड़ता या दोनों का संयोग एक ही काल में न होता तो कष्ट कम होता। यहां अधिक समय तक मानसिक श्रम करने के साथ साथ समाचार पत्र की मुद्रण व्यवस्था की देखरेख तथा उससे सम्बन्धित शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है।

लिखित और मौखिक गवाहियों में इन सब अवस्थाओं के जो वर्णन किये गये उनका सारांश इस प्रकार है :—

ड्यूटी के घंटे अनिश्चित होते हैं और इनसे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़त रात की ड्यूटी सब को खलती है, पर समाचार पत्रों के कर्मचारियों को आवश्यक सु धाओं से वंचित रहने के कारण उन्हें इसमें असाधारण कष्ट होता है। अखबारों के दफ्तरों में काम करने वालों के लिये उन अपेक्षित सुविधाओं का नितान्त अभाव है, जो कर्मचारियों को मन लगा कर काम करने के लिये आवश्यक हैं। कोई स्टैन्डर्ड नियम लागू नहीं है। कहीं रात में ८ घंटे काम लिया जाता है, कहीं ९ या १० घंटे। रात की ड्यूटी का औसत ७ घंटे से कम नहीं है। रात में कर्मचारियों की संख्या की पर्याप्तता का ध्यान किये बिना ही एक या दो व्यक्तियों पर ही बोझ लाद दिया जाता है। रात की ड्यूटी कहीं २ एक हफ्ते से ज्यादा भी रखी जाती है। कई गवाहों ने यह बयान दिया कि उन्हें महीनों रात की ड्यूटी देनी पड़ती है। रात की ड्यूटी जिस दिन खत्म होती है उसी दिन दिन की ड्यूटी देने की ज्यादती भी एक आध स्थानों में की गयी है। राम में काम करके दफ्तर में ही सो रहने की सुविधा शायद किसी पत्र में नहीं दी जाती। जाड़े में तापने या गर्मी में पानी पिलाने की व्यवस्था भी प्रायः नहीं रहती। दिन में काम के घंटों के विषय में भी मनमानी है। ८ से १० घंटा तक काम लेना तो साधारण बात है। छुट्टी देने के निश्चित नियम नहीं है। किसी कार्यालय में भले ही कुछ उदारता हो परन्तु अधिकांश पत्रों में संकीर्णता से ही काम लिया जाता है। जब से सप्ताह में सातों दिन अखबार निकालने की प्रथा चली है, तब से तो इस दिशा में और भी अधिक धांधली हो गयी है। दफ्तरों की हालत बहुत खराब है। कुछ मकान तो बहुत पुराने है, कुछ खपरैल के हैं। सीलन, तपन या गन्दगी आदि का कष्ट समाचार पत्रों में काम करने वालों के लिये असह्य नहीं समझा जाता। मूत्रालय और शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं है। फैक्टरी ऐक्ट का इंसपेक्टर इन सब बातों की जांच फैक्टरी में काम करने वालों के लिये करता है, पर किसी पत्र के

मध्यम श्रेणी के सम्पादकीय और व्यवस्था विभाग में काम करने वालों की असुविधाओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ये सब कमियां कम पूंजी से चलाये गये पत्रों में हों, सो बात नहीं। सम्पन्न पत्रों की भी यही दशा है। प्राविडेन्ट फन्ड, बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस इत्यादि का कोई प्रबन्ध नहीं है। बहुत कम संस्थाओं में प्राविडेन्ट फन्ड दिया जाता है। बीमे की व्यवस्था कहीं नहीं है। बोनस कुछ ही अखबारों में (युद्धकाल) में दिये गये थे, सो भी अतिरिक्त लाभ कर से बचने के लिये। प्रायः सभी गवाहों ने यह मत ... है कि सन् १९३७ से ४८ तक की अवधि में पत्र स्वामियोंका लाभ पंच गुना ... है, परन्तु कर्मचारियों का वेतन कठिनता से तिगुन के लगभग हो पाया है ...की सुविधाओं पर कदाचित ही कोई ध्यान दिया गया है। पदवृद्धि और वेतनवृद्धि ... कोई नियम नहीं है। नौकरी की सुरक्षा नहीं है। संवाददाताओं की दशा तो और ...ी बुरी है।

पत्रकारों की मांग और उनकी अधीरता

यद्यपि देश सेवा के निमित्त और पत्रकारिता के व्यवसाय तथा पत्रकार कला ...ति के लिये पत्रकारों ने दीर्घकाल से त्याग और तप किया है और अपनी ... स्थिति सुधारने की कुछ भी चेष्टा नहीं की तथापि एक समय ऐसा भी आया ...न्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिये सक्रिय उद्योग करना पड़ा। यह परिस्थिति ... १९३९, ४० के लगभग उत्पन्न हुई।

उस समय से अब तक प्रायः सभी वर्गों के पत्रकारों की यह मांग रही है कि उनकी आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए पत्र संचालक तथा विभिन्न सरकारें सचेष्ट हों। प्रायः सब प्रान्तों और सभी भाषाओं के पत्रकारसम्मेलनों तथा समारोहों द्वारा जो मांगें प्रस्तुत की जाती थीं उनमें मुख्य रूप से पत्रकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर विशेष जोर दिया जाता था। प्रायः सभी प्रमुख पत्रकार इस विषय में अपने विचार कुछ न कुछ रखते थे, और जब कभी उन्हें इस विषय में अपना मत व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता था तब वे पत्रकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में अपना सुझाव देते थे। प्रथम भारतीय पत्रकार सम्मेलन, जर्नलिस्ट कान्फ्रेंस, के अध्यक्ष श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने भी अपने भाषण में इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे। प्रमुख पत्रकार अन्य पत्रकारों से यह अनुरोध करते थे कि वे संगठित होकर पत्र उद्योगपतियों से अपनी माँगें मंजूर करा लें और सरकारों की सहानुभूति प्राप्त करने की चेष्टा करें। पत्रकारों के कुछ अन्य नेता समाचार पत्र उद्योगपतियों से यह आग्रह करते थे कि उन्हें समय को देखते हुए और पत्रकारों की आर्थिक अवस्था का ध्यान रखते हुये उनके प्रति तनिक उदारता का व्यवहार करना चाहिये। १९४३,४४ में अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन को भी इस सम्बन्ध में अपना निश्चय प्रकट करना पड़ा। यद्यपि यह संस्था सामान्य पत्रकारों की नहीं, बल्कि पत्रों के मालिकों और सम्पादकों की है, तथापि इसमें सम्पादक रूप से प्रविष्ट पत्रकारों की मांग की उपेक्षा करना इसके लिये सम्भव न हो सका। फलतः अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन ने एक समिति नियुक्त की, जिसके संयोजक "ट्रिब्यून" के तत्कालीन

सम्पादक श्री एम० सुब्रह्मण्यम् थे। इस समिति ने देश भर के पत्रकारों की स्थिति के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की तथा अपना निश्चय प्रकट करने के पूर्व ईस्टर्न ऐन्ड इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी (जो पत्र संचालकों और पत्र उद्योगपतियों की संस्था है) से इस विषय में परामर्श किया और समाचार पत्रों के सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों के लिये न्यूनतम प्रारम्भिक वेतन की सिफारिश की। उस समिति की सिफारिश थी कि न्यूनतम आधारभूत वेतन अंग्रेजों के पत्रों के लिए १०० रूपये और देशी भाषा के पत्रों के लिए ७५ रूपये मासिक हो। उपसमिति की यह रिपोर्ट सम्पादक सम्मेलन की स्थायी समिति के सामने उपस्थित हुई और इस पर विचार करने के बाद स्थायी समिति निर्णय किया कि इस दर से वेतन देना पत्र संचालकों की इच्छा पर निर्भर होगा पर कोई बन्धन न होगा। इस निर्णय से पत्रकारों को सन्तोष नहीं हुआ। उनके विचार से इस सिफारिश के मैंडेटरी (बाध्यकारी) न होने के कारण उपसमिति का परिश्रम तथा उनकी सिफारिशों का मूल्य शून्यप्राय हो गया । लेकिन अखिल भारती समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन उससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता था। क्यों सम्मेलन के उद्देश्यों के ,अनुसार वह अपना कार्य क्षेत्र समाचार पत्रों की उन्नति तक सीमित रख सकता था। समाचार पत्रों में काम करने वालों की उन्नति से उसका न था। यह बात भी थी कि समाचार पत्र इन्हीं उद्देश्यों के कारण सम्पादक सम्मे सम्मिलित हुए थे। और यदि सम्मेलन अपने उद्देश्य के बाहर सम्पादन कार्य करने व्यक्तियों के सम्बन्ध में अलग कुछ निर्णय करता तो उसके पास कोई ऐसा अधिकार था जिससे वह अपने सदस्यों को किसी प्रकार बाध्य कर सकता। यद्यपि अखिल भारतीय रूप से सम्पादक सम्मेलन का यह उद्योग सराहनीय हुआ और उसकी ओर पत्रकारों का ध्यान भी गया, तथापि इससे पत्रकारों को यह संतोष न हुआ कि सम्पादक सम्मेलन ने उनकी स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में इससे आगे कोई कदम उठाया । इसमें एक और बड़ी कमी यह भी थी कि सम्मेलन की उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार देशी भाषा के समाचार पत्रों के सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों का आधारभूत प्रारम्भिक वेतन अंग्रेजी समाचार पत्रों के सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों के आधारभूत प्रारम्भिक वेतन से कम निश्चित किया गया था। भारतीय भाषा के पत्र सम्पादकों को स्वभावतः इससे बहुत क्षोभ हुआ। यह भी ध्यान रखने की बात है कि अखिल भारतीय रूप से सम्पादक सम्मेलन का इस समस्या को सुलझाने के लिए यह प्रथम तथा अन्तिम प्रयत्न था।

परिणामतः देश भर के समाचार पत्रों के सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों ने अपना पृथक संगठन करने की आवश्यकता अनुभव की। मद्रास प्रान्त में सदर्न इंडिया ज़र्नलिस्ट फेडरेशन (दक्षिण भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ) की स्थापना हुई। इसके बाद मद्रास के अन्य भाषाभाषी प्रान्तों में भी श्रमजीवी पत्रकारों की अलग अलग संस्थायें कायम हुई। युक्तप्रान्त में भी प्रायः इसी समय यह प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर हुई। यू० पी० प्रेस कान्फ्रेंस ने अपने द्वितीय अधिवेशन में जो इलाहाबाद में सन् १९४४ में हुआ था यह निश्चय किया था कि श्रमजीवी पत्रकारों का वेतन बढ़ाया जाय। अपने तृतीय अधिवेशन में यू० पी० प्रेस कान्फ्रेंस ने युक्त प्रान्तीय सरकार से यह अनुरोध किया कि वह समाचार पत्र उद्योग जांच समिति नियुक्त करे। अखिल भारतीय और युक्त

प्रान्तीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलनों ने भी अपने प्रस्तावों द्वारा पत्रकारों की आर्थिक सुधार के सम्बन्ध में माँगें पेश कीं। श्री जयदेव गुप्त के संयोजकत्व में नियुक्त युक्त प्रान्तीय हिन्दी पत्रकार संघ की एक उपसमिति ने भी जांच पड़ताल के बाद श्रमजीवी पत्रकारों के आधारभूत प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण किया। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रान्त, महाकौशल, आदि प्रायः सभी प्रान्तों और भाषाओं के समाचार पत्रों के सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों ने किसी न किसी रूप में संगठित हो कर ये माँगें उपस्थित [illegible] युक्त प्रान्तीय सरकार ने जब सब से पहले वर्तमान जांच समिति को संगठित [illegible]ा निश्चय प्रकट किया तब उसका स्वागत सोत्साह किया गया।

समाचार पत्र व्यवसाय उद्योग है

जिस अर्थ में अन्य व्यवसाय उद्योग माने जाते हैं, उसी अर्थ में समाचार पत्रों के [illegible]काशन और संचालन को भी उद्योग स्वीकार करने के लिये यदि किसी प्रमाण की [illegible]वश्यकता हो तो समाचार पत्रों के सम्पादकीय विभाग के वेतनभोगी कर्मचारियों की [illegible]क्त अधीरता इसके लिये पर्याप्त है। अन्य उद्योगों और व्यवसायों में कर्मचारियों के [illegible] के फलस्वरूप उनमें जो अधीरता और अशान्ति रहती है वही अधीरता और [illegible] समाचार पत्रों के कर्मचारियों में भी है। अन्तर इतना ही है कि अब तक खुल [illegible]व्यापक रूप से संघर्ष नहीं हुआ है, यद्यपि संघर्ष की चर्चा चतुर्दिक सुनाई पड़ने लगी है। समाचारपत्रों के सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों की आर्थिक दुरवस्था के कारण उनमें आजकल जो अधीरता है उसका स्वरूप हम उस भाषण में पाते हैं जो युक्तप्रान्तीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन के मेरठ अधिवेशन (दिसम्बर १९४८) के सभापति श्री पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' ने किया था। उन्होंने समाचार पत्रों के पूंजीपति मालिकों की उग्र भाषा में भर्त्सना करने के बाद पत्रकारों को यह सलाह दी कि वे अपने संगठन को इतना मजबूत करें कि समाचार पत्रों के प्रकाशन का काम स्वयं पत्रकार संघ करने लग जाय। संघर्ष के लिए पत्रकारों का आवाहन करते हुए उन्होंने यह परामर्श दिया कि वे "७ दिनतक अपने कार्यालय रूपी तेलीखाने से बाहर रहें। ७ दिनतक प्रान्त में पत्रों के नाम पर एक पर्चा भी न निकलने दें और जनता और सरकार को समझा दें कि वह विचारकों की अदालतों और जजों की मन्डली को पतित पूंजीपतियों के हाथों बिकने से बचावे।"

इक्के दुक्के पत्रकार पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के शोषण के शिकार होते हैं, उनके प्रति सामूहिक रूप से पत्रकारों की सहानुभूति रहती है और वे सक्रिय रूप से कुछ न कुछ करने की इच्छा रखते हैं। खुल कर संघर्ष नहीं होता जिसके कई कारण हैं। उनमें मुख्य कारण युक्त प्रान्तीय सरकार द्वारा वर्तमान जांच समिति की नियुक्ति की घोषणा, तथा लोकप्रिय राष्ट्रीय सरकार के प्रति पत्रकारों की आस्था के कारण उसे परेशान न करने की इच्छा रही है। यह कहना अनुचित न होगा कि जांच समिति का संघटन संघर्ष टालने में बहुत सहायक हुआ है। संघर्ष न होने देने का श्रेय पूंजीपति पत्र संचालकों को नहीं मिल सकता। समाचार पत्रों के प्रकाशन से अधिकाधिक आर्थिक लाभ उठाने की उनकी प्रवृत्ति कपड़ा, जूट, शक्कर इत्यादि के व्यवसायी पूंजीपतियों की

अपेक्षा कुछ कम नहीं है। युद्ध के पूर्व जो पत्रकारिता किसी न किसी रूप में सेवाकार्य मानी जाती थी वह युद्धकालमें वैसी न रह सकी। अन्य व्यवसायिक साधनों की तरह पत्र संचालन का कार्य भी आर्थिक लाभ उठाने का साधन बन गया है। युद्धकाल में अखबारों की मांग बेहद बढ़ने लगी। नये पत्र भी बहुत निकलने लगे। अधिक सम्पन्न मालिकों ने और अधिक लाभ उठाने की नीयत से अखबारी कागज संग्रह करना शुरू किया। ऐसे व्यापारियों के लिये अपने अखबारों के कई संस्करण निकालना या पृष्ठ संख्या मनमानी घटा देना आसान हो गया। विज्ञापन के रेट भी उन्होंने मनमाने लिये। एक एक संचालक ने कई कई पत्र निकालने शुरू किये। इन सब कार्यों फूंजीवाले पत्र संचालकों की कठिनाई बढ़ी और उनकी हालत खराब होने लगी। को हस्तक्षेप कर के अखबारी कागजों के मूल्य, उनके उपयोग, नये पत्रों के प्रकाशन, पत्रों की पृष्ठ संख्या तथा कीमत इत्यादि पर नियंत्रण करना पड़ा। इस प्रकार नियंत्रणों से यही सिद्ध होता है कि अन्य उद्योग व्यवसाओं की श्रेणी में सरकार ने प उद्योग को भी रख लिया। अन्य उद्योगपतियों की तरह समाचार पत्र संचालकों ने ये नियंत्रण स्वीकार किये। उन्होंने इस व्यवसाय के मिशन अथवा सेवा कार्य होने दलील दे कर नियंत्रण का विरोध नहीं किया। युद्धके पूर्व भले ही पत्र संचाल सेवा की भावना से पत्र निकालते हों परन्तु युद्धकाल में अथवा उसके बाद उ भावना शेष न रही। युद्ध के बाद, और विशेष कर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय त बात और भी साफ हो गयी। कई पूंजीपति कई बड़े बड़े पत्रों के मालिक हो गये। युद्धपूर्व की अपेक्षा युद्धकाल में तथा युद्ध के बाद ज्वाइन्ट स्टाक कंपनियां बना कर पत्र निकालने की प्रवृति विशेष रूप से बढ़ी। स्वराज्य प्राप्ति के बाद अपना प्रभाव बढ़ाने और पत्रों के द्वारा अपना स्वार्थ साधन करने की पूंजीपति की इच्छा भी पत्रों के संचालन की विधि से प्रकट हुई। अन्य देशों की तरह यहां भी समाचार पत्रों का उपयोग राजनीतिक दलबन्दी के लिये किया जाने लगा।

इसकी प्रतिक्रिया पत्रकारों तथा इस व्यवसाय में लगे अन्य कर्मचारियों पर भी हुई। युद्ध के पूर्व पत्रकार अपने पेशे को सेवाकार्य समझता था, उसे अखबार में काम करते समय वहीं आनन्द अनुभव होता था जो देश की आजादी की लड़ाई के सैनिक को होता था। इसलिए वह अधिक से अधिक त्याग करने को तैयार रहता था। वेतन और छुट्टी की उसे कभी शिकायत नहीं होती थी। अन्य सुविधाओं की ओर तो उनका ध्यान भी न जाता था। उस समय उनके सारे कष्ट सेवा भावना के कारण त्याग में शामिल थे। लेकिन सन् १९३९ से सन् १९४२ तक तथा उसके बाद और विशेष कर स्वराज्य प्राप्ति के समय पत्रजगत् में जो परिवर्तन हुये उन्हें देखते हुये साधारण पत्रकार की मन:स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। उसके लिये उसका यह कार्य पहले का सा सेवा कार्य न रह गया। उसे भी पूंजीपति के लाभ में अपने परिश्रम से कमाया हुआ हिस्सा अधिक अंश में जाते देख कर चिन्ता हुई और अपनी भावना बदलनी पड़ी। स्वराज्य प्राप्ति के बाद उसके लिये पत्रकारिता सेवा कार्य नहीं बल्कि व्यवसाय बन गया।

सेवाभाव द्वारा संचालित समाचार पत्रों पर किसी भी आर्थिक विषमता का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऐसे पत्र भी निकलेंगे और निकल रहे हैं, परन्तु भविष्य में

उनकी संख्या सदैव उंगलियों पर गिनी जा सकेगी। परन्तु बहुसंख्यक पत्रों का प्रकाशन व्यावसायिक दृष्टि से ही होगा, अतः उन्हें उद्योग व्यवसाय मानना ही पड़ेगा।

सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता

समिति की राय में यह उद्योग उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है कि इसकी अभिवृद्धि तथा इसमें लगे हुये कर्मचारियों के स्वत्वों की रक्षा के लिये सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है।

अन्य उद्योगों के समान समाचार पत्र उद्योग में भी अधिकाधिक लाभ करने की [illegible]दिखाई पड़ती है। युद्धकाल तथा उसके बाद की मुद्रा स्फीति के जमाने में समाचार पत्र व्यवसायियों ने अधिकाधिक अर्थ संचय किया है। दूसरी ओर समाचार पत्र उद्योग में लगे हुये कर्मचारियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। महंगी बेहद बढ़ गई। निवास स्थान की समस्यायें अत्यन्त जटिल हो गयीं। अख़बारी कागज की कमी के बहाने से अन्धाधुन्ध कर्मचारी बरखास्त किये गये और सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों [illegible] दुर्दशा हुई। नौकरियां सुरक्षित न रहीं। अब भी वही दशा है। यद्यपि अतिरिक्त [illegible]र आदि से बचने के लिये समाचार पत्र व्यवसायियों ने कर्मचारियों की वेतन [illegible]की, कुछ स्थानों में उनको बोनस भी दिये गये, अस्थायी तौर से कुछ स्थानों में [illegible]निश्चित भत्ते भी दिये गये, तथापि पत्रकारों के लिये मंहगी का सामना करना नितान्त असम्भव हो गया। महँगी का त्रास अब भी बना हुआ है। हालत यह है कि सन् १९३९ में साधारण वेतन पाने वाले पत्रकार जितने खर्च से अपना काम चला लेते थे अब उन्हें उससे चौगुना खर्च करना पड़ रहा है और उन्हें अपने मालिकों से केवल ढाई गुने के लगभग ही प्राप्ति हो रही है।

फलतः कर्मचारियों की ओर से सरकारी हस्तक्षेप की एक स्वर से मांग की गयी है। कर्मचारियों और मालिकों में परस्पर संघर्ष के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे हैं। व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने संघर्ष किया और कुछ लोग नितान्त संकटावस्था में भी निरुपाय और विवश होकर चुप बैठ गये। इनके अतिरिक्त बहुत से योग्य, अनुभवी एवं निपुण पत्रकार शोषण तथा कठिनाइओं से तंग आकर इस व्यवसाय को ही छोड़ बैठे। इससे समाचार पत्र उद्योग की स्पष्ट हानि ही हुई।

यद्यपि समाचार पत्र उद्योग हमारे प्रान्त का बहुत बड़ा उद्योग नहीं है, तथापि ऊपर जो कारण बताये गये हैं उन्हें देखते हुये तथा निरन्तर होने वाले शोषण के कारण समिति जिस रूप में सरकारी हस्तक्षेप की सिफारिश कर रही है उससे पत्रकारों तथा इतर कर्मचारियों की हालत में सुधार होने के साथ ही सामान्य रूप से समाचार पत्र उद्योग और विशेष कर हिन्दी और उर्दू के समाचार पत्रों की उन्नति होगी।

पत्रों के मालिक और विशेष कर हिन्दी पत्रों के मालिक यह अनुभव करते हैं कि पत्रकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, किन्तु इसके साथ वे यह भी कहते हैं कि यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक पत्रों की आय में वृद्धि न हो।

हमारी समिति की नियुक्ति करते हुये जो सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी उसमें यह स्वीकार किया गया था कि इस उद्योग में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक

हो गया है। इसी अभिप्राय से हमारी जांच समिति के सन्मुख विचाराधीन विषय उपस्थित किये गये थे। उक्त विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि प्रान्त के समाचार पत्रों की जो स्थिति हो गयी है उसमें और जिन अनिश्चित और अरक्षित परिस्थितियों में पत्रकारों को काम करना पड़ता है, उन्हें देखते हुये सरकार के लिये यह आवश्यक हो गया है कि सरकार पत्रकारों के पारिश्रमिक, काम के घंटे, छुट्टियों के नियम, प्राविडेन्ट फंड, पेन्शन तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करे।

सरकार ने जो विचाराधीन विषय समिति को सुपुर्द किये थे उन पर बि[illegible] करने के बाद और इस उद्योग की तथा उसके कर्मचारियों की स्थिति आदि की जांच करने के बाद समिति इस निर्णय पर पहुंची है कि जिन कारणों से सरकार[illegible] जांच कमेटी बैठानी पड़ी थी उन्हीं कारणों से उसे इस जांच कमेटी की सिफारिशोंको कार्यान्वित भी करना चाहिये और इस प्रकार इस उद्योग में बांछनीय सुधार करने के लिये इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये।

समिति का निश्चित मत है कि बिना सरकारी हस्तक्षेप कें उद्योग की ऊपर बताई गयी अव्यवस्था तथा कर्मचारियों की अनिश्चित एवं अरक्षित अवस्था का [illegible] नहीं हो सचता। समाचार पत्र और सम्पादक वर्ग समाज के बहुत प्रभावकारी और आवश्य[illegible] अंग हैं और उनकी समस्याओं से बहुत समय तक अन्यमनस्क रहना सरकार के [illegible] न सम्भव है न उचित ही है। इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बा[illegible] समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि सरकार के हस्तक्षेप किये बिना इस उद्योग में तथा उसके कर्मचारियों की हालत में आवश्यक सुधार नहीं हो सकता।

हमारा राष्ट्र नया है। बन्धन मुक्ति के बाद लिप्सात्मक उच्छृंखलता की चतुर्दिक् अभिवृद्धि हो रही है। समस्त राष्ट्र उचित प्रकार से उन्नति की ओर अग्रसर होता रहा तो सन्तोष और प्रसन्नता की बात है। जैसा हम लोग अनुभव करते हैं, हमारे राष्ट्रीय जीवन में संयम, उदारता, दूरदर्शिता इत्यादि सद्‌गुणों का समावेश आवश्यक है। यही बात किसी भी उद्योग और व्यवसाय के लिये विशेष रूप से जोर देकर कही जा सकती है। यदि इस समय प्रगति और उन्नति की धारा को समुचित दिशा में संयत रूप से परिचालित नहीं किया गया तो शोषण और दुर्भावनायुक्त असामंजस्य बना रहेगा और समाचार पत्र उद्योग की अभिवृद्धि अनियमित और असंयत होगी, जिसका परिणाम अनिवार्यतः राष्ट्र के जीवन पर पड़े बिना न रहेगा। इसलिये समिति की सम्मति में सरकार को इस उद्योग में हस्तक्षेप करना ही चाहिये।

अध्याय ३

समाचार पत्रों का वर्गीकरण

समाचार पत्रों के प्रकाशन और संचालन को उद्योग मान लेने और उस उद्योग तथा उसमें काम करने वालों की हालत में सुधार करने के हेतु सरकार के हस्तक्षेप [illegible]वश्यकता को स्वीकार करने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि इस काम के [illegible]ल्य विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों का वर्गीकरण कर दिया जाय जिससे उसमें सुविधा हो और यह भी स्पष्ट इंगित हो जाय कि उपर्युक्त सुधार का प्रभाव विभिन्न वर्गों के पत्रों और उसके मालिकों तथा कर्मचारियों पर कैसा होगा। इस अध्याय में यही वर्गीकरण किया गया है।

समिति की जांच के कार्य में समाचार पत्रों के वर्गीकरण का प्रश्न मुख्य रूप से कठिन रहा है। भिन्न भिन्न नियतकालिक पत्रों की समस्यायें एक सी नहीं होतीं। उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत अन्तर रहता है। बीमा कम्पनियों या बैंकों की तरह किसी [illegible]र्धारित पूंजी से उनका कार्य प्रारम्भ नहीं होता और कई पत्रों में तो कर्मचारियों की नियुक्ति भी आवश्यक नहीं होती। कई निजी पत्र हैं। कई छोटी कम्पनियों के पत्र हैं। कुछ बड़ी बड़ी कम्पनियों द्वारा परिचालित हैं। कई के मालिक ट्रस्ट हैं। यद्यपि बहुसंख्यक पत्र व्यवसायिक मनोवृत्ति से संचालित होते हैं, तथापि कई शुद्ध सेवा भाव से मत विशेष का प्रचार करने के लिये और दल विशेष का कार्य अग्रसर करने के लिए से निकाले जाते हैं। इसके सिवाय भाषा का अन्तर भी है। युक्तप्रान्त में मुख्य रूप हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के पत्र हैं और उन सबकी आर्थिक स्थिति, आमदनी खर्च, व्यवस्था आदि में निश्चित समानता नहीं रहती। पत्रों के सरकुलेशन, विज्ञापन की आमदनी और प्रभाव एवं प्रतिष्ठा में बराबरी नहीं होती। कम वितरण वाले कुछ अखबारों की आमदनी और प्रभाव अन्य कई पत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। कई पत्रों का वितरण इसलिये सीमित रहता है कि वितरण की संख्या बढ़ने से उन्हें घाटा होता है।

अतः ऐसा वर्गीकरण कठिन था जिसमें इन सब प्रकार के समाचार पत्रों को उनका निश्चित स्थान प्राप्त हो सके और किसी के प्रति किसी अवस्था में अन्याय न हो तथा उसमें लगे कर्मचारियों के हितों की रक्षा सम्यक रूप से हो सके। समिति को जो मत प्राप्त हुये उनमें भी भिन्नता रही। अधिकतर मत प्रेषकों और मौखिक गवाही देने वालों ने वितरण (सरकुलेशन) को ही मुख्य आधार माना है। कुछ लोगों ने वितरण और आमदनी दोनों का ध्यान रखने की सलाह दी है। एकाध गवाहों ने कहा है कि आय कर को आधार माना जाय। लेकिन अधिकतर मत इस आशयके प्राप्त हुये हैं कि वितरण (सरकुलेशन) और विज्ञापन की आमदनी के आधार पर वर्गीकरण किया जाय। प्रायः सभी ने यह विचार प्रकट किया है कि वर्गीकरण तीन से अधिक श्रेणियों में नहीं होना चाहिये।

अतः इन सभी सुझावों का ध्यान रखते हुये समिति ने निश्चय किया है कि समाचार पत्रों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाय :—

क. श्रेणी ... (१) सरकुलेशन (वितरण) १०,००० प्रतियां और उससे ऊपर या
(२) लगाई हुई पूंजी ३ लाख रूपये या उससे ऊपर, या
(३) वार्षिक आय ३ लाख रूपये या उससे ऊपर।

ख. श्रेणी ... (१) सरकुलेशन (वितरण १०,००० प्रतियां से कम और ५,००० प्रतियों से अधिक, या
(२) लगाई गई पूंजी १ लाख रूपये और ३ लाख रूपये के
(३) वार्षिक आमदनी १ लाख और ३ लाख रूपये के बीच

ग. श्रेणी .. (१) सरकुलेशन (वितरण) ५ हजार प्रतियों से कम, या
(२) लगाई गई पूंजी १ लाख रूपये से कम, या
(३) वार्षिक आय १ लाख रूपये से कम।

उपर्युक्त व्याख्या में, प्राप्त ऋण और दान, पूंजी में शामिल माने जायेंगे।

अध्याय ४

कर्मचारियों का वर्गीकरण और वेतन निर्धारण

इस अध्याय में समाचार पत्र उद्योग में काम करने वाले सम्पाबकीय तथा प्रबन्ध विभाग के विभिन्न कर्मचारियों के वर्गीकरण, वेतन निर्धारण, शिक्षा सम्बन्धी योग्यता समस्याओं पर समिति की जांच का परिणाम और उसकी सिफारिशें दी गयी हैं।

समिति की प्रश्नावली के प्रश्न ४ के द्वारा यह पूछा गया था, कि सम्पादकीय तथा प्रबन्ध विभाग में जितने कर्मचारी काम करते हैं उनका वर्गीकण आप किस प्रकार करेंगे ? उसके उत्तर में जो विवरण प्राप्त हुये हैं उनपर समिति ने बहुत ध्यान दिया है। पत्रकारों की कई संस्थाओं तथा कई पत्रकारों ने केवल सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों का वर्गीकरण किया है। उनकी दृष्टि में प्रबन्ध विभाग का वर्गीकरण अपेक्षित नहीं है, परन्तु अन्य बहुसंख्यक संस्थाओं और पत्रकारों ने प्रश्न का असली आशय समझ कर यह मत व्यक्त किया है कि समाचार पत्र कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मोटे तौर पर इस प्रकार दो शीर्षकों के अन्तर्अत विभाजित किया जा सकता है :—

(१) सम्पादकीय विभाग, (२) प्रबन्ध विभाग।

हमारी समिति बहुमत से सहमत है कि उद्योग के हित की दृष्टि से प्रबन्ध विभाग को समाचार पंत्र उद्योग का आवश्यक अंग मानना उचित और न्यायसंगत है। सम्पादकीय विभाग और प्रबन्ध विभाग के अलग अलग वर्गीकरण करने में भी समिति ने अपने सामने उपस्थित वक्तव्यों के बहुमत को ही स्वीकार किया है। वह वर्गीकरण इस प्रकार है :—

(१) सम्पादकीय विभाग

१. सम्पादक,
२. सहायक सम्पादक, समाचार सम्पादक,
३. उप सम्पादक (सब एडीटर) और स्टाफ रिपोर्टर।
४. प्रूफरीडर, संगसाज और कातिब।

(२) प्रबन्ध विभाग

१. जनरल मैनेजर,
२. असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर,
३. विज्ञापन मैनेजर, संरकुलेशन मैनेजर, प्रेस मैनेजर, और मुनीम।
४. क्लार्क्स और टाइपिस्ट।

यह वर्गीकरण करते समय समिति ने अन्य देशों में प्रचलित प्रथाओं का भी अध्ययन किया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रायः इसी प्रकार का वर्गीकरण है और जो अन्तर है वह यहाँ और वहाँ की विशेष परिस्थितियों के अन्तर का द्योतक है।

समिति ने इस वर्गीकरण में समाचार पत्र उद्योग से सम्बन्धित, प्रेस और न्यूज फोटोग्राफर तथा कार्टूनिस्ट आदि को शामिल नहीं किया है। इसका कारण यह है कि

इन कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी विशेष योग्यता के कारण होती है। उनका विषय टेकनिकल है और इन्हें उपरोक्त दो वर्गों के कर्मचारियों में से किसी के समकक्ष रखना ठीक न होगा। इसी सिलसिले में समिति यह भी कहना चाहती है कि वह प्रबन्ध विभाग के अन्तर्गत आने वाले विज्ञापन मैनेजर, सरकुलेशन मैनेजर, प्रेस मैनेजर और मुख्य खजानची की शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम योग्यता निश्चित करना उचित नहीं समझतीं, क्योंकि उनका काम भी विशेष प्रकार का है, जिसमें उनके अनुभव, कार्यक्षमता और सामाजिक स्थिति का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। फिर भी समिति यह [illegible] चाहती है कि यदि विज्ञापन मैनेजर, सरकुलेशन मैनेजर, प्रेस मैनेजर, और ए[illegible] (मुनीम) ग्रेजुएट हों तो अच्छा है।

योग्यता––समाचार पत्रों की दुनिया में वर्षों से यह चर्चा चली आती है कि अखबारों में काम करने वाले कर्मचारियों की कोई न्यूनतम योग्यता होनी चाहिये अथवा नहीं। लगभग १० वर्ष पूर्व तत्कालीन केन्द्रीय एसेम्बली के सिन्ध प्रान्त के सदस्य ने एक गैर सरकारी प्रस्ताव उपस्थित कर यह मांग की थी कि समाचार पत्रों के सम्पादन कार्य में लगने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएट या उसके समकक्ष कर दी जानी चाहिये। उस प्रस्ताव का क्या हुआ, यह तो बताना कठिन है, लेकिन इस इस प्रश्न पर पत्रकारों का ध्यान बराबर बना है। समाचार पत्रों के कर्मचारियों की समस्याओं पर जब कभी चर्चा हुई है तभी उनकी न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का प्रश्न भी उठा है। विभिन्न प्रान्तीय पत्रकार संघों के अधिवेशनों में भी इस विषय में पत्रकार अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। समिति को इस सम्बन्ध के प्रश्न के जो उत्तर प्राप्त हुये हैं उनसे भी प्रतीत होता है कि इस प्रश्न पर लोगों को काफी दिलचस्पी है। अधिकतर लोगों ने यह राय दी है कि समाचार पत्रों में काम करने वाले उपसम्पादकों की योग्यता ग्रेजुएट या उसके समकक्ष होनी चाहिये। समिति के सदस्यों के व्यक्तिगत अनुभव तथा परिस्थिति के ज्ञान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आजकल सामान्यतः इसी योग्यता के कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है शिक्षा को वर्तमान उन्नत अवस्था तथा भविष्य में होनेवाली उत्तरोत्तर उन्नति का ध्यान रखते हुये यह कहना गलत न होगा कि इस बन्धन के बिना भी अब पत्रकार का व्यवसाय स्वीकार करने के लिये अधिकतर ग्रेजुएट या उससे भी ऊंची योग्यता रखने वाले व्यक्ति इस उद्योग को अधिक संख्या में प्राप्त होंगे। लेकिन यह आवश्यक है कि ऊंची योग्यता के युवकों को इस पेशे की ओर आकर्षित करने के लिये इस उद्योग की अवस्था भी उन्नत कर दी जाय यही इस समिति के प्रयत्न का उद्देश्य है। समिति की सिफारिश है कि पत्रों में काम करने वाले उप सम्पादकों की कम से कम योग्यता ग्रेजुएट या उसके समकक्ष रखी जाय, किन्तु अनुभवी और योग्य व्यक्तियों के लिये इसका बन्धन न रहे।

सम्पादन कला की शिक्षा––सम्पादकीय दफ्तर में कार्य करने के लिये प्रविष्ट होने वालों की न्यूनतम योग्यता चाहे जो भी रखी जाय, लेकिन जब तक वह काम का अनुभव स्वयं न करें तब तक सम्पादन कार्य के लिये योग्य नहीं समझे जा सकते। यद्यपि पंजाब विश्वविद्यालय में सम्पादन कला की शिक्षा वर्षों से दी जाती है और मद्रास, कलकत्ता लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालयों ने इस विषय की शिक्षा देने का निश्चय

कर लिया है तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों के सन्मुख भी यह विषय विचाराधीन है; तथापि बड़ी संख्या में सम्पादन कला का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर के इस पेशे में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों की संख्या अगले कई वर्षों तक कम ही रहेगी। जब वैसे शिक्षित पत्रकार प्राप्त होने लगेंगे तव भी समाचार पत्र कार्यालयों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था आवश्यक होगी। समिति का मत है कि समाचार पत्र कार्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने की अवधि निश्चित कर दी जाय। इससे पत्रकारों और समाचार पत्रों, दोनों का [illegible] होगा। इसलिये समिति सिफारिश करती है कि समाचार पत्र कार्यालय में सम्पादन कला [illegible]हारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये लगभग एक वर्ष की अवधि निश्चत की जाय।

[illegible]पारिश्रमिक की समानता––यह अक्सर देखा गया है कि विभिन्न पत्रों में एक ही प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक में अन्तर रखा जाता है। जिससे विषमता बनी रहती है। वैसे तो तीसरे अध्याय में समाचार पत्रों का जो वर्गीकरण किया गया है और इस अध्याय में इसके अनुसार जो वेतन निर्धारित किया गया है वह सभी पत्रों पर सामान्य रूप से लागू होगा, फिर भी यहां समिति विशेष रूप से यह कहना चाहती है कि इस रिपोर्ट के आधार पर बनने वाले कानून में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि विभिन्न पत्रों के एक ही प्रकार के कर्मचारियों का पारिश्रमिक एक ही तरह के काम के लिये एक सा हो।

आधारभूत वेतन––सम्पादक वर्ग की मुख्य मांग वेतन सम्बन्धी है। अध्याय दो में हम सामान्य रूप से इसकी चर्चा कर चुके हैं कि वेतनभोगी सम्पादक वर्ग की कैसी अवस्था है। जबतक वेतन विषयक निश्चय सन्तोषप्रद रूप से नहीं कर दिया जाता तब तक न तो सम्पादकों का शोषण रुक सकेगा और न उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किये जाने की उनकी शिकायत ही बन्द होगी। इस सम्बन्ध में समिति को विशेष दलील देने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। केवल यह कहना काफी होगा कि समाज में प्रतिष्ठित व्यवसाय के अन्य वर्गों के कर्मचारियों को जिस दर पर वेतन मिलता है उसी दर पर वेतन पाने का अधिकार सम्पादक वर्ग को भी है। प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकाररों ने अपने प्रथम और द्वितीय तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारयों को जिस दर से वेतन देने का निश्चय किया है उस दर से वेतन पाने का अधिकार समाचार पत्र उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को है। भारत सरकार के सूचना विभाग में पत्रकारों को ६०० रूपये से १८०० रूपये तक का वेतन देने की सिफारिश केन्द्रीय वेतन कमीशन ने की थी। ये आफिसर क्लास (१) श्रेणी के होंगे। असिस्टेन्ट इन्फारमेशन आफिसर्स क्लास (२) के लिये, उसमें ३५०–२०–५००–३०–६२० और जर्नलिस्ट तथा इन्फारमेशन असिस्टेन्टों के लिये ३००–२०–५०० मासिक वेतन की सिफारिश की गयी है। यह वेतन निर्धारित करते हुये केन्द्रीय पे कमीशन ने कहा है कि उपरोक्त मध्य और निम्न रैंकों में ये वेतन उन्हीं वेतनों के समान है जो प्रमुख भारतीय दैनिक समाचार पत्र अपने कर्मचारियों को देते हैं। आल इंडिया रेडियो के सेन्ट्रल और न्यूज आर्गेनाइजेशन में डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर का वेतन क्रमश: १३००–१६०० और १०००-१३०० निर्धारित हैं। न्यूज एडीटर्स को ६००–४०–१००० का ग्रेड दिया गया है। मानिटरिंग आफिसर्स, न्यूज रिपोर्टर्स, असिस्टेन्ट न्यूज एडीटर्स यद्यपि क्लास २ के अफसर होंगे

जो ३५०–२५–५००–३०–६२० पायेंगे तथापि उपसम्पादक अर्थात् सब एडीटर (पत्रकार) ३००–२०–५०० पायेंगे।

युक्त प्रान्तीय सरकार ने जो वेतन क्रम अपने कर्मचारियों के लिये निश्चित किये हैं उनका यहाँ उल्लेख करना यह दिखलाने के लिये आवश्यक होगा कि इन कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करने वाले पत्रकारों के लिये जो मांग की जा रही है वह उचित ही है। युक्त प्रान्तीय सरकार ने प्रान्तीय सर्विसेज के जूनियर अफसरों के लिये जो वेतन की दर निर्धारित की है वह इस प्रकार है :–३००–२५–४०० ई०, ३०–७०० ई० बी, ५०–८५०। प्रान्तीय सिविल सर्विस के सीनियर स्केल की [illegible] प्रकार है :—(१) ६००–७५–१५०० ऐडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच।

(२) १०००–१००–१५०० जुडीशियल ब्रांच।

युक्त प्रान्तीय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की सिफारिश मंजूर कर युक्त प्रान्तीय सरकार ने आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिगरी कालेजों के विभिन्न वर्गों के अध्यापकों के लिये निम्न लिखित वेतन स्केल स्वीकार किया है :—

पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा देने वाले कालेजों के लिये :—

प्रिंसिपल ७००–४०–९००–५०–१००० रूपये।

अन्य टीसर्च,

सीनियर स्केल ३००–२०–५०० ई० बी० २०–६०० रूपये।

जूनियर स्केल २००–१५–३५० ई० बी० ४५० रूपये।

पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा न देने वाले कालेजों के लिये :—

प्रिंसिपल ६००–३०–७५० रूपया

अन्य अध्यापक

सीनियर स्केल २५०–१५–४०० ई० बी० २०–५०० रूपये।

जूनियर स्केल २००–१०–३०० ई० बी० २०–४०० रूपये।

इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों के लिये जो वेतन क्रम निर्धारित किया गया है, वह इस प्रकार है :—

प्रोफेसर्स ८००–५०–१२५० रूपये।

रीडर्स ५००–२५– ८०० रूपये।

लेक्चरर्स ३००–२०– ४८० ई० बी० २०–५०० रूपये।

केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों की उपरोक्त दरों का उल्लेख इस अभिप्राय से किया गया है कि सरकार तथा जनता दोनों को सम्पादक वर्ग के महान उत्तरदायित्व और उनकी आर्थिक दुरवस्था के बीच की विषमता का परिचय मात्र मिल जाय। समिति ने उन सभी अवस्थाओं पर विचार करने के बाद सम्पादक वर्ग के लिये आवश्यक आधारभूत वेतन निश्चित किये जाने की सिफारिश की है, जिससे समाज की जैसी सेवा वे करते हैं उसके अनुरूप उनकी आर्थिक अवस्था भी हो सके। यह सिफारिश

केवल आधारभूत वेतन के सम्बन्ध में है। हमने वेतनों के स्केल या ग्रड की सिफारिश नहीं की है, क्योंकि समिति का मत है कि सम्पादनकला में लगे हुये व्यक्ति का वार्षिक या और प्रकार की वेतन वृद्धि, उसकी कार्यपटुता, अनुभव और दूरदर्शिता पर बहुत कुछ निर्भर करती है। इस लिये बिना किसी स्केल या ग्रेड की सिफारिश किये समिति ने केवल आधारभूत न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है और उसमें मंहगाई का भत्ता भी शामिल कर लिया गया है।

वेतन के सम्बन्ध में समिति की सिफारिश इस प्रकार है:—

पत्रों का श्रेणीक्रम पिछले अध्याय के अनुसार,

(१) प्रूफरीडर, संगसाज या कातिब का आधारभूत वेतन
प्रतिमास ... ... १०० रूपया

(२) उप सम्पादक, अपरेंटिन्स या उम्मेदवार के शिक्षण
काल का वेतन प्रतिमास ... ... १०० रूपया

(३) उप सम्पादक, स्टाफ रिपोर्टर,
ग. श्रेणी के पत्रों में प्रतिमास ... ... १५० ,,
ख. ,, ,, ,, ... १७५ ,,
क. ,, ,, ,, ... २०० ,,

(४) सहायक सम्पादकों का आधारभूत वेतन,
ग. श्रेणी के पत्रों में प्रतिमास ... ... ३०० ,,
ख. ,, ,, ,, ... ३५० ,,
क. ,, ,, ,, ... ४०० ,,

(५) सम्पादकों का आधारभूत वेतन,
ग. श्रेणी के पत्रों में प्रतिमास ... ... ४५० ,,
ख. ,, ,, ,, ... ५२५ ,,
क. ,, ,, ,, ... ६०० ,,

समिति की सिफारिश है कि प्रबन्ध विभाग पर यह वेतन दर उनकी क्रम संख्या के अनुसार लागू की जाय। चपरासियों और निम्न श्रेणी के अन्य कर्मचारियों का न्यूनतम आधारभूत वेतन मंहगाई के भत्ते के साथ कम से कम ४० रुपया प्रतिमास होना चाहिये।

———

अध्याय ५

पत्रकारों के अधिकार और स्वत्व, काम के घंटे सामान्य छुट्टीयां,कैन्टीन की सुविधा, जीवन बीमा, प्राविडेन्ट फंड इत्यादि ।

सामान्य--आज के व्यवसाय-प्रधान समाज में कर्मचारियों के हितों और स्व[illegible] की रक्षा का विशेष प्रबन्ध किया जाता है। कर्मचारियों की मांग पर या स्वतः [illegible] करके उन्हें उक्त हितों और स्वत्वों की प्राप्ति कराना सरकारों का कर्तव्य है। इससे समाज का हित होता है, क्योंकि उद्योग की रक्षा और उपादन की वृद्धि तथा समाज में शान्ति बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है। कर्मचारियों से उचित से अधिक समय काम लेना या समय का निर्धारण करने में शोषण की प्रवृत्ति दिखलाना, स्वास्थ्य विषयक साधारण सुविधायें न देना, दिन के काम के घंटों के बीच या सप्ताह में एक दिन का विश्राम न देना इत्यादि ज्यादतियां मानी जाती है, चाहे कर्मचारियों से काम लेने वाला पूंजीपति व्यवसायी हो, या सरकार। प्रायः सभी उल्लेखनीय उद्योग व्यवसायों में लगे हुये कर्मचारियों के उपर्युक्त हितों और स्वत्वों की रक्षा के लिये नियम बने हैं, जिनकी अवहेलना करने वालों को दंड देने का विधान भी है। परन्तु समाचार पत्र व्यवसाय के बुद्धिजीवी पत्रकारों के उपर्युक्त हित और स्वत्वों की रक्षा करने का कोई प्रबन्ध अब तक नहीं किया गया है। दुकानों के कर्मचारियों के लिये, जो अधिकतर उच्च शिक्षा से बंचित हैं, और असंघटित भी हैं, काम के घंटों और विश्राम के समय और दिन का निर्धारण करते हुये कानून बने हैं, परन्तु पत्रकारों के लिये इसका विधान नहीं है। यहां तक कि किसी समाचार पत्र कार्यालय में ही काम करने वाले मशीन और कम्पोजिंग (प्रेस विभागों के मेकनिकल और टेकनीकल, अर्थात् मशीनमैन, फोरमैन, कम्पोजिटर, मुद्रक आदि कर्मचारियों को इन मामलों में फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार जो अधिकार और सुविधायें मिली हैं वे उसी कार्यालय में काम करने वाले सम्पादकीय तथा प्रबन्ध विभागों के कर्मचारियों को प्राप्त नहीं है, यद्यपि समाज में उनका अपेक्षाकृत अधिक सम्मान और आदर है तथा यह माना जाता है कि उन्हें बुद्धि और शरीर दोनों के श्रम से समाचार पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। केवल इसी देश की यह स्थिति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सन् १९२९ में अमेरिकन न्यूज पेपर गिल्ड (श्रमजीवी पत्रकारों की ट्रेड यूनियन संस्था) की स्थापना का विचार तब उठा जब पत्रकारों ने देखा कि "बैकरूम" में काम करने वाले मशीन और टेकनिकल विभागों के कर्मचारी, जिनसे सम्पादक वर्ग अपनेको सदा ऊंचा समझता रहा है, वेतन, काम के घंटे आदि के मामले में अधिक सौभाग्यशाली हैं। इसी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने का उद्योग करने के लिये इंगलैंड के पत्रकारों ने अपना संघटन किया। अतः पत्रकारों की अवस्था में सुधार लाने के लिये की जाने वाली किसी व्यवस्था में उपर्युक्त प्रकार के हितों और स्वत्वों की रक्षा का विधान बहुत आवश्यक है।

काम के घंटे—समाचार पत्र के सम्पादन का कार्य विशिष्ट प्रकार का कार्य

हैं। इसमें जिस स्फूर्ति के साथ सोचने के लिये बुद्धि का और लिखने के लिये श्रम का उपयोग करना पड़ता है, वैसी स्फूर्ति शायद ही किसी अन्य व्यवसाय के लिये अपेक्षित होती हो। अनुभवीजनों और विशेषज्ञों का मत है कि दैनिक पत्र के सम्पादन तथा उसमें सहायता देने का कार्य इतनी स्फूर्ति से और वेगपूर्वक करना पड़ता है कि उसे लगातार एकाग्रचित्त से तीन घंटे से अधिक नहीं किया जा सकता। इसके बाद मस्तिष्क और शरीर दोनों थक जाते हैं। कुछ विशेष शक्ति वाले इससे अधिक समय तक एकाग्रचित्त होकर काम में जुटे रहने की सामर्थ्य रखते होंगे, लेकिन उनकी संख्या इनी गिनी ही [illegible] जो अपवाद ही कहा जा सकता है। वस्तुतः ६ या ७ घंटा काम लेने का जहां [illegible] है वहां इन तीन घंटों का काम इससे दूने समय में शिथिलतापूर्वक वांट लिया जाता है। भारत ऐसे देश में और उस के युक्त प्रान्त ऐसे प्रदेश में, जहां सर्दी और गर्मी अपना उग्र रूप प्रति वर्ष दिखाती हैं, जहां कोई चार महीने मौसम एकसा नहीं रहता, वहां अखबारों में रात और दिन पूरा मन लगाकर दत्तचित्त होकर बारहो मास एक सी गति से काम करना असम्भव है। जाड़े के दिनों में काम अधिक हो सकता है, पर सहने लायक जाड़ा यहां दो मास भी एक साथ रह पाता है ? सरकारी कर्मचारियों की तरह काम के घंटों को दिन के १० बजे से ४ बजे तक ही सीमित रखना अखबार वालों के लिये सम्भव नहीं; क्योंकि उनका काम २४ घंटों का होता है। शायद ही दो एक घंटे उनके दफ्तर में स्तब्धता रहती हो। ऐसी दशा में उनके काम के घंटों का निर्धारण इस प्रकार करना बांछनीय है, जिससे सम्पादकवर्ग की योग्यता का पूरा लाभ समाचार पत्र उद्योग को मिल सके और वे भी कम अधिक समान योग्यता के साथ बारहो महीने उसका निर्वाह कर सकें।

इंगलैंड में ४८ घंटे का सप्ताह पत्रकारों के लिये सन् १९४३ में निर्धारित था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ४० घंटे का सप्ताह और ८ घंटे का दिन माना जाता है। न्यूज पेपर गिल्ड आफ न्यूयार्क टाइम्स कम्पनी के शर्तनामे की तीसरी धारा (आर्टिकल) के अनुसार ५ दिन का ४० घंटे का सप्ताह और ८ घंटे का दिन सम्पादकीय विभाग के कार्यकर्ताओं के लिये निश्चत है। परन्तु इन देशों की स्थिति की तुलना हमारे देश की स्थिति से करना या वहां की हालत को यहां पूरी तरह उसी रूप में लागू करना न तो पूर्णतः सम्भव है और न यह उचित ही होगा। देश और कला की परिस्थिति में होने वाले अपरिहार्य परिवर्तन का ध्यान रखना ही होगा। यहां की जलवायु, उद्योग की अवस्था, कर्मचारियों की कार्यक्षमता आदि का ध्यान किये बिना अमेरिका और इंगलैंड की बराबरी के नियम बनाने की सिफारिश करना हम उचित नहीं समझते। जब यूरोप और अमेरिका में ४० घंटे का सप्ताह माना जाता है तब हमारे देश के बुद्धिजीवी कर्मचारियों के लिये उससे कम ही समय रखना होगा, क्योंकि यहां के रूखे और ठंढे दिनों में अधिक समय तक काम लेना अनुचित होगा। इसके सिवाय हमारे देश में भी सरकारी कर्मचारियों तथा अध्यापकवर्ग को ६ घंटे से अधिक काम नहीं करना पड़ता और वह भी दिन में। अतः उनके काम को देखते हुये पत्रकारों के काम का समय निश्चित रूप से कम ही होना चाहिये। यही बात कार्य के रूप पर भी लागू होती है। बुद्धिजीवी पत्रकार और श्रमजीवी कर्मचारी के काम के घंटे एक से नहीं हो सकते।

समिति के सन्मुख जिन लोगोंने बयान दिये हैं या जिन्होंने अपने विचार लिख कर भेजे हैं, उनमें से अधिकतर ने यह मांग की है कि समाचार पत्र उद्योग में लगे पत्रकारों से दिन में ६ घंटे और रात में ५ घंटे काम लिया जाय। कुछ संस्थाओं (समाचार पत्र कार्यालयों) में रात में ६ घंटे और दिन में ७ घंटे काम लिया जाता है। एकाध स्थानों में ८ घंटा का दिन और ७ घंटे की रात मानी जाती है।

इन सभी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद समिति यह सिफारिश करती है कि समाचार पत्र उद्योग में लगे सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों से दिन में ६ घंटे और रात में ५ घंटे से अधिक काम न लेने का विधान बनाया जाना आवश्यक है।

शिफ्ट (पारी की ड्यूटी)--काम के घंटों के साथ ही शिफ्ट अर्थात् पा[illegible] की ड्यूटी का प्रश्न सम्बद्ध है। इस सम्बन्ध में समिति का मत है कि शिफ्टों का समय पत्रों के प्रकाशन के समय और पत्रकारों की स्वास्थ्य विषयक सुविधाओं को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाना चाहिये। यदि सम्पादकवर्ग अखबार के प्रकाशन और रेल का समय अथवा प्रतिस्पर्द्धा आदि का ध्यान रखें और प्रकाशक सम्पादकवर्ग के स्वास्थ्य विषयक अर्थात् आहार और विश्राम आदि के लिये स्वच्छ स्थान आदि का प्रबन्ध कर सकें तो एक दूसरे की कठिनाई के प्रति सहानुभूति रखते हुये ऐसी सुविधा के होते हुये भी काम चलाये जाने की भावना बनी रह सकेगी।

ओवरटाइम--काम के घंटे और शिफ्ट से सम्बद्ध समस्या ओवरटाइम की भी है। समिति को अपनी जांच के दौरान में यह मालूम हुआ कि अक्सर सम्पादकीय विभाग को काम के घंटे के अलावा अतिरिक्त समय देना पड़ता है और ओवरटाइम के पैसे देने का कोई निश्चित नियम या दर नहीं है। अधिकतर पत्र संचालकों और पत्रकारों ने यह स्वीकार किया है कि किसी न किसी दर पर ओवरटाइम का वेतन देने की प्रथा है। समिति उसे स्टैन्डर्डाइज करना (एकरूपता देना) चाहती है। प्रान्त के प्रेस कर्मचारियों और फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों तथा यू० पी० कमर्शल एस्टब्लिशमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले ओवरटाइम वेतन की दरों की जांच करने के बाद समिति ने यह सिफारिश करने का निश्चय किया है कि पत्र की छुट्टी (बन्दी) के दिन यदि सम्पादकीय या प्रबन्ध विभाग के किसी कार्यकर्ता से पूरे शिफ्ट या उसके किसी अंश का काम लिया जाय अथवा उससे एक ही दिन में दूसरे शिफ्ट का काम लिया जाय तो प्रत्येक अतिरिक्त शिफ्ट या उसके अंश के लिये वह पूरे दिन के वेतन का अधिकारी होगा।

सप्ताहिक विश्राम--समाचार पत्र उद्योग से सम्बन्ध रखने वालों में इस बात पर मतभेद नहीं है कि कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का विश्राम मिलना चाहिये। वस्तुतः दैनिक, साप्ताहिक और मासिक या पाक्षिक सभी प्रकार के पत्र कार्यालयों में साप्ताहिक विश्राम के लिये एक दिन की छुट्टी देने का नियम है। कमेटी को अपनी जांच के दौरान् में कोई ऐसी संस्था या कार्यालय नहीं मिला जहां साप्ताहिक विश्राम का दिन नहीं मिलता। प्रायः सभी उद्योग व्यवसायों में, कारखानों में और मामूली दूकानों तक में साप्ताहिक विश्राम का दिन कर्मचारियों को मिलता है। समाचार पत्र उद्योग के सम्बन्ध में बनने वाले कानून में इसे केवल नियमित कर देने की

आवश्यकता है। हां, यह विधान करने की जरूरत भी है कि दैनिक अखबारों में सहकारी सम्पादकों को बारी बारी से सप्ताह में एक न एक दिन वह विश्राम मिले और साप्ताहिक तथा मासिक या अन्य प्रकार के अखबारों में इसका दिन निश्चित हो जाय। यदि दैनिक पत्र के कार्यालय में किसी कर्मचारी के पूर्व घोषित विश्राम के दिन उससे काम लिया जाय तो इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये कि उसे अगले दिन ही विश्राम का दिन मिल जाय। क्योंकि यदि ८ दिन से अधिक बीत जाने पर भी यह विश्राम का दिन न मिला तो यह विधान निरर्थक ही होगा। विश्राम के दिन काम लेकर उसके एवज [illegible] दिन का वेतन देने की प्रथा यदि कहीं हो तो गैर कानूनी कर दी जानी चाहिये।

[illegible] **कार्यालय की छुट्टियों (बन्दी) के दिन**––समाचार पत्र उद्योग में वेगपूर्वक बढ़ने वाली प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्द्धा का परिणाम यह हो रहा है कि देश के अन्य उद्योग व्यवसाय और कामों में लगे हुये कर्मचारियों, सरकारी नौकरों या साधारण नागरिकों को पर्वों और त्योहारों या उत्सवों के दिनों में आनन्द मनाने और विश्राम करने का जो अवसर काम के स्थान या कार्यालय की बन्दी से मिलता है, उससे पत्रकार बंचित होते जा रहे हैं। हालत यहां तक पहुँची है कि कई सम्पन्न पत्रों ने ऐसी छुट्टियों की संख्या घटाकर साल भर में ५, ६ तक कर ली हैं। इन पर सरकार द्वारा घोषित (गजटेड) छुट्टियों के नियमों का प्रभाव भी नहीं पड़ता। ये गजटेड छुट्टियां प्रेस तथा फैक्टरियों के कर्मचारियों को भी मिलती हैं। यद्यपि कई जगहों पर इन छुट्टियों के दिनों में सम्पादकीय विभाग के कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त वेतन दिया जाता है, तथापि इससे इस प्रथा की बुराई में कोई कमी नहीं आती। समिति इसे एक प्रकार का शोषण समझती है और चाहती है कि सरकार अखबारों को ऐसे पर्वों और त्योहारों या उत्सवों के दिन अपना कार्यालय और अखबार बन्द रखने के लिये बाध्य करे।

समिति सिफारिश करती है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय त्योहारों, पर्वों या उत्सवों के दिन अखबारों के लिये अपना कार्यालय उक्त त्योहारों, पर्वों या उत्सवों के आगे लिखित दिन या दिनों के लिये बन्द रखने के लिये बाध्य किया जाय।

अनिवार्य छुट्टियां

(१) होली (परवा) ... ... १ दिन
(२) ईदुल्फितर ... ... १ दिन
(३) स्वतंत्रता दिवस, (१५ अगस्त) ... ... १ दिन
(४) जन्माष्टमी ... ... १ दिन
(५) गांधीजी का जन्मदिवस, ... १ दिन
(६) दशहरा ... ... १ दिन
(७) ईदुज्जुहा ... ... १ दिन
(८) दीपावली (परवा) ... ... १ दिन
(९) मुहर्रम ... ... १ दिन

इच्छानुसार छुट्टियाँ

(१)	नव वर्ष (पहली जनवरी)	१ दिन
(२)	वसंत पंचमी	१ दिन
(३)	शिवरात्रि	१ दिन
(४)	रक्षावन्धन	१ दिन
(५)	होली दूज	१ दिन
(६)	बाराबफात	१ दिन
(७)	दीपावली दूज	१ दिन
(८)	गुड फ्राइडे	१ दिन

अनिवार्य छुट्टियों और इच्छानुसार छुट्टियों में अन्तर यह है कि पत्र संचालक या प्रकाशक के लिये अनिवार्य छुट्टी के दिन कार्यालय में छुट्टी (पूर्णतः कामबन्दी) करनी पड़ेगी और इच्छानुसार छुट्टी के लिये उस पर इसका बन्धन न होगा। अर्थात् वह उस दिन कार्यालय खुला घोषित कर सकता है; परन्तु कर्मचारी चाहे तो उस दिन छुट्टी ले सकता है और इससे उसकी अन्य किसी छुट्टी पर प्रभाव न पड़ेगा। इन छुट्टियों और साप्ताहिक विश्राम की छुट्टियों का कोई सम्बन्ध नहीं माना जायगा।

यदि इच्छानुसार छुट्टी के दिन कार्यालय खोला जाय और कर्मचारियों से काम लिया जाय तो उन्हें उस दिन के वेतन का दुगुना वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

आकस्मिक (कैजुएल) और अर्जित छुट्टियां—आकस्मिक छुट्टियों के विषय में समिति युक्त प्रान्तीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन की इस मांग को सर्वथा उचित समझती है कि समाचार पत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में १५ दिन की आकस्मिक छुट्टी लेने का अधिकार होना चाहिये। अर्चित छुट्टियां एक वर्ष में ३० दिन की मिल सकने की व्यवस्था होनी चाहिये, परन्तु इसे ६० दिन से अधिक संग्रहीत रखने का अधिकार पत्रकारों को नहीं होना चाहिये।

मेडिकल छुट्टियों के सम्बन्ध में समिति का मत है कि जिन नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को ये छुट्टियां मिलती हैं वे ही पत्रों के कर्मचारियों पर भी लागू समझे जायें।

छुट्टी लेने और उनकी स्वीकृति के नियम—इसके सम्बन्ध में समिति की सिफारिश है कि जिन नियमों से सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियां दी जा रही हैं वे इस उद्योग के कर्मचारियों पर भी लागू किये जायें।

प्राविडेन्ट फन्ड—कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिये आवश्यक इस कोष के संग्रह का प्रबन्ध प्रान्त के बहुत कम समाचार पत्रों के कार्यालयों द्वारा किया जाता है। समिति ने इस सम्बन्ध के प्रचलित कई स्थानों के नियमों, विशेष कर प्रान्तीय सरकार के युक्तप्रान्तीय कन्ट्रिव्यूटरी प्राविडेन्ट फंड पेन्शन इन्श्योरेन्स रूल्स. १९४८ तथा जनरल प्राविडेन्ट फंड, युक्त प्रान्त, रूल्स में किये गये संशोधनों आदि पर गम्भीरतापूर्वक बिचार करने के बाद यह सिफारिश करने का निश्चय किया है कि

प्राविडेन्ट फंड की व्यवस्था लागू करने के लिये कोई सरल नियम बनाये जाने चाहियें। प्राविडेन्ट फंड की आवश्यकता और महत्ता इसीसे प्रमाणित है कि प्रान्तीय सरकार ने मुस्तकिल होने वाले अपने नये कर्मचारियों के लिये यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी है और पुराने सरकारी नौकरों के लिये यह विधान किया है कि इन नियमों के लागू होने के तीन वर्ष के अन्दर वे इस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं परन्तु एक बार शामिल होने के बाद उससे पृथक न हो सकेंगे।

समिति का मत है कि कर्मचारियों को दो आना प्रति रूपये की दर से प्रावि- मिलना चाहिये। इसका आधा कर्मचारियों को और आधा मालिकों को देना हिये। प्राविडेन्ट फंड की वसूली कर्मचारी के मुस्तकिल होने के बाद से ही शुरू हो जानी चाहिये।

बीमा—समिति का मत है कि समाचार पत्रों के कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये बीमे की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये। समिति को जांच के सिलसिले में मालूम हुआ कि प्रान्त के किसी पत्र कार्यालय में कर्मचारियों के जीवन के बीमे की व्यवस्था नहीं है। इस प्रश्न पर 'अमृतबाजार पत्रिका" की ओर से जो उत्तर प्राप्त हुआ है, वह ध्यान देने योग्य है :—

"सन् १९४८ के ऐक्ट ३४ (हिन्द सरकार) से कर्मचारियों को बीमारी जच्चा बच्चा और नौकरी के दरम्यान में होने वाली चोट की हालत में कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। इस ऐक्ट का नाम एम्लाई स्टेट इन्स्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ है, और यह हिन्द के सभी प्रान्तों पर लागू है। इस ऐक्ट की जो धारा एं हमारी कम्पनी के जिस प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होंगी, उन्हें स्वीकार करने के लिये कम्पनी बाध्य है। इसके सिवाय कम्पनी में अपने कर्मचारियों के लिये अनिवार्य बीमे की व्यवस्था नहीं है। कम्पनी का ख्याल है कि हिन्द की जनता के लिये अनिवार्य बीमे की व्यवस्था करना सरकार का कर्त्तव्य है। हिन्द सरकार को चाहिये कि बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथों में ले लें और उन सब के लिये बीमे की व्यवस्था करे जो प्रीमियम (बीमे की किश्त) अदा कर सकते हों। वेतन बाँटते समय इस किश्त की रकम काट ली जानी चाहियें और पैमेन्ट आव वेजेज ऐक्ट में संशोधन कर इसका अधिकार (वेतन देने वाले को) देना चाहियें। अखबारों की आर्थिक स्थिति, कम से कम इस प्रान्त में ऐसी नहीं है कि वे अपने खर्च से अनिवार्य बीमे की व्यवस्था कर सकें। अच्छा हो कि उक्त आशय का प्रबन्ध करने का अनुरोध सरकार से किया जाय।"

अधिकतर पत्र संचालकों और पत्रकारों ने यह मत प्रकट किया है कि बीमे की व्यवस्था किसी न किसी प्रकार होनी चाहिये। कुछ मत इसके विरुद्ध भी आये हैं श्री विलियम्स (समाचार सम्पादक "पायनियर" लखनऊ) का यह मत विचारणीय है कि "सम्पादकों के जीवन का बीमा व्यवहार्य नहीं, क्योंकि अक्सर उन्हें एक से दूसरी जगह नौकरी छोड़ कर जाना पड़ता है। यदि बीमा का प्रबन्ध हुआ तो इसमें बड़ी अड़चन पड़ेगी।" लेकिन इस शंका का समाधान आल इंडिया जर्नलिस्ट ऐसोसियेशन के मंत्री श्री एस० एल० घोष के उत्तर में किया गया है। उन्होंने कहा है कि "मेरी

राय में सरकार को चाहिये कि प्राविडेन्ट फन्ड को श्रमजीवी पत्रकारों के लिये स्टेट इन्श्योरेन्स में बदल दे। मालिक प्रतिवर्ष एक मास का वेतन प्रीमियम में दे और कर्मचारी भी उतना ही दे। बेरोजगार रहने पर राज्य तब तक उसके बीमे की किश्त दे जब तक उसे दूसरे स्थान में नौकरी नहीं मिल जाती। रिटायरमेंट (अवसर प्राप्त) के समय कर्मचारियों को वह धनराशि सूद सहित मिलेगी जो उसके नाम जमा हुई होगी। स्वास्थ्य की जांच और चिकित्सा संबन्धी सुविधा का प्रबन्ध नौकरी के जमाने में मालिक और बेरोजगारी के जमाने में सरकार की ओर से होना चाहिये। [illegible] यह समस्या दूर हो जाती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले पत्र[illegible] बेरोजगारी के जमाने में बीमे की किश्त कौन देगा। श्री घोष का आशय स[illegible] यह है कि दोनों अवस्थाओं में पालिसी का स्वामीत्व कर्मचारी के हाथ में ही रहेगा।

एक और उपाय वह है जो बम्बई के स्टेट्स पीपल्स लिमिटेड में लागू है। यह संस्था गुजराती "जन्मभूमि" तथा अन्य कई पत्रों की संचालिका है।

संक्षेप में इसका आशय यह है कि उक्त कम्पनी में तीन साल से ऊपर काम करने वाला व्यक्ति, जो प्राविडेन्ट फन्ड का सदस्य है, कम्पनी की अनुमति से उसी के द्वारा अपनी इच्छा की रकम का बीमा करा सकता है। कम्पनी वार्षिक प्रीमियम का २५ प्रतिशत देगी, यह रकम २५ रूपये से कम और ५० रुपये से अधिक न होगी। बीमा कराने वाला अपनी पालि[illegible] को कम्पनी के नाम असाइन कर देगा और यदि कर्मचारी ने ८ वर्ष की नौकरी [illegible] है तो कम्पनी उसे उसके नाम पुनः असाइन कर देगी। यदि ८ वर्ष के पूर्व ही बीमा किये गये कर्मचारी की मृत्यु हो गयी तो कम्पनी बीमे की रकम उसके वारिसों को दिला देगी। यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ देगा तो कम्पनी उसके नाम पालिसी तभी असाइन करेगी जब वह कम्पनी द्वारा अदा की गयी रकम उसे वापस कर देगा" ✻

सम्भवतः हमारे देश भर के समाचार पत्रों में "जन्मभूमि" तथा उससे सम्बन्धित पत्र ही ऐसे हैं, जो किसी न किसी रूप में कर्मचारियों के बीमे की व्यवस्था करते हैं।

सम्भवतः इंग्लैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ऐसे देश में भी समाचार पत्रों के कर्मचारियों के जीवन बीमा के लिये कोई निश्चित समान योजना नहीं है। "न्यूयार्क टाइम्स" ने एक योजना अभी हाल में (सन् १९४७) कर्मचारियों के बीमे के लिये लागू की है, जो कर्मचारियों के लिये लाभप्रद और आकर्षक है। इस सम्बन्ध में ध्यान देने की एक बात यह है कि यह योजना इस पत्र की अकेली नहीं है। इसका नाम ही "ग्रूप लाइफ इन्श्योरेन्स प्लान" है और यह न्यूयार्क टाइम्स कम्पनी लिमिटेड के अलावा न्यूयार्क टाइम्स, एस० ए० टाइम्स के फेसिमाइल कार्पोरेशन तथा इन्टरस्टेट ब्राडकास्टिंग कम्पनी इनकारपोरेट की सम्मिलित योजना है। दूसरी बात यह है कि इस पत्र के बहुत पुराने और सम्पत्ति तथा मान की दृष्टि से सुदृढ़ होने पर भी यह योजना सन् १९४७ से पहले लागू न की जा सकी। इसका सारांश इस प्रकार है:—

"इससे वे ही कर्मचारी लाभ उठा सकेंगे, जिन्होंने कम से कम लगातार ६

✻ यह योजना परिशिष्ट "च" में दी गयी है।

मास तक हफ्ते में कम से कम औसतन् चार दिन पूरा समय देकर काम किया हो और उसका यह औसत वह अगले छ मास तक बनाये रख सका हो। यह बीमा इक्विटिवल इन्श्योरेन्स कम्पनी में ही होगा। इस योजना के नान कन्ट्रिब्यूटरी इन्श्योरेन्स के अनुसार एक हजार डालर तक का बीमा किया जा सकता है और इसका प्रीमियम तथा अन्य खर्च पत्र कार्यालय देगा। इस योजना के कन्ट्रिब्यूटरी इन्श्योरेन्स के अनुसार बीमे की रकम ५ हजार डालर तक हो सकती है, परन्तु प्रति हजार पर कर्मचारी ६० सेन्ट खर्च देगा और शेष खर्च पत्र कार्यालय सहन करेगा। कन्ट्रिब्यूटरी इन्श्योरेन्स [illegible]री के ६५वें वर्ष या उसके उस उम्र के पूर्व अवसर ग्रहण करने पर खत्म हो [illegible]। नान कन्ट्रिब्यूटरी इन्श्योरेन्स जारी रह सकेगा। किसी कर्मचारी के पद से पृथक हो जाने से ३१ दिन के अन्दर वह अपनें बीमे को उक्त कम्पनी के किसी, अन्य प्रकार के बीमे में परिवर्तन करा सकता है, परन्तु वह टर्म इन्श्योरेन्स नहीं होना चाहिये।"

इसके सिवाय और भी शर्तें तथा उनकी वारीकियां है, पर उनकी चर्चा यहाँ निरर्थक है, क्योंकि यह योजना हमारे देश में इस व्यवसाय की वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार लागू नहीं की जा सकती। बीमा कंपनियों के संघटन तथा स्वरूप में भी यहां और वहां काफी अन्तर पड़ता है। हाँ, यदि शृंखला पत्रों के पूंजीपति मालिक अपने अन्य उद्योग व्यवसायों में लगे कर्मचारियों को भी सम्मिलित करके यह या इससे मिलती जुलती कोई योजना लागू करें तो इस प्रयोग के सफल होने की सम्भावना हो सकती है।

हमारे देश में, विशेषकर हमारे प्रान्त में वह योजना सरलतापूर्वक लागू हो सकती है जो युक्त प्रान्तीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये लागू की है। इसका नाम "कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फन्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स १८४८" है। इसके अनुसार १०० रुपये से नीचे वेतन पाने वाले कर्मचारी अनिवार्यतः और उसके ऊपर वेतन पाने वाले इच्छानुसार सरकार के इन्श्योरेन्स विभाग के अधीन अपना बीमा करा सकेंगे। उनके जीवन के बीमे का प्रीमियम (किश्त) उस रकम से दी जायगी जो कन्ट्रिब्यूटरी प्राविडेन्ट फंड और उसमें जमा सूद की होगी। सरकारी नौकर के अवसर प्राप्त कर लेने पर, उसके पद त्याग कर देने पर, अलग कर दिये जाने या बरखास्त कर दिये जाने पर बीमेदार के नाम पालिसी रीअसाइन (फिर से असाइन) कर दी जायगी और तब वह सीधा अपना प्रीमियम स्टेट इन्श्योरेन्स विभाग में दे सकेगा। सरकार का अपना इन्श्योरेन्स विभाग होने के कारण उसे विशेष सुविधा है और उसके कर्मचारियों को अपनी नौकरी की सुरक्षा आदि कई प्रकार के आकर्षण है। यह दोनों विशेषतायें अखबारों के कार्यालयों में नहीं हैं। अतः यही नियम ठीक इसी प्रकार इसी रूप में अखबारों के लिये लागू करना सम्भव नहीं हो सकता। फिर भी समिति समझती है कि ऐसा उपाय किया जा सकता है जिसके अनुसार समाचार पत्रों के कार्यकर्ताओं को बीमे की सुविधा प्राप्त हो सके। उसका मत है कि ऊपर दी गयी दो योजनाओं को आधार मान कर, सरकारी योजना की आधारभूत विशेषताओं को अपना कर अनिवार्य बीमे की योजना बनायी जा सकती है। समिति समझती है कि प्राविडेंट फंड में मालिक और कर्मचारी

की ओर से जमा रकम के आधे से बीमे की किश्त (प्रीमियम) की अदायगी का कोई प्रबन्ध किया जा सके तो उत्तम होगा, क्योंकि इससे प्राविडेंट फंड भी बना रहेगा और बीमा भी हो जायगा। यह भी विधान किया जा सकता है कि ५ वर्ष तक इस प्रकार प्राविडेंट फन्ड में मालिक और कर्मचारी की जमा रकम से आधा प्रीमियम में दिया जाय और उसके बाद प्रीमियम की अदायगी का पूरा भार कर्मचारी पर वेतन से देने के लिये छोड़ दिया जाय।

इस बीमे की योजना में इस बात का विधान अवश्य कर दिया जाय कि रिपो-टर और संबाददाताओं के लिये दुर्घटना का बीमा अनिवार्यतः हो जाय।

समिति यह अनुभव करती है कि बीमे की व्यवस्था के सम्बन्ध में पक्की और आदर्श व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना उसके लिये कठिन है और यह काम सरकारी तथा बीमा व्यवसाय में लगे विशेषज्ञों का है। इसलिये समिति पत्रकारों के लिये अनिवार्य जीवन बीमे की व्यवस्था किये जाने की सिफारिश करती हुई यह आशा प्रकट करती है कि उक्त विशेषज्ञों की सलाह से सरकार इसका प्रबन्ध करेगी और समाचार पत्र उद्योग के लिये बनाये जाने वाले कानून में उक्त योजना को शामिल कर लेगी।

रात में काम की व्यवस्था--रात में कर्मचारियों से काम लेना अप्राकृतिक है, हिन्दुस्तान जैसे गर्म देश में रात के काम से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। "सब एडेटिंग" नामक पुस्तक में इंगलैण्ड के पत्रकार श्री मैंसफील्ड ने, जो इंग्लैंड के श्रमजीवी पत्रकार संघ के जन्मदाताओं में से हैं, लिखा है कि रातमें काम करने पर पत्रकार का जीवन काल १० वर्ष घट जाता है। लेकिन समाचार पत्र उद्योग से जनता की जो सेवा करते हैं उसे देखते हुए रात में काम करने की तकलीफ से छुटकारा पाने की कोई संभावना नहीं है। समिति को इसका अनुभव है कि बहुत ही कम समाचार पत्र कार्यालयों में रात में काम करने वालों के लिए आवश्यक सुवि-धायें उपलब्ध की जाती हैं। गर्मी के मौसम में जिन अनेक तकलीफों का सामना कर्म-चारियों को करना पड़ता है उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:--पर्याप्त हवा और पंखे का अभाव, पीने के पानी के प्रबन्ध का न होना,सोने के लिए स्थान का अभाव और बैठ कर काम करने के स्थान की संकीर्णता।

इसी प्रकार जाड़े के दिनों में जिन सुविधाओं की नितान्त आवश्यकता होती है उनमें बदन को गर्म रखने के लिए अंगीठी या बिजली के हीटरों का अभाव और चाय देने का प्रबन्ध न होना और जाड़े में निद्रा के लिए आवश्यक वस्त्रादि का अभाव मुख्य हैं। समिति का मत है कि मनुष्यताके नाते समाचार पत्र उद्योग के मालिकों का कर्तव्य हैं कि उक्त सुविधायें कर्मचारियों को अवश्य दें। आजकल बहुत ही कम कार्यालयों में जाड़े के दिनों में अंगीठी का, और गर्मी के दिनों में पंखा या पानी का प्रबन्ध रहता है। सम्भवतः किसी भी समाचार पत्र कार्यालय में इसका प्रबन्ध नहीं है कि रात में दो ढ़ाई बजे तक काम करने के बाद कर्मचारी शेष रात अपने कार्यालय में ही काट सके। समिति का मत है कि उपरोक्त प्रकार की सुविधायें सभी श्रेणियों के समाचार पत्रों के कर्मचारियों को दिलाना सरकार का कर्तव्य है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा––इस मामले में भी मशीन और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों एवं कर्मचारियों की तुलना में सम्पादक वर्ग अधिक कष्ट में है। फैक्ट्री ऐक्ट की धारा १३ और १९ के अनुसार जो सुविधायें फैक्ट्री कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, वे सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों को कानून के द्वारा नहीं मिली हैं। यद्यपि कई पत्र संचालकों ने यह कहा है कि इस प्रकार की सुविधायें हम देते हैं तथापि पत्रकारों की ओर से जो गवाहियां गुजरी हैं उनमें अधिकतर इस प्रकार की सुविधाओं के अभाव का ही रोना रोया गया है। इसीलिए समिति समझती है कि फैक्ट्री ऐक्ट १९३४ की धारा १३ के अनुसार फैक्ट्री को (जो समाचार पत्र कार्यालय का एक अंग है) शुद्ध रखने के जो नियम बनाये गये हैं, उन्हें इस कानून में शामिल कर लिया जाय। इसी प्रकार इस ऐक्ट की धारा १९ की उपधारा १,२ और ३ में पानी के प्रबन्ध के लिए जो नियम बनाये गये हैं उन्हें सम्पादक वर्ग के जीवन स्तर का ख्याल करते हुए उचित संशोधन के साथ समाचार पत्र कार्यालयों के सम्पादकीय और व्यवस्था विभागों के लिए लागू करने के उद्देश्य से इस कानून में अंगीकृत किया जाय। फैक्ट्री ऐक्ट का यह नियम भी इस मामले में लागू किया जाय कि इन सुविधाओं की जांच सम्बन्धित इंस्पेक्टर करें और जहां इसमें गफलत हो वहां अपराधी को दंड दिया जाय। साथ ही इसका भी प्रबन्ध किया जाय कि कर्मचारियों के बीमार पड़ने पर कार्यालय की ओर से उसकी चिकित्सा की व्यवस्था हो।

कैन्टीन––आजकल उद्योग व्यवसाय में कैन्टीन की सुविधा आम तौर से मालिकों की ओर से दी जाती है। कोई कारण नहीं है कि समाचार पत्र कार्यालय के कर्मचारी उससे बंचित रहें। जांच के दौरान में कमेटी को मालूम हुआ है कि कुछ कार्यालयों में यह सुविधा है और इससे सस्ते दाम पर जलपान का सामान कर्मचारियों को प्राप्त होता है। समिति की सिफारिश है कि समाचार पत्र कार्यालयों में कैन्टीन की व्यवस्था हो और उसकी लागत का कम से कम एक तिहाई प्रबन्धक दें। यह व्यवस्था सहयोग के आधार पर होनी चाहिये।

प्रेस क्लब––कर्मचारियों के आमोद प्रमोद, मनोरंजन और आपसी विचार बिनिमय के लिए प्रेस क्लब ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। यद्यपि इस कार्य में कर्मचारियों को ही विशेष रूप से अग्रसर होना चाहिए और तत्परता दिखलानी चाहिए, तथापि समाचार पत्र उद्योग के लाभ के लिए यह अच्छा होगा कि उद्योग के मालिक इसमें सहायता करें। किसी एक शहर में एक से अधिक प्रेस क्लब की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यदि सब कर्मचारी और मालिक संयुक्त रूप से किसी सामाजिक गोष्ठी के बनाने का प्रयत्न करें तो यह काम कठिन न होगा। सहायता मांगी जाने पर सरकार को भी इस कार्य के लिए जमीन देनी चाहिए।

अध्याय ६

नियुक्ति और नौकरी की शर्तें तथा नियम।

नियुक्ति और नौकरी की शर्तें तथा नियम––यदि समाचार पत्र उद्योग में सामान्य रूप से नियुक्ति, पद वृद्धि, वेतन वृद्धि, जुरमाने, मुअत्तली, मौकूफी, बरखास्तगी आदि के स्थायी नियम बन जायें तो हमारी जांच समिति के काम का उद्देश्य आधे से ऊपर पूरा हो जाय। मालिक और कर्मचारी के पारस्परिक वैमनस्य और मनमुटाव का बीज मुख्यतया इन्हीं में से किन्हीं कारणों से उत्पन्न होता है। समिति ने इनसे सम्बन्धित समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और समिति की प्रश्नावली के उत्तर में जो विवरण प्राप्त हुए हैं तथा समिति के सामने जो मौखिक गवाहियां गुजरी हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि इनके लिये समाचार पत्र कार्यालयों में कोई निश्चित नियम प्रायः नहीं हैं। एकाध पत्र संचालकों ने यह कहा है कि उनके यहां नियुक्ति और पदच्युति का नियम है, तथापि उन्होंने समिति के सन्मुख उन नियमों को उपस्थित नहीं किया है। बरखास्तगी के समय एक महीने का नोटिस देने का नियम कहीं कहीं माना जाता है। यह अवस्था असन्तोषप्रद है। समिति का मत है कि इनके लिये स्थायी नियम बनने चाहिये, जिनका पालन करना प्रत्येक पत्र संचालक और मालिक के लिये अनिवार्य हो। अतः समिति की सिफारिश है कि:––

(१) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति के समय उसे एक नियुक्ति पत्र मिलना चाहिये, जिसमें उसके आधारभूत प्रारम्भिक वेतन, वार्षिक वेतन, वृद्धि और पद वृद्धि की शर्तें लिखी होनी चाहिये।

(२) पत्रकार पर किसी भी अवस्था में जुर्माना करने का अधिकार पत्र संचालक या मालिक को नहीं होना चाहिये।

(३) कर्मचारी की मुअत्तली उस अवस्था में होनी चाहिये जब उस पर किसी अनैतिक अपराध का सन्देह हो या नौकरी की शर्तें तोड़ने का आरोप उस पर किया गया हो। मुअत्तली के बाद अपराध की जांच में जितना समय लगे उसमें कर्मचारी को इस सम्बन्ध में सरकारी नियम के अनुसार एक तिहाई वेतन दिया जाना चाहिये। मुअत्तली के बाद उस पर लगाये गये आरोप की जाँच में ३ मास से अधिक समय नहीं लगना चाहिये और अपराध साबित न होने पर उसको बहाल कर देना चाहिये।

(४) ५ वर्ष तक की नौकरी पर एक महीने का नोटिस देकर ही बरखास्तगी की जानी चाहिये। इससे अधिक नौकरी की दशा में अवधि का ख्याल करते हुए अधिक से अधिक तीन मास का नोटिस दिया जाना चाहिये।

(५) अन्य मामलों में वे ही नियम लागू होने चाहिये जो ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अनुसार अन्य उद्योगों के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

पत्रकार का परीक्षण काल... (प्रोबेशन पीरियड)

समिति यह समझती है कि किसी संचालक या मालिक को अनिश्चित काल

तक किसी पत्रकार को निम्न वेतन पर परीक्षण के लिये रख सकने का अधिकार न होना चाहिये। इस सम्बन्ध का नियम बनाना कर्मचारियों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिये आवश्यक है। चूंकि पत्रकार की नियुक्ति उस अवस्था में की जायेगी जब वह पूर्णतः ट्रेन्ड पत्रकार हो जायगा, इसलिये परीक्षण काल को बहुत लम्बा रखना उचित नहीं जान पड़ता। इस सम्बन्ध में जो मत प्राप्त हुये हैं उनमें विचार साम्य नहीं रहा है। कुछ लोगों ने परीक्षण काल एक वर्ष बतलाया है तो कुछ लोगों ने उसे एक सप्ताह माना है। युक्त प्रान्तीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन ने यह मत व्यक्त किया है कि ट्रेन्ड अथवा अनुभव प्राप्त पत्रकारों का परीक्षण काल एक महीने से अधिक न होना चाहिये। समिति ने सभी प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद यह सिफारिश करने का निश्चय किया है कि एक ट्रेन्ड पत्रकार का परीक्षण काल अधिक से अधिक छ मास होना चाहिये।

स्थानापन्न पद पर कार्य करने का वेतन--समिति के सन्मुख जो गवाहियां आई है उनसे ज्ञात होता है कि कुछ पत्र किसी कारण किसी पद के रिक्त होने पर नीचे पद के कर्मचारी को उस पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर देते हैं और बरसों तक उस पद पर बनाये रखते, किन्तु उस पद का वेतन न देकर स्थानापन्न रूप से काम करने वाले कर्मचारी का मूल वेतन ही देते हैं। समिति की दृष्टि में यह अवस्था अवांछनीय है। अतः समिति की सिफारिश है कि यदि किसी कर्मचारी के अवकाश पर जाने पर दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर काम करे तो उसे अपने वेतन के अतिरिक्त अपने वेतन और उस पद के वेतन के अन्तर का आधा, स्थानापन्न एलाउन्स के रूप में मिलना चाहिये। यदि पद रिक्त हो जाने पर कोई कर्मचारी किसी पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाय तो उसे उस पद का आधारभूत वेतन दिया जाय।

मुकदमें में उत्तरदायित्व--यदि कोई पत्रकार अपने कर्तव्य पालन के सिलसिले में कानून के शिकंजे में पड़ जाता है तो उसकी सफाई देने का उत्तरदायित्व किस पर है? इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला यह कि कानून की दृष्टि में वस्तुतः अपराधी कौन है, और दूसरा यह कि पत्र संचालक या मालिक तथा उसके कर्मचारी में से कौन उत्तरदायी है? जहां तक कानून का प्रश्न है, समिति को कुछ नहीं कहना है। इस सम्बन्ध के वर्तमान कानून के अनुसार अथवा उसमें भविष्य में होनेवाले संशोधनों के अनुसार सरकार को जिसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार होगा वह उसका उपयोग कर सकेगी,चाहे वह संस्थापक हो, सम्पादक हो, सहायक सम्पादक हो या रिपोर्टर हो। हमारे लिये विचारणीय विषय यह है कि कर्मचारी के किसी मामले में फंसे जाने पर उसकी सफाई आदि का उत्तरदायित्व किस पर बढ़ता है। इस सम्बन्ध में समिति का मत है कि कानून की दृष्टि में मूल उत्तरदायित्व पत्र के मालिक पर ही है। हाँ, यदि मालिक को धोखा देने की नियत से कर्मचारी ने जानबूझ कर कोई अपराध किया है तो इसके लिये मालिक की निगाह में कर्मचारी ही दोषी है और उस पर मुकदमा चलने पर उसकी सफाई के लिये मालिक बाध्य न होगा। वर्तमान प्रथा के अनुसार सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक कानून की दृष्टि में उत्तरदायी हैं। कहीं कहीं एक ही व्यक्ति तीनों का काम करता है। अक्सर सम्पादक के अलावा मुद्रक और प्रकाशक

कोई अन्य व्यक्ति होता है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में पत्र के मालिक की ओर से ही उनकी नियुक्ति होती है और पत्र को सुचारु रूप से संचालित करने का और कानून की दृष्टि में उत्तरदायी बने रहने का अधिकार मात्र उनको मिलता है। इस अधिकार का उपयोग वे मालिकों की ओर से करते हैं। इस लिये जब तक यह प्रथा है तब तक यही माना जायगा कि जनता की सेवा के लिये, ज्ञानवर्द्धन के लिये जो सामग्री सम्पादित, मुद्रित और प्रकाशित की जायगी वह यदि कानून के विरूद्ध पड़ती है और यदि परिणामस्वरूप इस प्रकाशन के लिये सम्पादक, मुद्रक या प्रकाशक पर मुकदमा चलता है तो इसका उत्तरदायित्व मूलतः मालिक पर है। इसलिये यह जरूरी है कि ऐसे किसी मामले में फंस जाने पर सम्पादक का बचाव करना पत्र के मालिक या संचालक का कर्तव्य है। समिति के सामने जो विवरण उपस्थित किये गये हैं और गवाहों ने जो बयान दिये हैं उनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि कोई पत्रकार अपने कर्तव्य पालन के सिलसिले में किसी फौजदारी या दीवानी के मुकदमें में फंस जाता है तो पत्र की मालिकिन संस्था या पत्र के मालिक को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये और मुकदमें का सारा खर्च उठाना चाहिये। यदि आर्थिक दंड हो तो उसका भुगतान मालिक को करना चाहिये और यदि शारीरिक दंड हो तो कर्मचारी को जितने दिनों तक कारावास में रहना पड़े उतने दिनों का पूरा वेतन कर्मचारी को मिलना चाहिये।

संचालक समिति ओर पत्रकार––सम्पादक मंडल और उसके सदस्यों के अधिकार और हितों की रक्षा के लिये और सामान्यतः समाचार पत्रों के संचालन में सहयोग देने के लिये संचालक मंडल में सम्पादकीय विभाग के एक प्रतिनिधि की नियुक्ति उचित होगी या नहीं? इससे उद्योग की उन्नति होगी या नहीं? इस सम्बन्ध में प्रश्नावली में एक प्रश्न रखा गया था जो इस प्रकार था––"क्या आप यह आवश्यक समझते हैं कि सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में शामिल किया जाय, यदि आप की कम्पनी लिमिटेड है; अथवा उनके एक प्रतिनिधि को प्रबन्ध समिति में रखा जाय, यदि उद्योग निजी तौर पर चलाया गया हो, अथवा साझे का उद्योग हो या किसी ट्रस्टी का उद्योग हो।"

इस प्रश्न के उत्तर में जो विवरण प्राप्त हुआ है उसमें पत्रकारों की ओर से कहा गया है कि पत्र के हित और सम्पादक वर्ग के हित की समान रूप से रक्षा करने के लिये उपर्युक्त प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है। संचालकों ने इसके विरुद्ध मत प्रकट किया है। पत्र संचालन में वह बाहरी हस्तक्षेप, सम्पादकों का हस्तक्षेप भी, पसन्द नहीं करते। उनकी दृष्टि में इससे उद्योग की प्रगति में बाधा पड़ेगी। समिति ने इस विवादग्रस्त प्रश्न पर तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त मतों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है और उसकी सिफारिश है कि पत्र के संचालन में सहयोग देने का अधिकार सम्पादिक मंडल के प्रतिनिधि को भी मिलना चाहिये। समिति का मत है कि इससे दो लाभ होंगे, पहला यह है कि संचालक और सम्पादक मंडल को आये दिन उठ खड़ी होने वाली समस्याओं पर एक दूसरे के मंतव्य समझने की सुविधा होगी, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष की आशंका कम होगी। दूसरा लाभ यह कि पत्र की उन्नति में वितरण संख्या की वृद्धि में और संचालक मंडल का जनता की रुचि और

विचारों से सम्पर्क बनाये रखने में सम्पादकीय विभाग की सहायता संचालकों को प्राप्त हो सकेगी । इसलिये समिति सिफारिश करती है कि इस विधान में इसकी गुंजाइश की जाय 'कि जहां पत्र के मालिक स्वयं सम्पादक भी हैं वहां सम्पादकीय विभाग की ओर से चुना हुआ एक प्रतिनिधि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स, संचालक मंडल, में लिया जाय। जहां ट्रस्ट या प्रबन्ध समिति हो वहां उनमें सम्पादकीय विभाग का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाय। सम्पादकीय विभाग के प्रतिनिधि को वे सब कानूनी अधिकार मिलने चाहिये जो उक्त समिति या ट्रस्ट के अन्य सदस्यों को हों।

अध्याय ७

झगड़ों का निपटारा

हमारी समिति ने इस समस्या पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया है कि समाचार पत्र उद्योग के संचालकों और कर्मचारियों के झगड़ों के निपटारे के लिये कैसी व्यवस्था की जाय। झगड़ों के पंचायत की उचित व्यवस्था किये बिना पत्रकारों की स्थिति में सुधार करने के लिये कानून बनाना व्यर्थ ही होगा। अब तक तो अवस्था यही है कि पत्रकार सब प्रकार की परेशानी सह कर भी चुपचाप पड़ा रहता है; क्योंकि उसके पास या उसके संघ के पास ऐसा कोई साधन नहीं जिसके द्वारा वह अपनी शिकायतें किसी पंचायत के सन्मुख उपस्थित कर सके और निर्णय प्राप्त कर सके। दुर्भाग्यवश समाचार पत्र उद्योग को अब तक उद्योग या व्यवसाय न मान कर उसमें सरकारी हस्तक्षेप अनावश्यक समझा गया है। लेकिन जब सरकार समाचार पत्र प्रकाशन के कार्य को व्यवसाय मान लेती है तब उसका यह भी कर्तव्य है कि इस उद्योग में लगे दोनों वर्गों, मालिकों और कर्मचारियों, के आपसी झगड़ों के निपटारे की भी उचित व्यवस्था करे।

ट्रिब्यूनल द्वारा झगड़ों का निपटारा

समिति ने इस समस्या पर विचार किया है कि इस उद्योग में लगे कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिये कोई पृथक् व्यवस्था होनी चाहिये या अन्य उद्योग व्यवसायों के लिये जो व्यवस्था है वही इस पर भी लागू हो। समिति इस निर्णय पर पहुँची है कि इसके लिये पृथक् व्यवस्था आवश्यक है। समिति यह कहना चाहती है कि उसकी सिफारिशों का आधार वे उत्तर हैं जो उसे इस समस्या (समिति की प्रश्नावली की प्रश्न संख्या १५) पर विभिन्न क्षेत्र से प्राप्त हुये हैं। प्रायः एक स्वर से कर्मचारियों ने और मालिकों ने और छोटे बड़े तथा हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी के पत्रों के प्रतिनिधियों ने यही मांग की है कि झगड़ों के निपटारे के लिये स्वतंत्र पंचायत बोर्ड या ट्रिब्यूनल संघटित किया जाना चाहिये।

समिति यह अनुभव करती है कि भारत सरकार के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट १९४७ और युक्त प्रान्तीय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ के अनुसार ही इस उद्योग के झगड़ों के निपटारे की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसमें समिति को आपत्ति नहीं है।

समिति सिफारिश करती है कि इस उद्योग से सम्बन्धित झगड़ों का निपटारा करने के लिये एक ट्रिब्यूनल बनायी जाय जिसमें समाचार पत्रों के सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि, पत्रों के मालिकों का एक प्रतिनिधि और सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि रखे जायं। सरकारी प्रतिनिधि न्याय विभाग का एक उच्च अधिकारी (प्रथम श्रेणी का सरकारी अफसर) होना चाहिये। इस ट्रिब्यूनल का प्रधान कार्यालय प्रान्तीय सरकार के सदर मुकाम (लखनऊ) में रहे। ट्रिब्यूनल को यह अधि-

कार हो कि किसी भी मामले को स्थानीय रीजनल-कान्सिलियेशन अफसरों के द्वारा तय करा दें।

ट्रिब्यूनल के अधिकार

इस ट्रिब्यूनल को वे सब अधिकार होने चाहियें जो प्रान्तीय तथा केन्द्रीय ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्टों के द्वारा संघटित पंचायतों को प्राप्त हैं या प्रान्तीय सरकार की मजदूर संघ समिति की सिफारिशों के आधार पर भविष्य में संघठित होने वाली पंचायत को प्राप्त होंगे। मजदूर जांच समिति की रिपोर्ट की जिल्द १, भाग १ के अध्याय ९ में पैराग्राफ २७९ में वर्णित वेजबोर्ड के अधिकार भी उक्त ट्रिब्यूनल को प्राप्त होने चाहियें। इसमें यह विधान किया गया है कि ट्रिब्यूनल के पास सरकार शिकायतें भेजेगी या ट्रिब्यूनल स्वतः किसी मामले की जांच कर सकती है। सरकार किसी मामले को अपनी जानकारी के आधार पर ट्रिब्यूनल के पास भेज सकेगी या मालिकों की संस्था या रजिस्टर्ड मजदूर संघों से शिकायतें प्राप्त होने पर। ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होगा कि वह उन मामलों पर विवरण प्राप्त करने के लिये तुरत पूछताछ या जांच पड़ताल जारी कर दे। ट्रिब्यूनल के निर्णय सरकार को प्रेषित किये जायेंगे जो उसे पूर्णतः स्वीकार कर लेगी या ट्रिब्यूनल को पुनर्विचार के लिये लिखित कारणों के साथ भेजेगी। कोई निर्णय दो बार पुनः विचार के लिये न भेजे जायेंगे।

समिति समझती है कि ट्रिब्यूनल को ऐसे अधिकार देने की व्यवस्था इस रिपोर्ट के स्वीकृत होने पर इसके आधार पर बनने वाले कानून में ही की जा सकती है।

समिति अनुभव करती है कि इस प्रकार के झगड़ों का निपटारा कराने के लिये यह आवश्यक है कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों (मजदूर संघों) की मार्फत मामले उपस्थित होने चाहियें। समिति का मत है कि सरकार को युक्त प्रान्तीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (यू० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन) को पत्रकारों की ट्रेड यूनियन संस्था मान लेनी चाहिये।

अध्याय ८

समाचार पत्र संवाददाता और स्वतंत्र पत्रकार

समिति खेद के साथ यह स्वीकार करती है कि समाचार पत्र संवाददाताओं और स्वतंत्र पत्रकारों का वर्गीकरण करने और उनके कार्यों को देखते हुए उनके लिए पारिश्रमिक तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं की निश्चित सिफारिश करने में उसे विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ा है। कारण यह है कि इस प्रान्त में स्वतंत्र पत्रकारों (फ्री लांस जर्नलिस्ट) और समाचार पत्र संवाददाताओं की निश्चित श्रेणी नहीं है। न तो प्रान्त के सभी नगरों और जिलों का महत्व समान है, न समाचार पत्रों की आवश्यकता की पूर्त्ति प्रत्येक जिले से एक ही प्रकार से होती है और न सभी स्वतंत्र लेखकों और सभी पत्र संवाददाताओं की योग्यता एक सी है। यही कारण है कि संवाददाताओं के पारिश्रमिक की दर ऊंची नीची और अनिश्चित रहती है। स्वतंत्र लेखकों में भी एक दूसरे की अपेक्षा अन्तर रहता है। स्वतंत्र लेखकों तथा समाचार पत्र संवाददाताओं को प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक की रकम कहीं कहीं हास्यास्पद और लज्जाजनक भी होती है। बहुत से संवाददाताओं के लिए अपनी जीविका के हेतु केवल इसी व्यवसाय पर निर्भर रहना आर्थिक दृष्टि से असम्भव होता है। अधिकतर संवाददाता इस व्यवसाय को अपनी जीविका के एक गौण साधन के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका मुख्य साधन कुछ और ही होता है। वकील, मुख्तार, वैद्य, स्कूलों के अध्यापक तथा कहीं कहीं स्कूलों और कालिजों के विद्यार्थी तक पत्र संवाददाता का काम करते हैं। इस प्रान्त में स्वतंत्र रूप से केवल संवाददाता पेशे को अख्तियार कर जीवन यापन करने वाले संवाददाताओं की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। ऐसे जो पत्रकार हैं उनका खर्च भी केवल एक ही पत्र की आमदनी से चलना सर्वथा असम्भव है। आज से कुछ वर्षों पूर्व तक जिलों में संवाददाता नियुक्त करने के लिए पुरस्कार स्वरूप अपने समाचार पत्र की एक प्रति निःशुल्क भेजना काफी समझा जाता था। बाद में डाक खर्च के लिये मासिक १ रुपया से ५ रुपया तक देने की प्रथा चली और शायद वह अब भी है।

चूकि किसी समाचार पत्र से किसी न किसी रूपमें सम्बन्ध बनाये रखने वाला व्यक्ति समाज की दृष्टि में प्रतिष्ठित माना जाता रहा है, इसलिये इन अपमानकर शर्तों पर भी अखबारों को जिले में संवाददाता मिल जाया करते थे। कुछ ही वर्षों पूर्व तक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से काम करने वाले नेतागण भी पत्रों और संवाद एजेन्सियों के प्रतिनिधित्व का अधिकार पत्र प्राप्त कर अपने को संवाददाता कहने में हिचकते नहीं थे। लेकिन अब यह अवस्था बदल रही है। समाचार पत्र उद्योग की जो उन्नति इधर हुई है, उनमें आपस में जो संघर्ष प्रतियोगिता चलती रही है और राजनीतिक जागृति के कारण जनता में समाचारों के प्रति जो सहज आकर्षण उत्पन्न हो गया है उनसे समाचार पत्रों को संवाददाताओं की आवश्यकता का अनुभव विशेष रूप से होने लगा है, और फलतः अब यह अवस्था हो गयी है कि समाचार पत्रों को अपने क्षेत्र में, तथा क्षेत्र के बाहर कुछ मुख्य स्थानों में कम अधिक पारिश्रमिक

पर संवाददाता नियुक्त करना ही पड़ता है। लेकिन जैसा इसके पूर्व संकेत किया जा जा चुका है, संवाददाताओं का पेशा करने वालों की आय में उन्नति नहीं हुई।

बिना अन्य किसी साधन का आश्रय ग्रहण किये स्थाई रूप से संवाददाता का काम करने वालों को कई अखबारों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है और फिर भी उनकी मासिक आय इतनी नहीं होती कि जीवन निर्वाह आसानी से कर सकें। कमेटी के सामने उपस्थित विवरणों से प्रतीत होता है कि प्रान्त भर में केवल एक संवाददाता ऐसे हैं जिनकी मासिक आय ४।५ पत्रों से लगभग २५० रु० है अन्यथा अधिकतर संवाददाताओं की आय ५० रु० से १०० रु० के आसपास है। कई हिन्दी पत्रों से अब भी संवाददाताओं को ५, ३, और २ रु० तक मासिक पारिश्रमिक मिलता है।

समाचार पत्र संवाददाता भी समाचार पत्र उद्योग के मुख्य अंग हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने से इस उद्योग की सामान्य स्थिति में भी अनायास सुधार होगा। समिति के सदस्यों के निजी अनुभव तथा उसके सामने उपस्थित विवरणों के आधार पर समिति यह मत प्रकट करती है कि संवाददाताओं को प्राप्य पुरस्कार आदि के संबंध में भी निश्चित नियम बनाये जाने चाहिए। उर्दू के पत्र संवाददाताओं के बारे में समिति के सामने निश्चित आँकड़े नहीं हैं, लेकिन यह माना जाना चाहिए कि हिन्दी के पत्र संवाददाताओं की अपेक्षा उनकी हालत कोई अच्छी नहीं हो सकती।

अतः समिति की सिफारिश है कि पत्र संवाददाताओं के संबंध में पुरस्कार का निर्णय शहरों और कस्बों की आबादी के अनुसार विभाजित करके किया जाना चाहिए। युक्त प्रान्त के पांच बड़े शहर——लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और आगरा प्रथम श्रेणी के शहर माने जायं। इनके अलावा एक लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर और व्यापारिक मंडियां द्वितीय श्रेणी में, तथा एक लाख से नीचे की आबादी वाले साधारण कस्बे तृतीय श्रेणी में होने चाहियें। संवाददाताओं को प्रति हजार शब्द के हिसाब से पारिश्रमिक मिलना चाहिये और इसके साथ उन्हें रिटेनर का भत्ता भी मिलना चाहिये।

शहरों की आबादी को श्रेणीबद्ध करने के साथ पत्रों की तीनों श्रेणियों के अनुसार मुफस्सिल संवाददाताओं का मासिक रिटेनर पारिश्रमिक निम्न लिखित प्रकार से होना चाहियेः—

	'क' श्रेणी के समाचारपत्र	'ख' श्रेणी के समाचारपत्र	'ग' श्रेणी के समाचारपत्र
पांच बड़े शहर	५० रु०	३० रु०	१५ रु०
द्वितीय श्रेणी, एक लाख से ऊपर की आबादी	३० रु०	२० रु०	१० रु०
तृतीय श्रेणी, एक लाख से नीचे की आबादी	१५ रु०	१० रु०	५ रु०

इसके अतिरिक्त सभी शहरों के संवाददाताओं को प्रति हजार शब्द एकसा पारिश्रमिक मिलना चाहिये। किन्तु यह रकम पत्रों की श्रेणियों के अनुसार कम से कम इस प्रकार हो :——

(क) श्रेणी के पत्र ... ... १० रुपया प्रति हजार शब्द
(ख) श्रेणी के पत्र ... ... ७ रुपया ,, ,,
(ग) श्रेणी के पत्र ... ... ५ रुपया ,, ,,

इन दोनों के सिवा सवारी, दफ्तर, तार, चिट्ठी-पत्री, टेलीफोन आदि का व्यय प्रत्येक पत्र अपनी आवश्यकतानुसार करे।

समिति का मत है कि उपरोक्त ५ बड़े शहरों के संवाददाता ,पत्र के वेतनभोगी कर्मचारी (स्टाफमैन) माने जायें और इन्हें प्राविडेन्ट फंड, बोनस बीमा आदि तथा साप्ताहिक विश्राम और सामान्य छुट्टी आदि के वही अधिकार और स्वत्व मिलें जो पत्र के सदर दफ्तर के कर्मचारियों को हैं। अन्य शहरों के संवाददाताओं पर भी छुट्टियों के वे ही कायदे लागू होने चाहिये। यदि कोई मुफस्सिल या स्टाफ संवाददाता भी ३ साल की नौकरी करने के बाद पत्र की सेवा करते हुए दिवंगत हो जाय या किसी खतरे का सामना करके पंगु हो जाय तो उसके परिवार को कम से कम १ वर्ष का रिटेनर वेतन मुआवजे के रूप में दिया जाना चाहिये। ३ साल से कम अवधि की नौकरी में ऐसी दशा हो जाने पर भी उसके परिवार के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

अब यहां केवल संवाद समितियों का प्रश्न रह जाता है। जिन संवाद समितियों के पास यथेष्ट साधन नहीं हैं और जिनके कर्मचारियों की संख्या भी दो ही चार है, उनके कर्मचारियों के विषय में, कोई सिफारिश करना समिति के लिये संभव नहीं है, क्योंकि उनकी अवस्था स्वयं वैसी ही है जैसी किसी अकेले संवाददाता की होती है। समिति यह अवश्य चाहती है कि असोसियेटेड प्रेस और यूनाइटेड प्रेस जैसी संवाद समितियों के कर्मचारियों के बारे में कुछ निश्चित नियम बन जायें। इस संबंध में समिति की सिफारिश इस प्रकार है :—

(१) एडीटर-इंचार्ज, असिस्टेन्ट-एडीटर, सब-एडीटर और रिपोर्टर को प्रथम श्रेणी के समाचार पत्र के समकक्ष कर्मचारियों के बराबर वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार हो, और

(२) टाइपिस्ट, मैकेनिक, आपरेटर को प्रथम श्रेणी के समाचार पत्रों के जूनियर सब-एडीटर या रिपोर्टर के समकक्ष माना जाय।

(३) जिन स्थानों के संवाददाताओं को ये एजेन्सियां कालम के हिसाब से पारिश्रमिक देती हैं उनके विषय में समिति की सिफारिश यह है कि :—

प्रथम श्रेणी के नगरों में ... ... १५० रुपया

द्वितीय श्रेणी के नगरों में ... ... १०० रुपया और

तृतीय श्रेणी के नगरों में ... ... ५० रुपया प्रतिमास रिटेनर और १० रुपया प्रति हजार शब्द पारिश्रमिक होना चाहिये।

इस सम्बन्ध में केवल यह कहना बाकी है कि विशेष संवाददाता, विशेष प्रतिनिधि स्टाफ संवाददाता आदि के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में समिति ने अध्याय ४ में जो सिफारिशें की हैं वे ही लागू होनी चाहियें। लेकिन इनका सवारी तथा अन्य आवश्यक खर्च अलग से भत्ते के रूप में मिलना चाहिये।

स्वतंत्र लेखक

स्वतंत्र लेखकों के सम्बन्ध में अपेक्षित आंकड़े समिति को प्राप्त नहीं हो सके। इनके सम्बन्ध में कोई राय देना समिति के लिये बहुत कठिन है, क्योंकि स्वतंत्र लेखकों का वर्गीकरण करना सम्भव नहीं है। इनके लेखों का मूल्यांकन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता। अखबारों की सामर्थ्य और स्टैन्डर्ड पर भी यह बात बहुत कुछ निर्भर रहती है, और फिर यह कोई आवश्यक नहीं कि स्वतंत्र लेखकों के लेखों के बिना अखबार चल नहीं सकते। फिर भी समिति यह समझती है कि ऐसे कुछ नियम होने चाहियें जिससे लेखकों को निश्चित आय का कुछ आश्वासन मिल सके और पत्र संचालक उनका शोषण न कर सकें।

अध्याय ६

देशी भाषा के समाचार पत्रों की उन्नति के उपाय

प्रान्तीय सरकार ने हमारी जांच समिति को कार्य सुपुर्द करते हुये जो निर्देश किया है उसके "ख" अंश के अनुसार हमें यह सुझाव भी देना है कि समाचार पत्रों के सम्पादकीय और प्रबन्ध विभागों के कर्मचारियों की हालत तथा उनके पुरस्कार, मंहगी का भत्ता, छुट्टी, प्राविडेन्ट फंड आदि के नियमों के सुधार के लिये किन व्यवहार्य उपायों का अवलम्बन किया जाय। समिति समझती है कि कर्मचारियों की हालत में सामान्य, व्यापक और दीर्घकालीन प्रभावकारी सुधार बहुत कुछ समाचार पत्रों की अवस्था में होने वाले सुधार और उन्नति पर अवलंबित हैं और समाचार पत्रों की सामान्य दशा में उन्नति हुये बिना कर्मचारियों की अवस्था में उन्नति के उपाय बतलाना उपादेय नहीं है। अतः सरकार को यह परामर्श देना भी हमारा कर्त्तव्य है कि समाचार पत्रों की सामान्य अवस्था में सुधार लाने के लिये क्या उद्योग सरकार स्वयं कर सकती है और पत्र संचालकों से करा सकती है। अंग्रेजी पत्रों की आर्थिक तथा अन्य प्रकार की उन्नति की अपेक्षा देशी भाषाओं के पत्रों की उन्नति पर देश का भविष्य विशेष रूप से निर्भर है। इस कारण समिति ने अपनी प्रश्नावली में एक प्रश्न इस प्रकार रखा था :—"देशी भाषा के पत्रों के स्तर को ऊंचा करने के लिये आप क्या सुझाव पेश करना चाहते हैं ?"

प्रश्न में उल्लिखित देशी भाषा के समाचार पत्रों से अभिप्राय मुख्यतः हिन्दी समाचार पत्रों से है, क्योंकि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी के राजभाषा घोषित हो जाने से इस प्रान्त में हिन्दी पत्रों का भविष्य उज्ज्वल है। देश की राजनीतिक हलचलों में प्रान्त तथा समाज के सुधार और निर्माण में लोकतंत्र को वस्तुतः प्रभावकारी एवं उपयोगी बनाने में आज के तथा भविष्य के हिन्दी पत्रों को बहुत बड़ा काम करना है। जनता का मार्ग प्रदर्शन करने में, मतदाताओं को अपने अधिकारों का विवेकपूर्वक सदुपयोग करने की सलाह देने में, अयोग्य सरकारों के निष्कासन में तथा सुयोग्य कर्मठ व्यक्तियों की सरकारें कायम करने में इंगलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समाचार पत्रों का जो हाथ होता है वह भारत के देशी भाषा के पत्रों का नहीं रहा है। देशी भाषा के अधिकतर पत्रों की टीका टिप्पणी का स्तर भी सम्मानित नहीं समझा जाता, जिसका कारण योग्य और बहुपठित सम्पादकों तथा सहकारी सम्पादकों का अभाव बतलाया जाता है। इस अभाव की पूर्ति के बाधक कारणों में यद्यपि संचालकों की संकुचित और अदूरदर्शी मनोवृत्ति को मुख्य स्थान दिया जाता है, तथापि यह कहना अनुचित न होगा कि यही एकमात्र दोष नहीं है। संचालकों के कथनानुसार यह दोष अर्थाभावजनित है। यह कथन सत्य है। शिकागो "डेली न्यूज" के प्रकाशक फ्रैंक नाक्स के कथनानुसार "समाचार पत्र साहित्यिक वस्तु नहीं रह गया। अब वह व्यापारिक पदार्थ हो गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने सम्पादकीय कर्तव्यकी

वलि दे दी है या उस कर्तव्य के लिये स्थान नहीं रह गया है, बल्कि समाचार पत्र के प्रकाशन के व्यय साध्य व्यवसाय हो जाने के कारण उसे जो अधिक आत्म निर्भरता मिली है उससे उसके सम्पादकीय या साहित्यिक शाखा की शक्ति बढ़ी है और उत्तमतर समाचार पत्रों का प्रकाशन सम्भव हो सका है। इस अवस्था से समाचार पत्रों का प्रभाव बढ़ा है तथा उन्हें अपने पाठकों, विज्ञापनदाताओं तथा समाज की अधिकाधिक सेवा करने का अवसर मिला है।" * निष्कर्ष यही निकला कि समाज और लोक कल्याण के लिये हिन्दी पत्रों की अवस्था में सुधार परमावश्यक है। उद्योग की सार्थकता इसी बात पर निर्भर है कि देशी भाषा के समाचार पत्रों की उन्नति हो। आजकल अच्छी स्थिति में चलने वाले दो चार समाचार पत्रों के कर्मचारियों की स्थिति में सुधार हो जाने से समिति के अभीष्ट की पूर्ति नहीं है। उसका अभीष्ट बहुसंख्यक कार्यकर्ताओं की स्थिति में सुधार करना है और इसमें दो राय नहीं है कि अभी से बहुसंख्यक कार्यकर्ता हिन्दी पत्रों में लगे हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति अवनत होने का एक मुख्य कारण पत्र संचालकों के कथनानुसार पत्रों की अवनत दशा ही है।

हिन्दी पत्रों की अवनत दशा का वर्णन हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३६वें (मेरठ) अधिवेशन के सभापति सेठ गोविन्ददास ने अपने भाषण में भलीभाँति किया है। वह कहते हैं :—

"हिन्दी में पत्र पत्रिकादि का प्रकाशन तो बढ़ता जा रहा है, पर अभी हमारे पत्रों में सुधार के लिये बहुत अधिक स्थान है। अंग्रेजी पढ़े लिखे मराठी, गुजराती, बंगला भाषा भाषी अपनी अपनी मातृभाषा के पत्रों को पढ़कर अंग्रेजी पत्रों को पढ़ने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते; परन्तु अंग्रेजी पढ़े लिखे हिन्दी भाषा भाषियों की यह स्थिति नहीं है। जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान है ऐसे हिन्दी भाषा भाषियों का भी इसमें थोड़ा बहुत दोष हो सकता है, परन्तु इसमें मैं सबसे अधिक दोष मानता हूँ हिन्दी में मराठी, गुजराती और बंगला के सदृश पत्रों का अभाव। इसका उत्तरदायित्व पत्रकारों पर नहीं है। उन बेचारों के पास अंग्रेजी या अन्य प्रान्तीय भाषाओं के सदृश्य साधन नहीं हैं। फिर विज्ञापन आदि के रूप में जो सहायता सरकार और अन्य विज्ञापनदाताओं की ओर से अंग्रेजी तथा बम्बई, कलकत्ते आदि व्यापारिक नगरों से निकलने वाले प्रान्तीय भाषाओं के पत्रों को मिलती है वह हिन्दी पत्रों को नहीं। इस सम्बन्ध में हम व्यापारियों तथा उनकी कम्पनियों से तो केवल अनुरोध कर सकते हैं कि वे हिन्दी पत्रों को भी उसी दृष्टि से देखें जिस दृष्टि से वे अन्य भाषाओं के पत्रों को देखते हैं; परन्तु हम अपनी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों को इस विषय में बाध्य कर सकते हैं।

"एक कारण और है जिससे हमारे हिन्दी पत्र उन्नति नहीं कर पाते। उन्हें सभी समाचार अंग्रेजी में मिलते हैं, क्योंकि न तो अभी किसी ऐसी समाचार संस्था का निर्माण हुआ है जो हिन्दी में ही समाचार भेजे और न अभी हिन्दी टेलीप्रिंटर ही निकला है। हिन्दी पत्रों को सारे समाचार अंग्रेजी में प्राप्त कर उनका पहले हिन्दी अनुवाद

---

* "प्रिंसिपल्स आव न्यूज़पेपर मैनेजमेन्ट" पृष्ठ १,२।

करना पड़ता है। हिन्दी पत्रों के लिये हिन्दी में तारों के मिलने की और हिन्दी के टेलीप्रिंटर द्वारा समाचारों के मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये।"

हिन्दी समाचार पत्रों की अवनत अवस्था के कई कारणों पर प्रकाश डालते हुये तथा उसमें सुधार के उपाय बतलाते हुये वयोवृद्ध हिन्दी पत्रकार पंडित अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने समिति के पास अपने विचार इन शब्दों में प्रेषित किये हैं:—

"पत्रकार की अवस्था के साथ पत्रों की अवस्था भी सुधरनी चाहिये। गत ३६ वर्षों के दीर्घकाल में पत्रों में जो उन्नति दिखाई देनी चाहिये वह नहीं दीखती। यह खेद की बात है। इसका कारण यही जान पड़ता है कि पत्रकार को अपने कार्य से जितना अनुराग होना चाहिये, नहीं होता। कुछ तो कार्य भार की गुरुता और कुछ अपनी योग्यता बढ़ाने का ध्यान न रखना इसके मूल में हैं। ६ घंटे की कार्य अवधि में यदि सम्भव न हो तो उसके बाद, ग्रन्थावलोकन द्वारा पत्रकार को अपनी योग्यता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देना भी कार्यालय का कर्तव्य होना चाहिये। इसके लिये प्रत्येक कार्यालय में ऐसा पुस्तकालय होना चाहिये जिसमें देशी और परदेशी सामयिक पत्रों के अतिरिक्त ज्ञानवर्द्धक ग्रन्थ हों। सम्पादक के कहने पर कार्यालय आवश्यक ग्रन्थों का संग्रह किया करे।"

इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों से समिति के सन्मुख जो विचार उपस्थित किये गये हैं उनके अनुसार देशी भाषा के समाचार पत्रों की उन्नति के बाधक कारण निम्न लिखित हैं:—

(१) देशी भाषा के पत्रों को प्रारम्भ करने में अंग्रेज़ी पत्रों की अपेक्षा कम पूंजी लगायी जाती है और अच्छे वेतन पर कर्मचारी नहीं रखे जाते।

(२) हिन्दी में शीघ्रतापूर्वक, टेलीप्रिंटर से, संवादप्रेषक समिति नहीं है।

(३) हिन्दी मुद्रण सम्बन्धी असुविधायें अपेक्षाकृत अधिक हैं। टाइप में सुधार की अपेक्षा है। लाइनो टाइप, रोटरी मशीन, आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है।

(४) हिन्दी समाचार पत्रों को अंगंग्रेजी समाचार पत्रों की अपेक्षा कम दर पर विज्ञापन की प्राप्ति होती है।

समिति समझती है कि उपरोक्त बाधाओं के साथ ही निम्न लिखित सुझावों पर विचार करने की आवश्यकता है।

(१) सरकार को भारतीय भाषा और अंग्रेजी पत्रों के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिये। हिन्दी पत्रों की अपेक्षा अंग्रेजी पत्रों को विशेष महत्व देना आज की परिस्थिति में उचित नहीं है।

(२) सरकारी सूचनायें, विज्ञप्तियां, रिपोर्ट, माननीय सचिवों एवं पार्लमेन्टरी सेक्रेटरियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों के भाषणादि अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में दिये जायें।

(३) यातायात की असुविधा दूर की जाय। ग्राम भाग में शीघ्रतापूर्वक सस्ती दर में अखबारों के पहुँचाने का प्रबन्ध किया जाय।

इनके सम्बन्ध में समिति की राय क्रमशः इस प्रकार है:—

(१) यह मानते हुये भी कि स्वल्पतम पूंजी से अखबार निकालने की स्वतंत्रता सर्व साधारण का मौलिक अधिकार है, समिति चाहती है कि सरकार इस सम्बन्ध का कानून बनाते समय इसका प्रबन्ध करे कि कम पूंजी का बहाना लेकर पत्र प्रकाशक या संचालक सम्पादकीय तथा इतर विभाग के कर्मचारियों का शोषण न कर सकें। समिति समझती है कि डिक्लेरेशन स्वीकार करते समय इस बात का ध्यान रक्खा जा सकता है। डिक्लेरेशन दाखिल करने वालों पर यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि वे अपनी प्रारम्भिक पूंजी का विवरण उपस्थित करें, जिसके अनुसार डिक्लेरेशन के समय ही उनके पत्र का वर्गीकरण हो जाय और वे सभी सम्बन्धित विधानों और नियमों का पालन कर सकें। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सरकारी नियमों के अनुसार पत्रों के मालिकों को निश्चित अवधियों पर अपने पत्र में लगी पूंजी, उसमें हुई वृद्धि या ह्रास आदि का विवरण देते रहना पड़ता है। यदि यह शर्त इस मामले में हमारे देश में लागू की जा सके तो उत्तम हो।

(२) समिति समझती है कि हिन्दी टेलीप्रिंटर संवादप्रेषक समिति की स्थापना करने का उद्योग प्रान्तीय सरकार अवश्य सफलतापूर्वक कर सकती है। हिन्दी का क्षेत्र व्यापक है और यदि युक्त प्रान्तीय सरकार तथा अन्य हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तों की सरकारें सम्मिलित रूप से पूर्णतः स्वतंत्र हिन्दी टेलीप्रिंटर संवादप्रेषक समिति खड़ी करने में प्रारम्भिक आर्थिक सहायता करें तो वह समिति यह काम सरलतापूर्वक कर सकती है। प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की भांति संस्था कायम करने में भी सरकार मदद कर सकती है, जिसके अधिपति स्वयं हिन्दी के समाचार पत्र हों। समिति इस बात पर विशेष जोर देना चाहती है कि सरकार इस कार्य में शीघ्रता करे।

(३) समिति को मालूम है कि नागरी लिपि में मुद्रण और टाइप करने की वर्तमान असुविधाओं को दूर कर नागरी लिपि को इन कार्यों के लिये अधिक सरल एवं उपयोगी बनाने एवं इस लिपि को स्टैन्डर्डाइज करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये उसने शिक्षा विभाग में एक जांच समिति संगठित की है और वह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट उपस्थित करने वाली है। उस समिति की रिपोर्ट पर सरकार का निर्णय चाहे जो हो, इस समिति का प्रयोजन इस बात से सिद्ध हो जायेगा कि सरकार हिन्दी वर्तमान टाइपराइटरों और मोनो टाइप मशीनों का अधिकाधिक उपयोग बढ़ाने में यथा-शक्ति सहायक बने तथा लाइनोटाइप मशीन के अन्वेषण और परिष्कार के लिये उचित कार्रवाई करे। इन मशीनों का निर्माण स्वदेश में होने देने के लिये जो कुछ सम्भव है वह प्रान्तीय सरकार को करना चाहिये, जिससे इनके क्रय में जो भारी रकम विदेश भेजनी पड़ती है वह यहीं रह जाय। जब तक ऐसी अवस्था नहीं उत्पन्न होती तब तक के लिये जो लोग ये मशीनें बाहर से मंगाना चाहें उन्हें वह अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करे या केन्द्रीय सरकार से करावे।

(४) समिति समझती है कि भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को अंग्रेजी समाचार पत्रों की अपेक्षा कम दर पर विज्ञापन मिलने की जो प्रथा है उसका अन्त हो जाना चाहिये। आज की स्थिति में इस प्रथा का औचित्य समर्थनीय नहीं है। भारतीय

भाषा के पत्रों का स्तर अंग्रेजी पत्रों की अपेक्षा निम्न होने की दलील भी विज्ञापन दर के अन्तर के मामले में ठीक नहीं, क्योंकि आज हिन्दी पत्रों का चाहे जो स्तर हो, जनता की आवश्यकता की पूर्ति असली तौर पर उन्हीं से होती है। विज्ञापन दर में भेदभाव होने से भारतीय भाषा के पत्रों के साथ अन्याय होता है, क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक हानि सहन करनी पड़ती है और फलतः उनका स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न असफल ही रहता है। इस लिये समिति की राय है कि विज्ञापन की दरों की एकरूपता बढ़ाने का उपाय सरकार को करना चाहिये। इस रिपोर्ट के अध्याय ३ के अनुसार जो वर्गीकरण हुआ है उसको विज्ञापन की दर के मामले में हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी का भेद किये बिना लागू करना उचित होगा, यदि केन्द्रीय सरकार के प्रयत्न से विज्ञापन की दरों में एकरूपता लाने का कोई उपाय किया जा रहा हो तो उसे प्रान्त की परिस्थिति के के अनुसार यहां भी लागू किया जाना चाहिये।

इस समस्या पर प्राप्त अन्य सुझावों पर समिति का मत इस प्रकार है :—

(१) देशी भाषा के समाचार पत्रों की यह शिकायत बहुलांश में सही है कि उनके प्रति सरकार का व्यवहार और भाव वही नहीं होता जो अंग्रेजी पत्रों के प्रति होता है। यह शिकायत उससे कुछ मिलती जुलती है, जो अंग्रेजी के भारतीय स्वामित्व के पत्रों को १५ अगस्त, १९४७ के पूर्व प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों से रहती थी कि हमें अंग्रेजी स्वामीत्व के पत्रों की बराबरी का स्थान जान बूझ कर नहीं दिया जाता। आज की स्थिति में अंग्रेजी और हिन्दी, उर्दू के पत्रों के बीच का अन्तर भी उसी प्रकार मिट जाना चाहिये जिस प्रकार अंग्रेजों द्वारा संचालित पत्रों और भारतीयों द्वारा संचालित पत्रों के बीच होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार का अन्त हो गया है। इस सम्बन्ध में इससे अधिक संकेत करना आवश्यक नहीं है कि प्रेस कान्फ्रेन्सों के तथा अन्य अवसरों के निमंत्रण भेजते समय, बैठने का स्थान निर्धारित करते समय, सरकारी समितियों आदि के संघटन में तथा पत्रकारों को दिये जाने वाले सरकारी पद और नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में भारतीय भाषा के पत्रकारों के प्रति न केवल पूर्ण न्याय, बल्कि कुछ उदारता भी की जानी चाहिये, जिससे पहले का अन्याय मिट सके और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हो सकें।

(२) सरकारी सूचनायें, विज्ञप्तियां, रिपोर्ट, नेताओं और माननीय सचिवों एवं पार्लमेन्टरी सेक्रेटरियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों के भाषण और लेख आदि सरकार की ओर से मूलतः हिन्दी में दिये जायं और उनका अनुवाद अंग्रेजी पत्रों को दिया जाय। कम से कम यह तो होना ही चाहिये कि एक भी सरकारी प्रकाशन ऐसा न हो जो अंग्रेजी के पत्रों को दिया जाय और हिन्दी के पत्र उससे वंचित रहें। इस सम्बन्ध में समिति इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहती कि उपरोक्त सुझाव मौलिक नहीं, सरकार के घोषित नियमों के अनुकूल ही है और उसका पालन करना स्वयं सरकार के लिये उचित है। सरकारी सामग्री का हिन्दी के पत्रों द्वारा जितना अधिक से अधिक प्रचार हो सकता है उतना अंग्रेजी के पत्रों द्वारा नहीं।

(३) देशी भाषा के अखबारों के अधिक प्रचार और उन्नति में सबसे बड़ी बात गमनागमन के साधनों की कमी है। आज समाचार पत्रों का प्रसार शहरों में ही सीमित है। समाचार पत्रों के अधिकाधिक प्रसार के लिये यह आवश्यक है कि उनकी

पहुंच दूर ग्राम भागों में भी हो। रेडियो एक प्रकार से समाचार पत्रों का प्रतिस्पर्शी माना जाता है। उसका प्रचार सुदूर ग्राम भागों में तीव्र गति से हो रहा है। रेडियो ने समाचार पत्रों को इस क्षेत्र में परास्त कर दिया है, यद्यपि प्रचार क्षेत्र में रेडियो की अपेक्षा समाचार पत्र बहुत पुराना है। इसका कारण स्पष्ट है। वह यह कि समाचार पत्रों को ग्राम भागों में पहुंचने के लिये जिन साधनों की अपेक्षा है, उनका मुखापेक्षी रेडियो को नहीं होना पड़ता। गमनागमन के साधनों का विस्तार सरकार के विकास की योजना का एक अंग है। समाचार पत्रों द्वारा समाज की होने वाली चतुर्मुखी सेवाओं का ध्यान रखते हुये सरकार के लिये उचित है कि पत्रों के लिये गमनागमन की सुविधा शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध करे, इससे हिन्दी के पत्रों को उस प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा से छुटकारा मिल जायगा जो उन्हें आजकल अंग्रेजी पत्रों से करनी पड़ती है। यह बात ध्यान में रखने की है कि हर एक हिन्दी पत्र को सम्पूर्ण हिन्दी क्षेत्र या इस प्रान्त के अधिकांश क्षेत्र में अपना प्रसार करने की सुविधा नहीं हो सकती। कई कारणों से बाहरी पत्र अपने निकटवर्ती जिले के पत्र के मुकाबले में पुराना और व्यर्थ सा हो जाता है। प्रत्येक जिले के पत्र को यदि अपने ही जिले के ग्राम भाग में प्रसारित होने का मौका मिले तो जनता की सेवा पर्याप्त रूप से हो और इस उद्योग की अभिबृद्धि भी हो। प्रान्तीय सरकार को अपने रोडवेज की मोटरों आदि साधनों द्वारा दूरस्थ गावों में रियायती दर पर समाचार पत्रों के बंडल पहुंचाने का प्रबन्ध करना चाहिये। लोक- तंत्र प्रणाली की रक्षा के लिये भी यह आवश्यक है कि समाचार पत्रों का प्रसार ग्राम भागों में अधिकाधिक हो।

समिति का मत है कि हिन्दी समाचार पत्र उद्योग का भविष्य उज्ज्वल करना आवश्यक है, जिससे हिन्दी सम्पादकवर्ग की आर्थिक स्थिति तथा काम की हालत और शर्तों में भी पर्याप्त सुधार और उन्नति हो सके। इस लिये समिति ऊपर दिये गये सुझाव के अनुसार इस दिशा में उद्योग करने की सिफारिश प्रान्तीय सरकार से करती है और आशा करती है कि जिस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी उसे प्राप्त करने का प्रयत्न भी प्रान्तीय सरकार करेगी। यदि प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालकर समाचार पत्रों की डाक की दर में और कमी करा सके तो ग्रामभाग में अखबारों के प्रचार में और सहायता मिले। एक समय "पाई पोस्टेज" का आन्दोलन पत्रकारों की ओर से उठाया गया था। यदि यह मांग केन्द्रीय सरकार स्वीकार कर सके तो उत्तम हो।

इस सिलसिले में समिति पत्र संचालकों से भी दो शब्द कहना चाहती है। उसका मत है कि देशी समाचार पत्रों के स्तर को ऊंचा करने में सरकारों के साथ ही पत्र संचालक भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उदाहरणार्थ पत्र कार्यालय में पठन-पाठन की यथेष्ठ सामग्री संग्रहीत करना पत्र संचालकों का कर्तव्य है। राजनीति, भूगोल आदि विषय के साथ भाषा संस्कार आदि विषयक पुस्तकों का पुस्तकालय प्रत्येक पत्रकार्यालय में होना चाहिये। इसके अलावा अच्छे लेखादि प्राप्त करने के लिये पर्याप्त कोष की व्यवस्था करना भी उनका कर्तव्य है।

अध्याय १०

मुख्य सिफारिशों का सारांश

अवलोकन और अध्ययन की सुविधा के लिये हम अपनी मुख्य सिफारिशों का सारांश अध्यायक्रम से यहां देते हैं :—

१ समाचार पत्र उद्योग की उन्नति के लिये तथा उसमें लगे कर्मचारियों के काम की हालत एवं आर्थिक अवस्था का सुधार करने के लिये प्रान्तीय सरकार उक्त उद्योग में हस्तक्षेप करे और इस हेतु इस समिति की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक कानून अविलम्ब बनावे।... ... ... अध्याय २

२ छोटे बड़े सभी प्रकार के पत्रों को उक्त कानून की परिधि में लाने के लिये उनका वर्गीकरण निम्न लिखित ढंग से किया जाय, जिससे उद्योग के नैसर्गिक विकास में बाधा न पड़े और साथ ही उसके कर्मचारियों की हितरक्षा भी समुचित रूप से हो सके :

(क.) श्रेणी ... (१) सरकुलेशन (वितरण) १०,००० प्रतियां और उससे ऊपर या
(२) लगाई हुई पूंजी ३ लाख रूपये या उससे ऊपर, या
(३) वार्षिक आय ३ लाख रुपये या उससे ऊपर।

(ख.) श्रेणी ... (१) सरकुलेशन (वितरण) १०,००० प्रतियों से कम और ५,००० प्रतियों से अधिक, या
(२) लगाई गई पूंजी १ लाख रुपये और ३ लाख रुपये के बीच या
(३) वार्षिक आमदनी १ लाख और ३ लाख रूपये के बीच।

(ग.) श्रेणी ... (१) सरकुलेशन (वितरण) ५ हजार प्रतियों से कम, या
(२) लगाई गई पूंजी १ लाख रूपये से कम, या
(३) वार्षिक आय १ लाख रूपये से कम।

उपर्युक्त व्याख्या में प्राप्त ऋण और दान, पूंजी में शामिल माने जायेंगे।

अध्याय ३

३ (१) वेतन निर्धारण तथा अन्य सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये समाचार पत्र उद्योग के कर्मचारियों का वर्गीकरण, १. सम्पादकीय विभाग तथा २. प्रबन्ध विभाग में किया जाय और उक्त दोनों विभागों का क्रम गत श्रेणी विभाजन इस प्रकार हो :—

(१) सम्पादकीय विभाग

१. सम्पादक,

२. सहायक सम्पादक, समाचार सम्पादक,

३. उप सम्पादक (सब एडीटर) और स्टाफ रिपोर्टर।

४. प्रूफरीडर संगसाज और कातिब।

(२) **प्रबन्ध विभाग**

१. जनरल मैनेजर,

२. असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर,

३. विज्ञापन मैनेजर, सरकुलेशन मैनेजर, प्रेस मैनेजर, और मुनीम,

४. क्लार्क्स और टाइपिस्ट,

(२) इस उद्योग के कर्मचारियों के मानसिक तथा शारीरिक श्रम का ध्यान रखते हुये उन्हें अन्य बुद्धिजीवी सरकारी तथा गैर सरकारी वेतन भोगी वर्गों के समान सम्मानपूर्वक जीवन विताने की सुविधा देने तथा शोषण से उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से उनका आधारभूत न्यूनतम प्रारम्भिक वेतन इस प्रकार निश्चित कर दिया जाना चाहिये :—

(१) प्रूफरीडर संगसाज या कातिब का आधारभूत वेतन प्रतिमास ... १०० रु०

(२) उप सम्पादक (आपरेन्टिस या उम्मेदवार) के शिक्षण काल का वेतन प्रति मास ... १०० रु०

(३) उप सम्पादक और स्टाफ रिपोर्टर,
- (क) (श्रेणी के पत्रों में) प्रति मास ... २०० रु०
- (ख) (,, ,,) ,, ... १५० रु०
- (ग) (,, ,,) ,, ... १५० रु०

(४) सहायक सम्पादकों का आधारभूत वेतन,
- (क) (श्रेणी में) प्रतिमास ... ४०० रु०
- (ख) (श्रेणी में) ,, ... ३५० रु०
- (ग) (श्रेणी में) ,, ... ३०० रु०

(५) सम्पादकों का आधारभूत वेतन,
- (क) (श्रेणी के पत्रों में) प्रतिमास ... ६०० रु०
- (ख) (,, ,,) ,, ५२५ रु०
- (ग) (,, ,,) ,, ... ४५० रु०

प्रबन्ध विभाग पर यह वेतन दर उनके क्रम संख्या के अनुसार लागू की जाय। चपरासियों और निम्न श्रेणी के अन्य कर्मचारियों का न्यूनतम आधारभूत वेतन मंहगाई के भत्ते के साथ कम से कम ४० रुपया प्रति मास होना चाहिये।

(३) इसका विधान किया जाय कि विभिन्न पत्रों के एक ही प्रकार के कर्मचारियों का पारिश्रमिक एक ही काम के लिये एक सा हो।

(४) समाचार पत्र सम्पादन कला बिना व्यवहारिक ज्ञान के सीखीनहीं जा सकती। परन्तु इस शिक्षाकाल की निश्चित अवधि होनी चाहिए। इस लिये समाचार पत्र कार्यालय में ही सम्पादन कला की शिक्षा प्राप्त करने की अवधि लगभग एक वर्ष निश्चित की जाय ।

(५) समाचार पत्र उद्योग में योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिये इस उद्योग में काम करने वाले उप सम्पादकों की कम से कम योग्यता ग्रेजुएट या उसके समकक्ष की रखी जाय, किन्तु अनुभवी और योग्य व्यक्तियों के लिये इसका बन्धन न रखा जाय। यही नियम मुफस्सिल संवाददाताओं पर भी लागू हों।

अध्याय ४

४. (१) समाचार पत्र उद्योग में दिन और रात के काम के घंटे, शिफ्ट (पारी) की ड्यूटी, ओवरटाइम के काम का पारिश्रमिक आदि के निर्धारण की जो अव्यवस्था तथा अनियामन है, उसका अन्त करने के उद्देश्य से निम्न लिखित नियम इस सम्बन्ध के कानून में बनाये जाने चाहियेः—

"समाचार पत्र उद्योग के कर्मचारियों के काम के घंटे, दिन में ६ और रात में ५ घंटे होंगे। शिफ्ट की व्यवस्था सम्पादक वर्ग के स्वास्थ्य विषयक सुविधाओं तथा पत्रों के प्रकाशन की सुविधा को ध्यान में रखकर की जानी चाहिये। सम्पादकीय अथवा प्रबन्ध विभाग के किसी कर्मचारी से छुट्टी (कार्यालय की बन्दी) के दिन पूरे शिफ्ट या उसके किसी अंश का काम लेने पर अथवा एक ही दिन में दूसरे शिफ्ट का काम लेने पर प्रत्येक अतिरिक्त शिफ्ट या उसके अंश के लिये वह पूरे दिन के वेतन का अधिकारी होगा।

(२) क. अनिवार्य साप्ताहिक विश्राम, ख. कार्यालय की छुट्टी (बन्दी) अर्थात् पर्वों और त्योहारों की छुट्टियां तथा ग. आकस्मिक, कैजुएल, एवं घ. अर्जित (प्रिवि-लेज) छुट्टियों के सम्बन्ध में कोई प्रचलित सर्वमान्य नियम न होने के कारण बनी हुई अव्यवस्था को दूर करने के उद्देश्य से निम्न लिखित नियम बनाये जाने चाहियें,

(क) प्रत्येक कर्मचारी के लिये साप्ताहिक विश्राम का कोई न कोई दिन निश्चित होना चाहिये। साप्ताहिक और मासिक अखबारों में सब कर्मचारियों के लिये एक दिन निश्चित हो जाना चाहिये। यदि दैनिक पत्र कार्यालय में किसी कर्मचारी से पूर्व घोषित विश्राम के दिन काम लिया जाय तो इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये कि अगले दिन उसे विश्राम का दिन मिल जाय। लगातार ८ दिन से अधिक काम लेना गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिये।

(ख) जिस प्रकार समाचार पत्र कार्यालय के फैक्टरी विभाग में सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक (गजटेड) छुट्टियां दी जाती हैं उसी प्रकार सम्पादकीय और व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों को भी छुट्टियां दी जानी चाहियें। इसके साथ ही यह भी अनि-वार्य कर दिया जाना चाहिये कि निम्न लिखित राष्ट्रीय त्योहारों, पर्वों या उत्सवों के दिन अखबारों को अपना कार्यालय बन्द रखना पड़ेगा:—

अनिवार्य छुट्टियां

(१)	होली (परिवा)	१ दिन
(२)	ईदुलफितर	१ दिन
(३)	स्वतंत्रता दिवस (१५ अगस्त)	१ दिन
(४)	जन्माष्टमी	१ दिन
(५)	गांधी जी का जन्म दिवस	१ दिन
(६)	दशहरा	१ दिन
(७)	ईदुज्जुहा	१ दिन
(८)	दीपाली, (परिवा)	१ दिन
(९)	मुहर्रम	१ दिन

इच्छानुसार छुट्टियां

(१)	नव वर्ष (पहली जनवरी)	१ दिन
(२)	बसंत पंचमी	१ दिन
(३)	शिवरात्रि	१ दिन
(४)	रक्षा बन्धन	१ दिन
(५)	होली दूज	१ दिन
(६)	बारावफात	१ दिन
(७)	दीपावली दूज	१ दिन
(८)	गुड फ्राइडे	१ दिन

अनिवार्य छुट्टियों और इच्छानुसार छुट्टियों में अन्तर यह है कि पत्र संचालक या प्रकाशक के लिये अनिवार्य छुट्टी के दिन कार्यालय में छुट्टी (पूर्णतः बन्दी) घोषित करनी पड़ेगी और इच्छानुसार छुट्टी के लिये उस पर इसका बन्धन न होगा। अर्थात् वह उस दिन कार्यालय खुला घोषित कर सकता है, परन्तु कर्मचारी चाहे तो उस दिन छुट्टी ले सकता है और इससे उसकी अन्य किसी छुट्टी पर प्रभाव न पड़ेगा। इन छुट्टियों और साप्ताहिक विश्राम की छुट्टियों का कोई सम्बन्ध नहीं माना जायेगा। यदि इच्छानुसार छुट्टी के दिन कार्यालय खोला जाय और कर्मचारियों से काम लिया जाय तो उन्हें उस दिन के वेतन का दुगुना वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) और (घ) समाचार पत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में १५ दिन की आकस्मिक (कैजुएल) छुट्टी लेने का अधिकार होना चाहिये। एक वर्ष में ३० दिन की अर्जित (प्रिविलेज) छुट्टियां देने की व्यवस्था होनी चाहिये, परन्तु इसे ६० दिन से अधिक संग्रहीत करने का अधिकार पत्रकारों को नहीं होना चाहिये। मेडिकल छुट्टी के लिये सरकारी कर्मचारियों के लिये बने नियम समाचार पत्रों के कर्मचारियों पर लागू किये जायं।

(३) दीर्घकाल तक घोर परिश्रम करने के बाद अवसर ग्रहण करने पर पुनः जीविका उपार्जन करने की समस्या से पत्रकारों की रक्षा करने के लिये यह आवश्यक है कि उनके लिये प्राविडेंट फंड और बीमे की व्यवस्था की जाय। संकट की अवस्था में रिपोर्ट लेने का काम करने वाले संवाददाताओं के लिये भी बीमे की व्यवस्था आवश्यक है। अतः यह नियम बन जाना चाहिये कि समाचार पत्र उद्योग के कर्मचारियों को २ आना प्रति रुपये की दर से प्राविडेन्ट फंड मिले, जिसका आधा कर्मचारी जमा करें और आधा मालिक दें। बीमे के लिये सरकार अपने तथा बीमा व्यवसाय के विशेषज्ञों से परामर्श पर स्टेट इंश्योरेन्स स्कीम से मिलती जुलती कोई योजना लागू करे।

(४) गर्मी और जाड़े के दिनों में रात में काम करने वाले कर्मचारियों को मनुष्यता के नाते ऐसी सुविधा दिलायी जाय जो उनके स्वास्थ्य के लिये परमावश्यक है और जिनसे समाचार पत्र उद्योग के भी लाभ ही होगा। गर्मी में रात में पर्याप्त हवा और रोशनी का प्रबन्ध, जाड़ों में अंगीठी या हीटरों का प्रबन्ध होना चाहिये। रात या दिन में पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिये और रात में दो ढाई बजे तक काम करने के बाद विश्राम करने का स्थान और पलंग विस्तर आदि की सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की जानी चाहिये। फैक्ट्री ऐक्ट की धारा १३ और १९ के अनुसार जिस प्रकार की सुविधायें प्रेस के कर्मचारियों को प्राप्त हैं उसी प्रकार की सुविधायें सम्पादकीय तथा प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों के सामाजिक जीवन स्तर का ध्यान रखते हुये इस कानून के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जायं। समाचार पत्र कार्यालयों में कैन्टीन की व्यवस्था कराई जाय और उसकी लागत का एक तिहाई प्रबन्धक दें। यह व्यवस्था सहयोग प्रणाली के आधार पर हो तो अच्छा है। ... ... अध्याय ५

५ कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन देने के लिये तथा नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में प्रचलित अव्यवस्था का अन्त करने के लिये निम्न लिखित नियम बनाये जाने चाहिये.....

(१) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति के समय उसे एक नियुक्ति पत्र मिलना चाहिये, जिसमें उसके आधारभूत प्रारम्भिक वेतन, पद और वार्षिक वेतन वृद्धि और पद वृद्धि की शर्तें लिखी होनी चाहिये।

(२) पत्रकार पर किसी भी अवस्था में जुर्माना करने का अधिकार पत्र संचालक या मालिक को नहीं होना चाहिये।

(३) कर्मचारी की मुअत्तली उस अवस्था में होनी चाहिये जब उस पर किसी अनैतिक अपराध का सन्देह हो या नौकरी की शर्तें तोड़ने का आरोप उस पर किया गया हो। मुअत्तली के बाद अपराध की जांच में जितना समय लगे उसमें कर्मचारी को इस सम्बन्ध के सरकारी नियमके अनुसार एक तिहाई वेतन दिया जाना चाहिये। मुअत्तली के बाद उस पर लगाये गये आरोप की जांच में तीन मास से अधिक का समय नहीं लिया जाना चाहियेऔर अपराध साबित न होने पर उसको वहाल कर दिया जाना चाहिये।

(४) कम से कम ५ वर्ष तक की नौकरी पर एक महीने का नोटिस देकर ही

बरखास्तगी की जानी चाहिये। इसके ऊपर नौकरी की अवधि का ख्याल करते हुये अधिक से अधिक तीन मास का नोटिस दिया जाना चाहिये।

(५) अन्य मामलों में वे ही नियम लागू होने चाहियें जो ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अनुसार अन्य उद्योगों के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

(६) पत्र संचालक या मालिक पर इसका कानूनी बन्धन कर दिया जाना चाहिये कि यदि उनके अखबार के सम्पादन कार्य के सिलसिले में कोई पत्रकार कानूनी शिकंजे में पड़ जाता है तो उसके मुकदमें का पूरा खर्च उक्त मालिक या संचालक को उठाना पड़ेगा, उसे माकूल ढंग से उसकी सफाई का प्रबन्ध करना पड़ेगा और यदि दुर्भाग्यवश पत्रकार दंडित हो जाय तो आर्थिक दंड मालिक या संचालक को देना होगा तथा कारावास का दंड होने पर जितने दिन कर्मचारी जेल में हो उतने दिन का पूरा वेतन उसे देना होगा। परन्तु यदि कर्मचारी ने जानबूझ कर अपराध किया हो तो मुकदमे में सफाई देने के लिये मालिक बाध्य न होगा।

(७) पत्र संचालन में सम्पादकीय विभाग का राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कराने के लिये तथा संचालक और जनता का सम्पर्क बनाये रखने के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाय कि जहां पत्र के मालिक स्वयं सम्पादक हैं, वहां सम्पादकीय विभाग की ओर से चुना गया एक प्रतिनिधि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स (संचालक मंडल) में लेना होगा। जहां ट्रस्ट या प्रबन्ध समिति हो वहां उक्त ट्रस्ट या प्रबन्ध समिति में पत्र के सम्पादक को पूरे कानूनी अधिकारसमेत नियुक्त किया जाय।... ... ... अध्याय ६

६ (१) इस उद्योग से सम्बन्धित सम्भावित झगड़ों का निपटारा करने के लिये एक ट्रिब्युनल संघटित की जाय जिसमें समाचार पत्रों के सम्पादकीय विभाग के एक प्रतिनिधि, पत्रों के मालिकों के एक प्रतिनिधि और न्याय विभाग का सरकार द्वारा नामजद एक उच्च अधिकारी हो। इस ट्रिब्युनल का प्रधान कार्यालय लखनऊ में हो और उसे यह अधिकार हो कि किसी भी मामले को स्थानीय रीजनल कन्सिलियेशन अफसरों के द्वारा तय करा दें। इस ट्रिब्युनल को वे सब अधिकार भी होने चाहियें जो प्रान्तीय और केन्द्रीय ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्टों के द्वारा संघटित पंचायतों को प्राप्त हैं या प्रान्तीय सरकार की मजदूर जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर भविष्य में संघटित होने वाली पंचायतों को प्राप्त हों। वेजबोर्ड के अधिकार भी उक्त ट्रिब्यूनल को मिलने चाहिये।

(२) पंचायत में मामले उपस्थित करने के प्रयोजन के लिये युक्त प्रातीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (यू० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन) को पत्रकारों की ट्रेड यूनियन संस्था मान लेनी चाहिये।... ... ... अध्याय ७

७ समाचार पत्र संवाददाताओं की अनिश्चित, अस्थिर और आर्थिक दृष्टि से कष्टप्रद और अपमानकर अवस्था से उद्धार कर उनके सम्मानजनक कार्य के अनुकूल पारिश्रमिक और नौकरी की शर्तें प्राप्त कराने के लिये निम्न लिखित व्यवस्था की जाय:—

(१) शहरों को तीन श्रेणी में विभाजित किया जाय और लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और आगरा को प्रथम श्रेणी का, एक लाख से ऊपर की आवादी

वाले शहर और व्यापारिक मंडियों को द्वितीय श्रेणी में तथा एक लाख से नीचे की आबादी वाले साधारण कस्बे तृतीय श्रेणी में रखे जाँय। इन स्थानों के संवाददाताओं को मासिक रिटेनर भत्ता और पारिश्रमिक इस प्रकार दिया जाय........

		'क' श्रेणी के समाचारपत्र	'ख' श्रेणी के समाचारपत्र	'ग' श्रेणी के समाचारपत्र
पांच बड़े शहर	...	५० रु०	३० रु०	१५ रु०
द्वितीय श्रेणी, एक लाख से ऊपर की आबादी	...	३० रु०	२० रु०	१० रु०
तृतीय श्रेणी, एक लाख से नीचे की आबादी	...	१५ रु०	१० रु०	५ रु०

इसके अतिरिक्त सभी शहरों के संवाददाताओं को प्रति हजार शब्द एक सा पारिश्रमिक मिलना चाहिये। किन्तु यह रकम पत्रों की श्रेणियों के अनुसार इस प्रकार हो :—

(क) श्रेणी के पत्र ... ... १० रूपया प्रति हजार शब्द
(ख) श्रेणी के पत्र ... ... ७ रूपया ,, ,,
(ग) श्रेणी के पत्र ... ... ५ रुपया ,, ,,

इन दोनों के सिवा सवारी भत्ता, दफ्तर, तार, चिट्ठी पत्री, टेलीफोन आदि का व्यय प्रत्येक पत्र अपनी आवश्यकतानुसार करे।

समिति का मत है कि उपरोक्त ५ बड़े शहरों के संवाददाताओं, पत्र के वेतन-भोगी कर्मचारी (स्टाफमैन) माने जायं और इन्हें प्राविडेन्ट फंड, बोनस, बीमा आदि तथा साप्ताहिक विश्राम और सामान्य छुट्टी आदि के वे ही अधिकार और स्वत्व मिलें जो पत्र के सदर दफ्तर के कर्मचारियों को हैं। अन्य शहरों के संवाददाताओं पर भी छुट्टियों के वे ही कायदे लागू होने चाहिये। यदि कोई मुफस्सिल या स्टाफ संवाददाता भी ३ साल की नौकरी करने के बाद दिवंगत हो जाय या पत्र की सेवा करते हुए खतरे का सामना करके पंगु हो जाय तो उसके परिवार को कम से कम एक वर्ष का रिटेनर वेतन मुआवजे के रूप में दिया जाना चाहिये। तीन साल से कम अवधि की नौकरी में ऐसी दशा हो जाने पर भी उसके परिवार के प्रति सहानुभति पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

(२) असोशियेटेड प्रेस और यूनाइटेड प्रेस जैसी संवाद समितियों के कर्मचारियों और संवाददाताओं के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जाय....

१. एडीटर इंचार्ज, असिस्टेन्ट एडीटर, सब एडीटर और रिपोर्टर को प्रथम श्रेणी के समाचार पत्र के उनके समकक्ष कर्मचारियों के बराबर वेतन तथा अन्य सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार हो, और

२. टाइपिस्ट, मैकेनिक, आपरेटर को प्रथम श्रेणी के समाचार पत्रों के जूनियर सब एडीटर या रिपोर्टर के समकक्ष माना जाय।

३. जिन स्थानों के संवाददाताओं को, ये ऐजेन्सियां कालम के हिसाब से पारिश्रमिक देती हैं, उनके विषय में समिति की सिफारिश यह है.....

प्रथम श्रेणी के नगरों में १५० रूपया, द्वितीय श्रेणी के नगरों में १०० रू०,

और तृतीय श्रेणी के नगरों में ५० रूपये रिटेनर और १० रूपये प्रति हजार शब्द पारिश्रमिक मिले। ... ... अध्याय ८

स्वतंत्र लेखकों के सम्बन्ध में अपेक्षित आंकड़े समिति को प्राप्त नहीं हो सके। इनके सम्बन्ध में कोई राय देना समिति के लिये बहुत कठिन है, क्योंकि स्वतंत्र लेखकों का वर्गीकरण करना सम्भव नहीं है। उनके लेखों का मूल्यांकन किसी निश्चित नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता। अखबारों की सामर्थ्य और स्टैन्डर्ड पर भी यह बात बहुत कुछ निर्भर रहती है, और फिर यह कोई आवश्यक नहीं कि स्वतंत्र लेखकों के लेखों के बिना अखबार चल नहीं सकते। फिर भी समिति यह समझती है कि ऐसे कुछ नियम होने चाहिये जिससे लेखकों को निश्चित आय का कुछ आश्वासन मिल सके और पत्र संचालक उनका शोषण न कर सकें।

८ हिन्दी समाचार पत्रों के स्तर की उन्नति पर ही प्रान्त के समाचार पत्रों, उसके कर्मचारियों तथा अन्ततोगत्वा प्रान्त का भी भविष्य निर्भर है। अतः समाचार पत्रों की सामान्यतया तथा उनके स्तर की विशेषतया उन्नति करने के लिये निम्न लिखित उपाय किये जायें.......

(१) कम पूंजी का बहाना लेकर समाचार पत्र प्रकाशक या संचालक सम्पादकीय तथा अन्य विभाग के कर्मचारियों का शोषण न कर सकें।

(२) हिन्दी टेलीप्रिंटर संवाद प्रेषक समिति स्थापित करने में सरकार सहायता करे।

(३) सरकार हिन्दी के टाइपराइटरों और मोनो टाइप मशीनों का अधिकाधिक उपयोग बढ़ाने में यथाशक्य सहायक बने तथा लाइनो टाइप मशीन के अन्वेषण और परिष्कार के लिये उचित कार्रवाई करे।

(४) देशी भाषा के समाचार पत्रों को अंग्रेजी समाचार पत्रों की अपेक्षा कम दर पर विज्ञापन मिलने की प्रथा का अन्त कर दिया जाय। हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के पत्रों की विज्ञापन दर में एकरूपता लाने का उपाय किया जाय।

(५) सरकार समाचार पत्र प्रतिनिधियों से व्यवहार करने में किसी भाषा विशेष के प्रति पक्षपात न करे और अब तक ऐसे मामलों में देशी भाषा पत्रों के प्रति जो अन्याय हुआ है उसे मिटाने का उपाय किया जाय।

(६) सरकारी सूचनायें विज्ञप्तियां, रिपोर्ट, नेताओं, माननीय सचिवों, पार्लमेन्टरी सेक्रेटरियों तथा अन्य अधिकारियों के भाषण और लेखादि सरकार की ओर से मूलतः हिन्दी में दिये जायें और उनके अनुवाद अन्य भाषाओं के पत्रों को दिये जायं।

(७) सुदूर ग्राम भागों में सरकारी रोडवेज तथा अन्य साधनों के द्वारा सस्ती दर पर अखबारों के बंडल पहुंचाने की व्यवस्था सरकार अति शीघ्र करे।

(८) समाचार पत्र संचालक और मालिक, कर्मचारियों के लिये पठन पाठन की सामग्री, राजनीति, भूगोल, सामयिक विषय तथा भाषा संस्कार आदि की पुस्तकें संग्रहीत

करें और अच्छे लेखादि लिखाने तथा लेखकों को प्रोत्साहित करने में उदार दृष्टि से काम लें।

अध्याय ९

चरणसिंह (अध्यक्ष)
* विजयकुमार मिश्र
अमीन सलोनवी
अनीस अहमद अब्बासी
ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'
* श्री राम शर्मा
हमीदुल अनसारी गाजी
मकीन अहसन कलीम
* कृष्ण चन्द्र शर्मा
महीपतराम नागर
जीवाराम पालीवाल
कमलापति त्रिपाठी
* परमेश्वरी लाल गुप्त
सत्येन्द्रनाथ सान्याल
हरिशंकर विद्यार्थी
अब्दुल रऊफ़ अब्बासी
श्री नाथ सिंह

विद्याभास्कर
(मंत्री)

---

* चिन्हित सदस्यों ने मतभेद-सूचक टिप्पणी दी है।

परिशिष्ट क १

संयुक्त प्रान्तीय समाचार पत्र उद्योग जाँच समिति की रिपोर्ट

सदस्यों की सूची और उपस्थिति का विवरण

(पुनर्निर्माण के पूर्व)

बैठकों की तारीखें-- पहली--८ जुलाई, १९४७; दूसरी--२ अगस्त, १९४७

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सरकारी आज्ञा जिसके अनुसार मनोनीत हुए	बैठकों की संख्या: उपस्थिति के लिये	बैठकों की संख्या: उपस्थिति	विशेष सूचना
१	श्री केशवदेव मालवीय, सूचना सचिव के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी	जून १८, १९४७ की सरकारी विज्ञप्ति संख्या ६४२१।१९, १८४।४६	२	२	अध्यक्ष
२	श्री जीवाराम पालीवाल	,,	२	२	
३	श्री परमेश्वरीलाल गुप्त	,,	२	२	
४	श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'	,,	२	२	
५	श्री कमलापति त्रिपाठी	,,	२		
६	श्री हरिशंकर विद्यार्थी	,,	२		
७	श्री महीपतराम नागर	,,	२	२	
८	श्री अनीस अहमद अब्बासी	,,	२	१	
९	श्री हमीदुल अंसारी गाजी	,,	२	२	
१०	श्री अब्दुल रऊफ़ अब्बासी	,,	२	२	
११	श्री कृष्णचन्द्र शर्मा	,,	२	२	
१२	श्री विजयकुमार मिश्र	,,	२	२	
१३	श्री अमीन सलोनवी	,,	२	१	
१४	श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव	,,	२	१	पद त्याग कर दिया
१५	श्री चेलपति राव	,,	२	१	,,
१६	श्री अयूब कुरेशी	,,	२	१	
१७	श्री मुहम्मद अशीर	,,	२	१	पाकिस्तान चले गये

परिशिष्ट क २

समाचार पत्र उद्योग जाँच समिति की रिपोर्ट

सदस्यों की सूची और उपस्थिति का विवरण

(पुनर्निर्माण बाद)

बैठकों की तारीखें:
- पहली–१८ मार्च, १९४८ चौथी–२० अगस्त १९४८ सातवीं–७ अक्तूबर १९४८
- दूसरी–१७ अगस्त, १९४८ पांचवीं–२१ अगस्त, १९४८ आठवीं–२२ मार्च १९४८
- तीसरी–१८ अगस्त १९४८ छठीं–२२ अगस्त, १९४८ नवीं–२३ मार्च १९४८

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सरकारी आज्ञा जिसके अनुसार मनोनीत हुए	बैठकों की संख्या		विशेष सूचना
			उपस्थिति केलिये	उपस्थिति	
१	श्री चरण सिंह, एम० एल० ए०, प्रधान सचिव के पारलियामेंटरी सेक्रेटरी	जनवरी १०, १९४८ की सरकारी विज्ञप्ति संख्या १३९९४।१९ १८४।४६	९	९	अध्यक्ष
२	ठाकुर श्रीनाथ सिंह	,,	९	४	
३	श्री जीवाराम पालीवाल	,,	९	६	
४	श्री परमेश्वरीलाल गुप्त	,,	९	९	
५	श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'	,,	९	७	
६	श्री कमलापति त्रिपाठी, एम्. एल. ए.	,,	९	३	
७	श्री हरिशंकर विद्यार्थी	,,	९	१	
८	श्री सत्येंद्रनाथ सान्याल	,,	९	६	
९	श्री महीपतराम नागर	,,	९	७	
१०	श्री अनीस अहमद अब्बासी	,,	९	९	
११	श्री हमीदुल अंसारी गाजी	,,	९	८	
१२	श्री अब्दुल रऊफ अब्बासी	,,	९	४	
१३	श्री फीरोज गांधी	,,	९		
१४	श्री राजबहादुर माथुर	,,	९	५	
१५	श्री कृष्णचन्द्र शर्मा	,,	९	७	
१६	श्री श्रीराम शर्मा	,,	९	४	
१७	श्री विजयकुमार मिश्र	,,	९	९	
१८	श्री अमीन सलोनवी	,,	९	८	
१९	श्री मकीन अहसन कलीम	२२ जून, १९४८ की सरकारी आज्ञा	८	८	

परिशिष्ट ख

समाचार-पत्र उद्योग जांच समिति की प्रश्नावली

(* यह चिन्ह लगे प्रश्नों के उत्तर पत्र संचालकों और पत्रों के कर्मचारियों दोनों तथा शेष प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित सज्जनों से अपेक्षित हैं।)

(क--साधारण)

*१--पत्र का नाम--(क) दैनिक, (ख) अथवा अवधि के अनुसार प्रकाशित।

*२--काम में लगे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या।

(क) सम्पादकीय विभाग।

(ख) प्रबन्ध बिभाग।

ऽ- स्थायी कर्मचारियों के रूप में।

ऽ= अस्थायी कर्मचारियों के रूप में।

ऽ≡ ठेके पर काम करने वालों के रूप में।

ऽ। अंकित काल में काम करने वालों के रूप में।

३--मालिक का नाम। यदि लिमिटेड संस्था या ट्रस्ट है तो मैनेजिंग डाइरेक्टर या मैनेजिंग ट्रस्टी का नाम।

*४--सम्पादकीय तथा प्रबन्ध विभागों के कर्मचारियों में सम्पादक, सहायक सम्पादक, उप सम्पादक, उप सहायक सम्पादक, समाचार सम्पादक, प्रूफरीडर, कातिब, तथा सम्पादकीय विभागों से सम्बन्धित संगसाज, स्टाफ रिपोर्टर, मोफस्सिल संवाददाता, व्यंग चित्र निर्माता, प्रेस तथा समाचार, फोटोग्राफर, जेनरल मैनेजर, विज्ञापन मैनेजर, सरकुलेशन मैनेजर, वर्क्स मैनेजर, मुख्य एकाउन्डेंट, कैशियर टाइपिस्ट एवं अन्य लिखा पढ़ी करने वाले कर्मचारी तथा निम्नश्रेणी के नौकर होते हैं। आप किन मुख्य श्रेणियों में इनका वर्गीकरण करेंगे?

*५--प्रश्न (४) में उल्लिखित विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के वेतन अथवा पारिश्रमिक निर्धारण के हेतु आपकी राय में परीक्षा की कसौटी तथा स्तर का कौन सा आधार उचित होगा? विशेष रूप से यह बतलाइये कि क्लर्कों तथा अन्य सहायकों की कम से कम तनख्वाह क्या होनी चाहिये?

*६--क्या आपके समाचार-पत्र कार्यालय में नियुक्ति, जिसमें तरक्की, वृद्धि, जुर्माना, मुअत्तली, मौकूफी बरखास्तगी आदि शामिल हैं, के विषय में कोई स्थायी नियम लागू है? यदि हैं तो उनकी एक प्रति भेजने की कृपा कीजिये?

*७--सम्पादकीय एवं प्रबन्धक कर्मचारियों के लिये आदर्श नियमावली के विषय में आप कौन सुझाव देना चाहते हैं।

*८--क्या आप यह आवश्यक समझते हैं कि सम्पादकीय कर्मचारियों के एक

प्रतिनिधि को बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में शामिल किया जाय यदि वह कम्पनी लिमिटेड हो, अथवा उनके एक प्रतिनिधि को प्रबन्धक समिति में रक्खा जाय, यदि उद्योग निजी तौर पर चलाया गया हो, अथवा साझे का उद्योग हो, या किसी ट्रस्टी का उद्योग हो।

*९––विभिन्न प्रकार के पत्रों के कर्मचारियों का आधारभूत वेतन किन सिद्धान्तों पर निर्धारित किया जा सकता है? कृपया अपने सुझाव दीजिये।

*१०––यदि अपना कार्य करते हुए कोई पत्रकार, मारा जाय अथवा स्थायी रूप से पंगु हो जाय, तो उस दशा में मालिक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए?

*११––काम करने वाले पत्रकारों के लिये कम से कम शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य योग्यताओं के विषय में आपके क्या सुझाव हैं?

१२––क्या आप अपने पत्र में काम सीखने वालों को वैतनिक अथवा अवैतनिक ट्रेनिंग देने के हेतु लेते हैं? यदि ऐसा है तो आप एकबार में कितने और कितने समय के लिए लेते हैं? यदि कार्य सीखने वाले वैतनिक हैं तो कृपा करके बतलाइये कि उनको क्या वेतन अथवा पारिश्रमिक मिलता है?

*१३––एक ट्रेन्ड पत्रकार के लिए कितना परीक्षणकाल होना चाहिए?

*१४––समाचारपत्र का उस समय क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए जब उसके कर्मचारियों में से कोई अपना कर्त्तव्य करने में किसी दीवानी या फौजदारी के मुकदमे में फंस जाता है?

*१५––मालिकों और कर्मचारियों के झगड़ों को तय करने के लिये आपकी राय में सर्वोत्तम साधन क्या हो सकता है?

*१६––क्या आपकी राय में स्वतन्त्र पत्रकारों के लिए कोई पारिश्रमिक निर्धारण करना उचित है? यदि हाँ, तो आपकी राय में उसका आधार क्या होना चाहिए?

*१७––देशी भाषा के पत्रों के स्तर को ऊँचा करने के लिए आप क्या सुझाव पेश करना चाहते हैं?

*१८––क्या आप पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों के विषय में कोई अन्य सुझाव देना चाहते हैं?

काम के घंटे, छुट्टियाँ इत्यादि

*१९––आपके समाचार पत्र में दैनिक एवं साप्ताहिक कार्य के घंटे कितने हैं?

*२०––आपके पत्र में प्रत्येक पारी (शिफ्ट) का कार्यकाल और प्रत्येकपारी वालों के लिए विश्रामकाल क्या है?

*२१––आपके समाचारपत्र में किस सिद्धान्त के अनुसार निश्चित समय से अधिक कार्य करने के लिए किस दर अथवा दरों से पारिश्रमिक दिया जाता है? यदि एक से अधिक दरें प्रचलित हों, तो इसके कारण बतलाइये?

*२२––क्या आपके समाचारपत्र के सब कर्मचारियों को हफ्ते में एक छुट्टी दी जाती है? यदि सबको नहीं तो इसके कारण बतलाने की कृपा कीजिए?

*२३--साप्ताहिक छुट्टी के अतिरिक्त आपके पत्र कार्यालय में कौन सी अतिरिक्त छुट्टी दी जाती है ? अथवा कितनी सवेतन दी जाती है और प्रत्येक प्रकार की छुट्टी को स्वीकार करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं ? कृपया पूर्ण विवरण दीजिए।

*२४--कर्मचारियों को किस प्रकार की छुट्टी और सामान्य छुट्टियां मिलनी चाहिए, कितने दिनों की और किन शर्तों के साथ ?

वेतन, मंहगाई, भत्ता, बोनस, प्राविडेन्ट फन्ड, इन्श्योरेंस तथा अन्य सुविधायें

२५--सन् १९३८ ई० या युद्ध के पूर्व उससे सन्निकट वर्ष में तथा सन् १९४७ ई० में अपने कर्मचारियों के मुख्य वर्गों की दैनिक और मासिक औसत आमदनी बताइये। यदि दैनिक या मासिक आमदनी में मौलिक वेतन के अतिरिक्त उनको दिया गया अन्य रुपया भी सम्मिलित है, महंगाई, भत्ता और बोनस को छोड़कर, जिनका उल्लेख आगे किया गया है, तो इस प्रकार की दी गयी रकमों का अलग उल्लेख होना चाहिए।

*२६--स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रान्त के विभिन्न केन्द्रों के समाचार पत्र उद्योग में वेतन निर्धारण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

*२७--क्या आप इसको उपयुक्त समझते हैं कि विभिन्न पत्रों में एक ही प्रकार के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक होना चाहिए ?

*२८--क्या आप सिफारिश करेंगे कि कर्मचारियों को आजकल जो युद्ध या महंगाई का भत्ता मिलता है उसको पूरा पूरा या उसके एक भाग को उस हालत में वेतन दरों में शामिल कर दिया जाय, यदि उन्हें वेतन स्केल देने का निश्चय हो जाय। वेतन की दरों में भत्तों को शामिल करने के लिए आप कौन से तरीके को काम में लाने का प्रस्ताव करेंगे ?

*२९--आपके पत्र में महंगाई के भत्ते की कौन सी दरें चालू हैं ?

*३०--क्या आप समझते हैं कि आपके पत्र में महंगाई के भत्ते की तत्काल वृद्धि आवश्यक या सम्भव है ? यदि नहीं तो कारण बतलाइये ? यदि आवश्यक या सम्भव है तो क्या वृद्धि होनी चाहिए ? अपनी गणना का भी आधार बताइये।

*३१--क्या आपका पत्र अपने कर्मचारियों को कोई बोनस देता है ? यदि देता है तो कर्मचारियों का कौन सा अंश इसका अधिकारी है। बोनस और वेतन में क्या अनुपात है ? किसी कर्मचारी के लिए बोनस पाने के योग्य बनने के लिए किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है ? बोनस देने के निमित्त और कौन कौनसी शर्तें हैं ?

३२--आपके पत्र में कितनी पूंजी लगी हुई है और सन् १९३८ ई० से सन् १९४७ ई० तक प्रतिवर्ष कितना कितना लाभ हुआ ? इसके साथ कम से कम निम्नलिखित सूचना दीजिये ?

(क) कितनी लागत पूंजी, पेड अप कैपिटल, और ऋण (डिबेंचर्स और अन्य)

(ख) यन्त्रों आदि का ह्रास (डिप्रिसिएशन) और वृद्धि।

(ग) विभिन्न सुरक्षित पूंजियों का स्थानान्तरण।

(घ) डाइरेक्टरों की फीस तथा एजेन्सी कमीशन।

(ङ) टैक्स में दी गयी रकम। इसमें एक्सेस प्राफिटटैक्स के रूप में दी गयी रकम को अलग से दिखलाइये।

(च) विभिन्न श्रेणियों के हिस्सों पर अदा किया गया मुनाफा (डिविडेंड)।

(छ) एक्सेस प्राफिट टैक्स की वह सुरक्षित पूंजी, जो कि आप गवर्नमेंट से वापस न पाने के अधिकारी हैं।

३३—क्या आपके यहां प्राविडेंट फन्ड के लाभ प्राप्त करने का कोई विधान है? यदि है तो उसमें कितने प्रतिशत मालिक के द्वारा अदा किया जाता है?

३४—क्या कर्मचारियों के लिए जीवन बीमे का भी कोई अनिवार्य विधान है। यदि है तो किस्त में कितना प्रतिशत मालिक के द्वारा अदा किया जाता है?

३५—न्यूनतम अवधि तक नौकरी कर लेने पर कर्मचारियों को ग्रैचुइटी मिलने का भी कोई प्रबन्ध है? यदि है तो किस हिसाब से ग्रैचुइटी दी जाती है?

३६—क्या आपके कर्मचारियों को महंगाई के भत्ते के अतिरिक्त मकान के किराए का या किसी अन्य प्रकार का भत्ता भी मिलता है? यदि मिलता है तो उसका आधार क्या है?

३७—आपके कर्मचारियों को मनोरंजन और खेल कूद के लिए कौन सी सुविधायें दी जाती हैं? पूर्ण विवरण देने की कृपा कीजिये।

३८—आपके कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी कौन कौन सी सुविधायें उपलब्ध हैं? विवरण देने की कृपा कीजिये।

३९—आपके किसी कर्मचारी के रिटायर होने अथवा उसकी मृत्यु होने पर उसके या उसके कुटुम्ब के लिए पर्याप्त प्रबन्ध के निमित्त आपकी राय में कौन सा सर्वोत्तम तरीका होगा?

४०—रात की पारी में काम करने की वर्तमान प्रणाली में कौन से सुधार आवश्यक या सम्भव हैं?

४१—आप के पत्र कार्यालय में स्वास्थ्य रक्षा के लिए कौन कौन से प्रबन्ध होते हैं तथा कौन सी सुविधायें दी जाती हैं?

४२—क्या आप अपने कर्मचारियों के लिए कोई कैन्टीन खोलने की राय देते हैं? यदि हाँ, तो क्या उसे चलाने के लिए प्रबन्धकों को कुछ देना चाहिए?

(भाग ख)

मोफस्सिल संवाददाताओं से

४३—आप कितने समय से संवाददाता का कार्य कर रहे हैं और आप कितने पत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं?

४४—आप की मासिक औसत आय प्रत्येक पत्र से कितनी होती है और किस हिसाब से माहवारी, कालम हिसाब से अथवा लाइन के हिसाब से? क्या आप को

मंहगाई के रूप में या सवारी के निमित्त कोई अन्य प्रकार का भत्ता आदि भी मिलता है ?

४५—क्या आप पूरे समय संवाददाता का कार्य करते हैं या यह आपका सहायक पेशा है ?

४६—मुफस्सिल संवाददाताओं का आप किस प्रकार वर्गीकरण करेंगे और उनके लिए पारिश्रमिक निर्धारण का कौन सा आधार आपकी समझ से उपयुक्त होगा ?

परिशिष्ट ग

संयुक्त प्रान्तीय श्रमजीवी पत्रकार संघः (वर्किंग जर्नलिस्टस फेडरेशनः) लखनऊ से प्राप्त समाचार पत्र उद्योग जांच समिति की प्रश्नावली के उत्तर

खंड क

प्रश्नों के उत्तर--

४--सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों में सम्पादक, संयुक्त सम्पादक, सहायक सम्पादक, समाचार सम्पादक, उप सम्पादक, विशेष प्रतिनिधि, चीफ रिपोर्टर, न्यूज़प्रूफ़ रीडर, मुफस्सिल संवाददाता, कार्टूनिस्ट, प्रेस तथा न्यूज फोटोग्राफर, टाइपिस्ट और सम्पादकीय विभाग से संबन्धित चपरासी सम्मिलित होने चाहिए।

५--सामान्य अनुभव। दूसरे शब्दों में सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों का वेतन कार्य कुशलता के आधार पर निश्चित होना चाहिए।

६--समाचार पत्रों को अलग अलग उत्तर देना है।

७--सभी समाचार पत्रों के लिए नियुक्ति बरखास्तगी तथा काम की शर्तोंके सम्बन्ध में नौकरी के स्तरीकृत नियम होने चाहिए। अपने विभाग के कर्मचारियों को नियुक्त करने, बरखास्त करने या निकाल देने का पूर्ण अधिकार सम्पादक को होना चाहिए।

यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सम्पादकीय विभाग के चपरासियों के अतिरिक्त इस विभाग के अन्य कर्मचारियों को किसी भी दशा में जुर्माने का दंड न दिया जायगा।

प्रत्येक समाचारपत्र के लिये एक ऐसा सम्पादक होना चाहिए जो वास्तव में श्रमजीवी पत्रकार हो। कुछ समाचारपत्रों के मालिक अथवा मैनेजर सम्पादक की हैसियत से भी काम करते हैं इस प्रथा का अन्त होना चाहिए।

८--जी हां। उन्हें सम्पादक होना चाहिए।

९--सरकुलेशन--(वितरण) आय तथा पूंजी का ध्यान रखते हुए दैनिक समाचार पत्रों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों अर्थात् क, ख, ग में होना चाहिए। ग श्रेणी के समाचारपत्रों में सबसे कम वेतन मान होना चाहिए, इसकी अपेक्षा ख श्रेणी में अधिक होना चाहिए तथा क श्रेणी में सबसे अधिक होना चाहिए।

उपर्युक्त तीनों बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि अलग अलग विचार होने पर कर्मचारियों को हानि हो सकती है।

फेडरेशन का यह निश्चित मत है कि किसी समाचारपत्र के स्टाफ रिपोर्टर अथवा उप सम्पादक का आरंभिक वेतन, चाहे वह किसी श्रेणी का हो, किसी भी दशा में १५० रु० से कम न हो। जीवन निर्वाह के स्तर से नीचे गिराकर पत्रकारों का श्रम शोषण करके किसी समाचारपत्र को चालू रखने की अपेक्षा यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि उसे बन्द कर दिया जाय।

१०--यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु हो गई है अथवा वह अशक्त हो गया है तो उसके मालिकसे उसके परिवार को पूरा मुआविजा मिलना चाहिए। मुआविजे की रकम पत्रकार की हैसियत के अनुसार निश्चित होनी चाहिए। मालिकों को ऐसे सभी विशेष प्रतिनिधियों, संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों के जीवन तथा अशक्तता का बीमा कराना चाहिए जिन्हें मालिक या सम्पादक समाचार पत्र सम्बन्धी काम से बाहर भेजते हैं।

११--इसके लिए उपयुक्त सामान्य ज्ञान का निर्धारण करना सम्पादक की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए।

१३--ट्रेनिंग प्राप्त पत्रकार के लिए प्रोबेशन की अवधि एक माह की तथा अपरेन्टिस के लिए छः माह की होनी चाहिए--ट्रेनिंग से आशय है किसी समाचारपत्र में काम करने का वास्तविक अनुभव।

किसी समाचारपत्र कार्यालय के सम्पादकीय विभाग में एक समय में दो से अधिक अपरेन्टिस न होने चाहिए।

१४--पूर्ण उत्तरदायित्व।

१५--एक संयुक्त कंसीलिएसन कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्रबन्ध तथा सम्पादकीय दोनों विभागों के प्रतिनिधि हों प्रबन्ध विभाग में कारखाना भी सम्मिलित होगा और असाधारण मामलों में इसका अध्यक्ष सरकार का कोई प्रतिनिधि होगा।

१६--कालमों के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रचलित दरों पर विशेष योग्यता पाने वाले लेखकों को विशेष पारिश्रमिक देना सम्पादक की इच्छा पर निर्भर हो।

१७--उनका स्तर प्रान्त के अंग्रेजी समाचार पत्रों के स्तर के बराबर उठाया जाय इसके निमित्त यह आवश्यक है कि उनके पृष्ठों की संख्या बढ़ाई जाय और उपयुक्त कर्मचारियों, समाचार प्राप्त करने तथा ऐसी अन्य विशेष सुविधायें भी उन्हें प्राप्त हों जो सामान्यतः अंग्रेजी समाचारपत्रों के प्रबन्धकों को प्राप्त हैं।

१८--संयुक्त प्रान्तीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, यू० पी० वर्किंग जनरलिस्ट फेडरेशन, के आगरा अधिवेशन के अवसर पर स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

२०--इस सम्मेलन को खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि न्यूनतम वेतन निश्चित करने, प्राविडेंट फंड प्रणाली चालू करने और छुट्टियों, भत्ते तथा पत्रकारों के काम करने की शर्तों से संबंधित नियमों को निश्चित करने के संबंध में पहले जो सिफारिशें की गयी थीं उनपर प्रान्त के अधिकांश समाचारपत्रों ने अमल नहीं किया है। कम्पनियों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधायें तत्काल प्रदान करें।

(अ) संयुक्त प्रान्तीय सरकार के नियमों के आधार पर प्राविडेंट फंड तथा महंगाई भत्ता।

(ब) एक वर्ष में पूरे वेतन पर एक महीने की प्रीविलेज छुट्टी, १४-१४ दिन की कैजुअल तथा मैडिकल छुट्टी।

(स) सभी दैनिक समाचार पत्र सप्ताह में केवल छः दिन, प्रकाशित हों और सभी समाचार पत्रों के लिये एक साप्ताहिक छुट्टी का दिन हो।

(द) सम्पादकीय विभाग के किसी भी कर्मचारी से साधारणतया एक दिन में छः घंटे से अधिक काम न लिया जाय।

सम्मेलन स्थायी समिति, (स्टैन्डिगकमेटी) को यह आदेश देता है कि समाचार पत्रों से वह इस संबंध में बातचीत करे और उन्हें उपर्युक्त सुविधायें दिलाये।

२४– जहां तक विशेष प्रतिनिधियों या स्टाफ रिपोर्टरों का संबंध है उपर्युक्त प्रस्ताव की ओर पुनः ध्यान आकृष्ट किया जाता है, क्योंकि उन्हें अधिक समय तक काम करना पड़ता है लम्बे रास्तों के सफरके आकस्मिक खर्चों के लिए उन्हें उपयुक्त भत्ता मिलना चाहिए। सम्पादक प्रत्येक मामले में अलग अलग रकम निश्चित करेंगे।

२६––वेतन स्तर के चढ़ाव उतार के संबंध में कोई निर्णय करते समय समान्यतः ीवन निर्वाह के खर्च तथा सेन्ट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट में दी गई अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए।

२७––जी नहीं।

२८––महंगाई भत्ता को तत्काल वेतन में सम्मिलित कर देना चाहिए।

३०––सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों के दर मान में सब ओर वृद्धि की आवश्यकता है, जिसका कारण यह है कि हाल के कुछ महीनों में जीवन निर्वाह का खर्च बहुत बढ़ गया है। चूंकि कर्मचारियों के बुनियादी वेतन में वैधानिक वृद्धि की शीघ्र ही कोई आशा नहीं है, अतः यह उचित ही होगा कि महंगाई भत्ता में पर्याप्त वृद्धि करके उन्हें अन्तरिम सुविधायें प्रदान की जायं।

३३––संबंधित समाचारपत्रों को अलग अलग उत्तर देना है। फिर भी यह कहना पड़ता है कि प्रान्त में बहुत से ऐसे समाचारपत्र हैं जिनके यहां कर्मचारियों के लिए प्राविडेंट फंड की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्राविडेंट फंड की व्यवस्था होनी चाहिए और मालिकों को किसी भी दशा में इस मद में उस रकम से कम न जमा करना चाहिए जो कर्मचारी जमा करता है। यदि कोई कर्मचारी दो वर्ष की नौकरी के पश्चात् नौकरी छोड़ देता है तो उसके प्राविडेंट फंड की पूरी रकम अदा करनी चाहिए। यदि कर्मचारी का कोई दोष न होते हुए भी इस अवधि के पूर्व ही उसकी नौकरी खत्म कर दी जाय तो मालिक की ओर से जमा की हुई पूर्ण रकम उसको मिलनी चाहिए।

३५––संबंधित समाचारपत्रों को अलग अलग उत्तर देना है।

फेडरेशन का मत है कि रेलवे में जो नियम चालू हैं उन्हीं के अनुसार आर्थिक सहायता (ग्रेचुइटी) दी जानी चाहिए।

३७––संबंधित समाचारपत्रों को अलग अलग उत्तर देना है। जहां तक हम लोगों को विदित है कोई भी समाचारपत्र यह सुविधा नहीं देता।

३८––संबंधित समाचार पत्रों को अलग अलग उत्तर देना है। यह सिफारिश की

जाती है कि कर्मचारियों के हेतु चिकित्सा संबंधी निःशुल्क सुविधा के लिये प्रत्येक समाचार पत्र को कम से कम अपने यहां थोड़े समय काम करने वाले मेडिकल अफसर को रखना चाहिए। हरएक ऐसे समाचार पत्र में जहां २०० से अधिक कर्मचारी हैं, अपना एक चिकित्सालय भी होना चाहिए और वहां से कर्मचारियों तथा उनके निकट आश्रितों को खरीद भाव से औषधियां मिलनी चाहिए।

३९––पर्याप्त प्राविडेंट फंड तथा उदारतापूर्ण आर्थिक सहायता (जेनरस ग्रेचुइटो) दी जाय और शोकग्रस्त परिवार के सदस्यों को, यदि उनमें आवश्यक योग्यता हो, नौकरी पहले दी जाय।

४०––चाय और काफी मिलनी चाहिए। रात के शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, जिनकी ड्यूटी अधिक रात बीते खत्म होती है, साज समान से लैस एक विश्रामशाला, रिटायरिंग रूम, होना चाहिए। पर्याप्त प्रकाश तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं, जैसे गर्मी में पंखे तथा जाड़े में हीटर की व्यवस्था होनी चाहिए ऐसा होने पर कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ सकती है।

असाधारण मामलों को छोड़कर जिनका फैसला संपादक करेंगे, किसी भी उप सम्पादक से एक पक्ष से अधिक लगातार रात की शिफ्टों में काम न लिया जाय। साधारणतः रात के शिफ्टों में एक सप्ताह भर ही काम लेना चाहिए।

४१––समाचार पत्रों को अलग अलग उत्तर देना है। यह अनुरोध किया जाता है कि समाचार पत्र कार्यालय में सफाई का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। सफाई का पर्याप्त प्रबन्ध है या नहीं, इसकी देखभाल उस क्षेत्र का हेल्थ अफसर करे।

४२––जी हां। कम से कम आधी। कर्मचारियों को गर्म भोजन तथा जलपान सामग्री उपलब्ध करने के लिए प्रत्येक समाचारपत्र कार्यालय में अपना एक कैन्टीन पर्याप्त सामान के साथ होना चाहिए। इसका आधा खर्च मालिक उठायेंगे।

खंड ख

४६––संयुक्त प्रान्तीय प्रेस कान्फ्रेंस ने मुफस्सिल संवाददाताओं की कार्यदशा और आय के संबंध में जांच करने के निमित्त जो उपसमिति नियुक्त की थी उसकी रिपोर्ट साथ में नत्थी है।

मुफस्सिल संवाददाताओं की आय और कार्य दशा की जांच करने के लिये नियुक्त उपसमिति की रिपोर्ट

सामान्य––

पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त प्रान्तीय प्रेस कान्फ्रेंस ने जिन विभिन्न महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया उनमें मुफस्सिल संवाददाताओं को जीवन निर्वाह के लिये समुचित पारिश्रमिक देने का प्रश्न अत्यन्त गम्भीर था। हर साल मुफस्सिल संवाददाताओं ने कान्फ्रेंस पर यही जोर डाला कि वह उनके पारिश्रमिक को बढ़वाने की कार्रवाई करे किन्तु विभिन्न समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं द्वारा इन संवाददाताओं की नियुक्तियों के ढंग में

पेचीदगियां देखकर कान्फ्रेंस कोई ऐसे निश्चित नियमों का सुझाव न दे सकी जिनके अधीन श्रमजीवी पत्रकारों के इस वर्ग के पारिश्रमिक का नियंत्रण होता और उनके वेतन बढ़ाने का पक्ष समर्थन किया जाता। कानपुर में संयुक्त प्रान्तीय प्रेस कान्फ्रेंस का जो विगत अधिवेशन हुआ था, उसमें इस विषय पर विचार किया गया और एक समिति बनायी गयी जिसके सदस्यों में प्रान्त के कई प्रमुख समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के संपादक तथा कुछ मुफस्सिल संवाददाता सम्मिलित थे और इस मामले की भलीभांति जांच करने का कार्य इस समिति को सौंपा गया। किन्तु इस समिति की सदस्य संख्या इतनी अधिक थी कि वर्ष भर में उसकी एक भी बैठक न हो पायी। अतएव स्थायी समिति ने एक छोटी सी समिति बनाने का निश्चय किया, जिसके सदस्य सर्वश्री के० सी० शर्मा, ए० सी० पांडेय, अमीन सलोनवी, और एन० डी० अग्रवाल संयोजक बनाये गये। इस समिति का काम संयुक्त प्रान्त में मुफस्सिल संवाददाताओं की कार्य दशा में सुधार करने के लिये सब साधन और उपायों के सुझाव प्रस्तुत करना था।

चूंकि यह एक बड़ा जटिल प्रश्न था और चूंकि इन संवाददाताओं तथा उन समाचार पत्रों तथा पत्र पत्रिकाओं के नाम और पते जिनका प्रतिनिधित्व वे करते हैं, के संबंध में कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं थे इसलिए समिति के सदस्यों को केवल उसी सामग्री पर निर्भर रहना पड़ा जो उन्हें अपने पत्रकार बंधुओं अथवा विभिन्न समाचार पत्रों के दफ्तरों से प्राप्त हुई थी। यद्यपि समिति के पास जो उपलब्ध आंकड़े थे वे विशेष विवरणात्मक नहीं थे फिर भी समिति को विश्वास है कि जो सामग्री एकत्र की गयी थी उसमें इस प्रकार की जांच करने के लिये सभी आवश्यक बातों की जानकारी हो गयी थी। अतएव समिति ने जो पता चलाया उससे मुफस्सिल संवाददाताओं की वास्तविक स्थिति उनके पारिश्रमिक और उनकी कार्य दशा परिलक्षित होती है। इन मुफस्सिल संवाददाताओं की आय के संबंध में समिति ने जो सिफारिश की है वे न्याय और औचित्य के सिद्धान्त पर आधारित हैं और इन सिफारिशों को करते समय उन सब दशाओं को ध्यान में रखा गया है जिनके अन्तर्गत इस प्रान्त में समाचार पत्र उद्योग चल रहा है। इस बात का भरसक प्रयत्न किया गया है कि जिन पारिश्रमिकों के सुझाव दिये जायं वे असंगत रूप से बढ़े हुए न हों।

समिति की राय यह है कि प्रान्त के समाचार पत्र उद्योग में मुफस्सिल संवाददाता का महत्वपूर्ण स्थान है और अबतक पत्रकारिता के पेशे की इस शाखा की सबसे अधिक उपेक्षा हुई है। भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तथा सांस्कृतिक ढांचे के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता के बढ़ने के साथ मुफस्सिल संवाददाताओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। देश को विदेशी शासकों से जो विरासत मिली उसके परिणाम स्वरूप इस महादेश में सर्वत्र निर्धनता, अशिक्षा, भुखमरी, संक्रामक रोग और ऐसे ही अनेक दोष फैले हुए हैं। इन दोषों से हमें अपने देश तथा देश वासियों को बचाना और सुन्दर एवं सम्पन्न भारत का नव निर्माण करना है। यह महान् कार्य या तो निःस्वार्थ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं द्वारा हो सकता है अथवा विभिन्न केन्द्रों के कुशल पत्रकारों द्वारा। उन्हें जनता के अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने, राष्ट्रीय कार्यों को भलीभांति पूरा करने और इस देश को शक्ति सम्पन्न करने के लिये शिक्षित करना है। जिले की जनता के

मध्य जाके उस जिले का संवाददाता ही उस की दशा और परिस्थितियों का अध्ययन करता है और शनैः शनैः इस लक्ष्य को प्राप्त करना उसे सिखाता है। जिले का संवाददाता उस शीघ्र लिपिकार के समान नहीं है जिसका काम बोले हुए शब्दों को लिख लेना होता है बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति है, जो अपनी बस्ती को वहां के वातावरण के अनुकूल उन्नतिशील विचारों का संदेश देता है। जिला के सभी वर्गों के लोगों, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं, सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों, धनवानों और निर्धनों तथा शिक्षितों और अशिक्षितों सब से वह मिलता रहता है और अपने विविध अनुभवों और सम्पर्कों द्वारा वह जिले की अनेक विषम समस्याओं का अनुभव करता है और उनमें बहुतों को हल करने के लिये निष्पक्ष भाव से उपाय बतलाता है। ऐसी दशा में क्या यह उपयुक्त होगा कि पत्रकारों की इस शाखा को इतने कम दाम दिये जायं कि उन्हें पेटभर भोजन भी न मिल पाये।

समिति की राय है कि जब तक पत्रकारों की इस शाखा की दशा नहीं सुधरती और मुफस्सिल संवाददाताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं किया जाता, तबतक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो सकता। वेतन के दरमान आदि, जिनका समिति ने प्रस्ताव किया है, न्यूनतम हैं और उन्हें प्रत्येक अंग्रेजी तथा हिन्दोस्तानी समाचार पत्र दे सकता है और अधिक अच्छे ढंग से समाचार प्राप्त करने के लिये उन्हें इतना अवश्य देना चाहिये।

समिति ने मुफस्सिल संवाददाताओं को एक दो रायें भी दी हैं। जो पत्रकारिता के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों से अपनी अधिकांश आय करते हैं और जिन्होंने पत्रकारिता को शौकिया अपने कार्यक्रम में रखछोड़ा है अथवा गौण रूप से इसे भी आय का साधन बना रखा है उन्हें चाहिये कि वे नियमित संवाददाताओं के हित में इसे छोड़ दें अथवा जो रिपोर्ट या लेख भेजें उनके लिये कोई पारिश्रमिक न मागें। भारत या विदेश के किसी पत्रकारिता शिक्षालय में जिन्होंने मान्य ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की है अथवा कुछ महीनों या एक साल तक किसी समाचारपत्र कार्यालय में रहकर व्यावहारिक ट्रेनिंग नहीं ली है, उन्हें अब अवश्य ऐसा कर लेना चाहिए। इस पेशे का रूप अतिशय टेकनिकल है अतएव यह आवश्यक है कि संवाददाता या उपसम्पादक का कार्य आरम्भ करने के पूर्व उपयुक्त ट्रेनिंग ली जाय। संवाददाता कई प्रकार के होते हैं और उनकी नियुक्तियों का ढंग भी एक दूसरे से भिन्न होता है। वे स्टाफ रिपोर्टर, स्टाफ करेस्पान्डेंट, स्पेशल करेस्पांडेंट और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। समाचार पत्रों की ओर से समाचार एकत्र करने के लिए विभिन्न केन्द्रों में उन्हें रखा जाता है। संयुक्त प्रान्त बहुत बड़ा प्रान्त है और इसमें सभी ओर बड़े महत्वपूर्ण केन्द्र हैं, लेकिन अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू पत्रों ने कुछ गिनी चुनी जगहों जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस और नैनीताल में ही इन संवाददाताओं को रखा है। इन संवाददाताओं के वर्तमान मासिक वेतन दरमान ५० रूपये से लेकर ३०० रुपये तक हैं। इनमें से कुछ को दफ्तर रखने की भी आज्ञा है और सवारी, भत्ता, चपरासी, तथा टेलीफोन भी मिले हैं।

ऐसी दशा में समिति को यह देखकर खेद हुआ है कि यद्यपि इन स्टाफ करस्पांडेंटों आदि को समाचार पत्र कार्यालय का अंग माना जाता है किन्तु जहाँ तक उनकी वेतन

वृद्धि का संबंध है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता और बाहर काम करने वाले स्टाफ रिपोर्टर या स्टाफ करेस्पांडेंटों का वेतन पाँच या छः वर्ष में एक बार भी नहीं बढ़ाया गया है। अतएव समिति यह प्रस्ताव करती है कि इन स्टाफ करेस्पांडेंटों, रिपोर्टरों, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिवों अथवा स्पेशल करस्पांडेंटों के वेतन के संबंध में वे ही नियम लागू किये जायं जो कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के वेतनों के संबंध में लागू हैं। उनके वेतन की वृद्धि समय समय पर उसी प्रकार होनी चाहिये जैसे अन्य कर्मचारियों की होती है और उन्हें वेतन सुविधायें, जैसे कि टेलीफोन, चपरासी, दफ्तर, सवारी, भत्ता आदि मिलनी चाहिये जो संवाददाताओं के कार्यको सुचारु रूप से चलाने के लिये आवश्यक होती है।

समिति का यह विचार है कि समाचार पत्रों के मालिकों से यह आशा करना बड़ी ज्यादती होगी कि बिना महत्व की छोटी छोटी जगहों और कस्बों में भी अपने संवाददाताओं को ऊँचे वेतन दें। अतः समिति का मत यह है कि जिलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाय——क, ख, और ग। जिलों के इस वर्गीकरण का उन जगहों से कोई संबंध नहीं है जहां स्पेशल करस्पांडेंट नियुक्त किये गये हैं।

सामान्यतः——क श्रेणी के स्टेशन में उन नगरों के वे सब केन्द्र आ जाते हैं जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है।

ऐसी जगहों के संवाददाताओं की मासिक आय आजकल कुछ आनों से लेकर १०० रुपये तक है। अधिकांश संवाददाताओं को अलग अलग पत्रों से प्रायः २५ रुपये मासिक या इससे भी कम मिलता है। बहुत थोड़े लोगों को १०० रुपये के लगभग प्राप्त होता है। समिति प्रस्ताव करती है कि इन केन्द्रों में जो संवाददाता हों उन्हें कम से कम ५० रुपया महीना गुजारा, रिटेनर, मिले और उनकी भेजी हुई जो सामग्री उपयोग में लायी जाय उसके लिये १५ रुपये प्रति हजार शब्द के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाय। उन्हें तांगा किराया, स्टेशनरी आदि के लिये कुछ भत्ता भी दिया जाय।

ख श्रेणी के स्टेशन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह डिवीजनल कमिश्नर का केन्द्र स्थान हो, किन्तु जो प्रमुख औद्योगिक केन्द्र होने के कारण अथवा अन्य किसी आकर्षण के कारण महत्वपूर्ण हों। इस श्रेणी में ऐसे स्थान शामिल हों जैसे कि मिर्जापुर मसूरी, हापुड़ आदि। इन जगहों में जो संवाददाता हैं उन्हें समाचार पत्रों के दफ्तरों से मुश्किल से १०० रुपये से लेकर ५० रुपये तक मासिक पारिश्रमिक मिलता है। समिति का प्रस्ताव यह है कि इन जगहों में जो संवाददाता हैं उन्हें ३० रूपया महीना रिटेनर के रूप में दिया जाय और १५ रुपया प्रति हजार शब्द के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाय।

शेष ऐसी जगहें जो स्पेशल करस्पांडेंट स्टेशनों अथवा 'क' या 'ख' श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आती उन्हें 'ग' श्रेणी के स्टेशनों में शामिल किया जाय। इन सब संवाददाताओं की आय नहीं के बराबर है। उस समाचार पत्र की एक प्रति जिसके लिये संवाद भेजा जाता है से लेकर लगभग ५ रुपये प्रतिमास तक होता है, लेकिन प्रायः कई कई महीनों तक उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसे संवाददाताओं के विषय में समिति यह सुझाव देती है कि उन्हें कम से कम १५ रुपया प्रतिमास रिटेनर दिया जाय और १५ रुपये प्रति हजार शब्द के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाय।

न्यूज एजेन्सी करस्पांडेंटों की हालत और भी खराब है। जहां तक ए० पी० आई० न्यूज एजेंसी का संबंध है उसका नियमित दफ्तर इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और बनारस में है। इन जगहों में उसने अपने नियिमित प्रतिनिधि रख छोड़े हैं। उनके वेतन १५० रुपये मासिक के लेकर लगभग ६०० रुपये मासिक तक हैं। उनके सहकारी संवाददाताओं और उप संपादकों तथा आपरेटरों को इससे बहुत कम मिलता है। लखनऊ कार्यालय के अधीन प्रान्त के विभिन्न केन्द्रों में बहुत से मुफस्सिल संवाददाता नियुक्त किये गये हैं। इन संवाददाताओं को या तो थोड़ा सा मासिक पारिश्रमिक मिलता है या शब्दों के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है। इन संवाददाताओं की औसत मासिक आय मुश्किल से १० रुपयें होती है। गिने चुने लोगों को ही ५० रुपया मासिक मिलता है। जो स्थान महत्वपूर्ण नहीं हैं उनमें संवाददाता कुछ रुपयों में ही जो उसे स्टेशनरीं के लिये भत्ते के रूप में मिलते हैं, संतुष्ट हो जाता है। समिति का विचार यह है कि चूंकि इन संवाददाताओं का काम उन लोगों के काम से अधिक महत्वपूर्ण है जो अलग अलग पत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें 'क' 'ख' और 'ग' श्रेणी के स्टेशनों में क्रमशः १५० रुपये, १०० रुपये और ७५ रुपये प्रतिमास दिये जायं। लगभग ऐसी ही हालत यू० पी० आई० और अन्य एजेंसियों के संवाददाताओं की है। समिति का मत यह है कि मुफस्सिल संवाददाताओं के वेतन, वेतन वृद्धि या अन्य भत्तों के संबंध में जो झगड़े हों उन्हें निपटाने के लिये स्थायी समिति द्वारा प्रतिवर्ष ५ या ५ से अधिक व्यक्तियों की एक कमेटी बनायी जाय जिसके पास संवाददाता अपनी मांग को पूरा कराने के लिये प्रार्थना पत्र भेजें।

समिति ने जांच के दौरान में यह पता चलाया है कि कई केन्द्रों में कुछ संवाददाता ऐसे हैं जिन्होंने एक से अधिक पत्रों से संबंध स्थापित किया है लेकिन इन सब पत्रों से होने वाली उनकी कुल आय का औसत ३०० रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होता। इन संवाददाताओं को अपना तथा अपनी गृहस्थी का खर्च चलाने के लिये पत्रों को लेख देकर अथवा और कोई काम करके आय बढ़ानी पड़ती है।

अतएव इस प्रान्त में आज जो संवाददाता के पेशे की हालत है उससे आदमी का पूरा नहीं पड़ता। पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे चीजों के भाव बढ़ते गये, मुफस्सिल संवाददाताओं की भी दशा खराब होती गई और उसे पेट भर भोजन मिलना कठिन हो गया। यदि यही दशा दो वर्ष और रही तो इस पेशे में योग्य व्यक्तियों के लिये कोई आकर्षण नहीं रहेगा और पत्रों को भेजे जाने वाले समाचारों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि विगत कतिपय वर्षों की समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की तुलनात्मक समीक्षा की जाय तो पता चलेगा कि लेखों का स्तर बहुत गिर गया है। ऐसी परिस्थितियों में समिति यह सुझाव देती है कि कान्फ्रेंस को इस प्रश्न पर अविलंब गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और ५ या ७ व्यक्तियों की एक ऐसी समिति नियुक्त करना चाहिये जो समाचार पत्रों के मालिकों के पास जाकर पत्र संवाददाताओं के पारिश्रमिक को बढ़वाये। ऐसे संवाददाताओं की एक सूची भी रखी जाय और जिनको समुचित ट्रेनिंग नहीं मिली है उन्हें किसी समाचार पत्र कार्यालय में ट्रेनिंग लेने के लिये कहा जाय।

समिति इस बात पर पुनः जोर देना चाहती है कि इस रिपोर्ट में आय संबंधी जो सुझाव दिये गये हैं वे न्यूनतम हैं और उन्हें प्रत्येक श्रेणी के पत्र दे सकते हैं। अतः मुफस्सिल संवाददाताओं को इस हिसाब से रुपया अवश्य देना चाहिये।

जिन समाचार पत्रों के मालिकों की आमदनी अधिक है और जो अपने संवाददाताओं को अधिक रुपया दे सकते हैं उन्हें यह राय दी जाती है कि वे अपने हित में और अपने पत्रों के लिये अधिक अच्छे ढंग से समाचार पाने के हेतु अपने मुफस्सिल संवाददाताओं को अधिक दर से पारिश्रमिक दें।

एन० डी० अग्रवाल

४ मार्च, १९४७ ई०

जनरल सेक्रेटरी

संयुक्त प्रान्तीय प्रेस कान्फ्रेंस

परिशिष्ट घ

पत्रकारों की अवस्था के सम्बन्ध में युक्त प्रान्तीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन की ओर से समाचार पत्र उद्योग जांच समिति के नाम

स्मृति-पत्र

भूमिका

(क) युक्त प्रान्तीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन को अत्यन्त प्रसन्नता है कि हमारी लोकप्रिय प्रान्तीय सरकार का ध्यान प्रान्त के पीड़ित पत्रकारों की अवस्था की ओर आकृष्ट हुआ और उसने उसकी जांच के लिये एक समिति नियुक्त की। सम्मेलन का ख्याल है कि आज हिन्दी पत्रकारों की जो दशा है वह अन्य भाषाओं के पत्रकारों से कहीं अधिक शोचनीय है। अतएव उनकी दशा के सुधार के लिए हमारी समझ में सरकार का उत्तर-दायित्व भी अधिक है। सम्मेलन ने दो बार हिन्दी पत्रकारों की दशा की जांच की। पहली बार फरवरी १९४२ में उसने एक उपसमिति नियुक्त की। इसकी रिपोर्ट दिसम्बर १९४४ में प्रकाशित हुई। उक्त उप-समिति ने हिन्दी पत्रकारों की दयनीय अवस्था का विश्लेषण करते हुए अपनी स्पष्ट राय दी थी कि पत्रकारों की अवस्था के सुधार के लिए कानून बनना चाहिए। दूसरी बार सम्मेलन ने जुलाई १९४७ में जांच समिति की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट अक्तूबर १९४७ में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में भी सरकारी कानून बनने पर फिर अधिक जोर दिया गया और पत्रों एवं पत्रकारों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम मांगों की पूर्ति के लिये कहा गया।

(ख) हिन्दी समाचार पत्रों के संघटन में अभी तक जो अराजकता एवं अव्यवस्था चल रही है वह न केवल पत्रकारों के लिये हानिकर सिद्ध हो रही है वरन् पत्रकार कला की दुर्गति का भी कारण बन रही है। सम्मेलन के मत में समाचार पत्र उद्योग के चार पक्ष हैं—संचालक, कर्मचारी, जनता, तथा भाषा एवं पत्रकला। इन चारों की उन्नति के लिये जब तक समान रूप से पग नहीं बढ़ाया जाता तब तक समाचार पत्र उद्योग की सर्वांगीण उन्नति असंभव है। इस उद्योग के विकास के लिये यह जरूरी है कि न केवल संचालकों को लाभ हो, वरन् कर्मचारियों को यथेष्ट सुविधायें तथा जनता को उत्तम और पर्याप्त पाठ्य सामग्री भी मिले। साथ ही भाषा एवं पत्रकला का उत्तरो-त्तर विकास भी होता रहे। साधारणतः आज का पत्र संचालक केवल अपने ही लाभ की बात सोचता है और शेष तीनों पक्षों की बात भूल जाता है। फलतः पत्र कर्मचारी शोषण की चक्की में पीसे जा रहे हैं ; जनता रद्दी मानसिक भोजन देकर ठगी जा रही है तथा भाषा एवं पत्रकला की दुर्गति हो रही है। सम्मेलन इस कुस्थिति का अन्त चाहता है। उसका मत है कि इसके लिये सन्तुष्ट कर्मचारी (satisfied labour) तथा अच्छी पूंजी या साधन (well equipped capital) का होना परमावश्यक है। कर्मचारियों

को न्यूनतम सुविधायें मिलने की गारंटी होनी चाहिये। अस्तु सम्मेलन समाचार पत्र उद्योग का वह रूप देखना चाहता है जिसमें (१) संचालकों को उचित लाभ मिले (२) कर्मचारियों को सुख से जीवन यापन के लिये यथेष्ट लाभांश मिले (३) जनता को सुन्दर, सुस्पष्ट और ज्ञानवर्धक पाठ्य सामग्री मिले तथा (४) हिन्दी भाषा एवं पत्रकार कला का उत्तरोत्तर विकास हो।

(ग) सम्मेलन को विश्वास है कि हमारी लोकप्रिय सरकार को हिन्दी और भाषा पत्रों की उन्नति में पूरा अनुराग है, क्योंकि जनता को शिक्षित करने और उसमें अपने नागरिक एवं राजनीतिक धर्म की भावना उत्पन्न करने का भार इन्हीं पर है। इनके बिना लोकतन्त्र का चलना असंभव है। अतएव सरकार का कर्त्तव्य है कि भाषा पत्रों की उन्नति के उद्देश्य से वह उन्हें सहायता दे। और इसी दृष्टि से उनका कुछ सीमा तक नियंत्रण भी आवश्यक है। वस्तुतः इस जांच समिति को नियुक्त कर के सरकार ने समाचार पत्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहले ही स्वीकार कर लिया है और इस समिति की नियुक्ति में यह बात निहित है कि सरकार स्थिति को जांच लेने के पश्चात् समिति की सिफारिशों के आधार पर विवेकपूर्ण व्यवस्थापनकार्य (legislation) भी करेगी। और यदि सरकार ने ऐसा न किया तो इस जांच समिति का परिश्रम नितान्त व्यर्थ, और सार्वजनिक धन का घोर अपव्यय और समय की निरर्थक बरबादी ही सिद्ध होगी।

(घ) इस संबंध में सम्मेलन एक और बात कह देना आवश्यक समझता है। भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीति स्पष्ट करते हुए जो घोषणा की है उसमें उसने उद्योगों के तीन वर्ग किये हैं, यथा (१) सरकार द्वारा चलाये जाने वाले (Nationalized उद्योग, (२) सरकार द्वारा नियंत्रित (Controlled) उद्योग तथा (३) व्यक्तियों अथवा कम्पनियों द्वारा परिचालित निजी (Private) उद्योग। अभी तक समाचार पत्र उद्योग पूर्णतः निजी उद्योग के रूप में चल रहा है, किन्तु अब इस क्षेत्र में व्यक्तिगत अथवा निजी उद्योग के सिद्धान्त को अबाध रूप में कायम रहने देने से जनता को गहरी हानि है। इसके कारण देश में पूंजीपतियों के ही स्वार्थों की सेवा करने वाली पत्र शृंखलायें बनती चली जा रही हैं, जिनके समक्ष पुराने प्रतिष्ठित पत्रों का अस्तित्व भी असंभव होता जा रहा है और वे भी एक एक करके पूंजीपतियों के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। इससे न केवल पत्रकारों और कर्मचारियों के शोषण का खतरा ही बढ़ गया है, वरन् नौबत यह आ गयी है कि जहां वर्ग-स्वार्थ और निजी स्वार्थ से टक्कर होती है वहां सार्वजनिक हित के विषयों का भी प्रकाशन नहीं हो पाता और विचार स्वातन्त्र्य को निर्दयता से बलि चढ़ा दिया जाता है। इसके उदाहरण इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें वर्णित करने की यहां आवश्यकता नहीं। ब्रिटेन और अमेरिका के लोकतंत्रीय शासकों का ध्यान भी इस खतरे की ओर गया है और इसके निवारण के लिये प्रयत्न भी किये गये हैं। अतः हमारे देश की विशेषतः प्रान्त की सरकार का यह परम कर्तव्य है कि इस समस्या के अधिक गंभीर रूप धारण करने के पहले ही वह इसे सुलझावे। जहां तक इसके समाधान का प्रश्न है, हमें दो अतियों से बचना है, अर्थात् इस उद्योग का राष्ट्रीय-करण भी वांछित नहीं है। क्योंकि यह तो इसे सरकार के सूचना विभाग जैसा यन्त्रवत्

विभाग बना देना होगा, जहां विचार स्वातन्त्र्य का कोई प्रश्न ही नहीं रह जायगा। साथ ही इसे निजी उद्योग के निरंकुश छोड़ देना भी घातक होगा। अस्तु हमें मध्यम मार्ग पकड़ना होगा और इस उद्योग पर कानूनी नियंत्रण करना होगा। यह नियंत्रण सीमित होना चाहिए, अर्थात् पत्रों की प्रकाशन नीति और विचार को प्रभावित करने से बिलकुल दूर होना चाहिये। नियंत्रण केवल पत्र की आर्थिक व्यवस्था पर होना चाहिये। संचालक मंडल में पूंजी लगाने वालों के साथ पत्रकारों का भी उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये। यह बात निर्धारित होनी चाहिये कि आय का कितना अंश घिसाई (Depreciation) अथवा सुरक्षित कोष में जाना चाहिये, कितना अंश पत्र की उन्नति में लगना चाहिये, कितना अंश मुनाफे और डिविडेंड में जाना चाहिये तथा कितना अंश पत्रकारों और कार्य-कर्ताओं को उजरत, लाभांश, प्राविडेंड फंड, बीमा और अन्य सुविधाओं के रूप में मिलना चाहिये।

(ङ) इस उद्योग तथा इसमें लगे हुए कर्मचारियों एवं पत्रकारों की अवस्था की जांच के लिये सरकारी जांच समिति ने जो प्रश्नावली प्रचारित की है वह अनेक दृष्टियों से दोषपूर्ण होते हुए भी सम्मेलन के मत में स्वागत योग्य है। इस प्रश्नावली के उत्तर के रूप में सम्मेलन नें जांच समिति के नाम केवल हिन्दी पत्रकारों के संबंध में एक स्मृतिपत्र देने का निश्चय किया है। सम्मेलन द्वारा नियुक्त उपसमिति प्रस्तुत प्रश्नों का अधोलिखित उत्तर दे रही है।

(नोट—इस उत्तर के साथ सम्मेलन अपनी अक्तूबर १९४७ की जांच रिपोर्ट की एक अंग्रेजी प्रति भी सरकारी जांच समिति की सहायतार्थ दे रहा है जो कि इसी स्मृति-पत्र के अन्त में सम्बद्ध है।)

उत्तर—भाग (क)

१–३ ....

४—सम्मेलन केवल सम्पादकीय विभाग से संबंधित कर्मचारियों का ही वर्गीकरण करता है।

(क) कार्यालय में नियमित कार्यकर्ता—यथा संपादक, संयुक्त संपादक, सहायक संपादक, समाचार सम्पादक, उप सम्पादक, रिपोर्टर तथा विशेष प्रतिनिधि।

(ख) घुमंतू कार्यकर्ता—संवाददाता, फोटोग्राफर आदि।

(ग) फुटकर—सम्पादकीय विभाग के कार्य में सहायता देने वाले लोग अर्थात् प्रूफरीडर, दफ्तरी तथा चपरासी आदि।

नोट—कुछ हिन्दी पत्रकारों ने एक नयी श्रेणी "अनुवादक" का अविष्कार किया है सम्मेलन का स्पष्ट मत है कि यह पत्रकारों के शोषण की चालमात्र है। हिन्दी पत्रों में केवल अनुवाद कभी नहीं होता। अनुवाद के साथ खबरों का संक्षेप, विस्तार सजाव और शीर्षक लगाना आदि सम्पादन कार्य अविच्छिन्न रूपेण जुड़ा रहता है। इसलिए इस धोखा-धड़ी का अन्त होना चाहिए।

५—सम्पादकीय कार्यकर्ताओं (Editorial staff) के पारिश्रमिक की कसौटी दक्षता अर्थात् बहुज्ञता और अनुभव है, जिसका निर्णय पूर्ण रूप से सम्पादक ही करे।

६–७—प्रश्न ६ का उत्तर प्रत्येक कार्यालय में अलग अलग हो सकता है। सम्मेलन के मत में तरक्की और वृद्धि तथा प्रश्न ७ के आदर्श नियमों के संबंधमें यह सिद्धांत हो कि प्रधान संपादक की नियुक्ति संचालक मंडल करे। प्रधान सम्पादक वास्तविक श्रमजीवी पत्रकार हो। सम्पादकीय विभाग से संबद्ध अन्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, मुअत्तली, बरखास्तगी, तरक्की आदि के निर्णय तथा अनुशासन का पूरा अधिकार केवल प्रधान सम्पादक को ही होना चाहिये। चपरासी के सिवा अन्य किसी पर जुर्माना नहीं होना चाहिये। बार बार गलती करने पर सम्पादक द्वारा प्रूफरीडरों पर हल्का जुर्माना किया जा सकता है। इस विषय में समान नियम और निश्चित नियम बना दिये जाने चाहियें।

८—हां, और यह प्रतिनिधि सम्पादक ही हो।

९—पूंजी, ग्राहक संख्या, विज्ञापन दर और आय।

१०—पत्र के लिये संवाद संग्रह करने में अथवा पत्र के काम पर यदि पत्रकार मारा जाय या पंगु हो जाय, तो उसे या उसके आश्रितों को पूरा मुआविजा देने का उत्तरदायित्व पत्र संचालक पर होना चाहिये। यह मुआविजा सरकारी कर्मचारियों के मुआविजे के नियम या वर्कमेन कम्पेनसेशन ऐक्ट के आधार पर होना चाहिये। ऐसे पत्रकारों का अनिवार्य बीमा कार्यालय की ओर से होना चाहिये।

११—बहुज्ञता और अनुभव ही पत्रकार की योग्यता का आधार होना चाहिये इसका निर्णय सम्पादक ही कर सकते हैं।

१२—सम्मेलन की राय में उम्मेदवार या अप्रेंटिस वैतनिक ही होने चाहिये और इनका वेतन १०० रु० प्रतिमास से कम न होना चाहिए। इनका कार्यकाल ६ महीने से अधिक न होना चाहिये। इस अवधि के बाद इन्हें नियमित सहकारी सम्पादक की श्रेणी में लिया जाना चाहिये।

१३—ट्रेन्ड अथवा अनुभव प्राप्त पत्रकारों का परीक्षणकाल एक महीने से अधिक न होना चाहिये।

१४—पूरा पूरा दायित्व लेना चाहिये, यथा मुकदमे जुर्माना अदा करना तथा कारावास के समय का पूरा वेतन देना।

१५—दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की सुलह कमेटी द्वारा झगड़ा निपटाया जावे। असाधारण स्थिति में सरकारी प्रतिनिधि भी कमेटी में शामिल किया जाय।

१६—स्वतंत्र पत्रकारों के लिये एकसा पारिश्रमिक निर्धारित करना ठीक नहीं। विशिष्ट पत्रकारों और लेखों पर विशेष पुरस्कार दिया जा सकता है। साधारणतः स्वतंत्र पत्रकारों का पारिश्रमिक १० रु० प्रति हजार शब्द से कम न होना चाहिये। बिना पारिश्रमिक दिये लेखों को छापने की प्रथा बंद होनी चाहिये। अनेक पत्र कार्यालयों में संचालकों की ओर से यह प्रतिबंध रहता है कि पत्रकार किसी अन्य पत्र में लेख न

लिखे। सम्मेलन का मत है कि प्रत्येक पत्रकार का कार्यालय में पूरा समय दे चुकने के पश्चात् घर पर लिखे हुए लेखों एवं रचनाओं को किसी अन्य प्रकाशक को अथवा पत्र में देने का पूरा अधिकार है।

१७--हिन्दी पत्रों की दुर्दशा के अनेक कारण हैं। नीचे हम उनमें से कुछ कारणों और उनके निदानों का जिक्र करते हैं:--

(क) **अर्थाभाव**--इसी कारण न तो अच्छे कार्यकर्ता रखे जाते हैं, न संवाद समितियों की व्यवस्था की जाती है, न पृष्ठसंख्या ही काफी रहती और न कागज तथा छपाई का ही ठीक प्रबंध हो पाता है। अतः सरकार को चाहिये कि किसी भी पत्र के प्रकाशन की घोषणा स्वीकार करते समय वह इस बात की दिल जमई कर ले कि उक्त पत्र के पास इतने साधन हैं या नहीं कि वह

(१) पर्याप्त संख्या में योग्य कार्यकर्ता;

(२) संवाद संग्रह, पत्र की पृष्ठ संख्या, सुन्दर, सुस्पष्ट और निर्दोष मुद्रण तथा

(३) सुसंघटित कार्यालय, जिसमें हवा, रोशनी, पानी, बिजली, फर्नीचर, पंखों और पर्याप्त संख्या में चपरासियों का अच्छा इन्तजाम हो;

(४) एक अच्छा पुस्तकालय, जिसमें रिफरेंस की पुस्तकें हों, की समुचित व्यवस्था कर सके। इसके बिना प्रकाशन की अनुमति देने का अर्थ गरीब पत्रकारों के शोषण, जनता को ठगने और हिन्दी भाषा की दुर्गति करने की अनुमति देना है।

(ख) **यान्त्रिक और व्यावहारिक कठिनाइयाँ**--हिन्दी में तार और दूरमुद्रण (टेलीप्रिंटर) की व्यवस्था का अभाव है। फलतः भाषा पत्र अनुवाद के भार से दबे रहते हैं और भाषा भी अशुद्ध रहती है तथा ताजी खबरें भी नहीं दी जा सकती। सरकार को चाहिये कि हिन्दी में तारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करावे तथा ऐसी राष्ट्रीय समाचार समितियों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहन दे, जो कि हिन्दी में समाचार देने वाले दूर-मुद्रक यंत्रों की व्यवस्था कर सकें। लाइनों और मोनों टाइप मशीनों की दुष्प्राप्यता के कारण हिन्दी पत्रों की छपाई शीघ्र, सुन्दर, और सुस्पष्ट नहीं होती। अतः सरकर को इस देश में ही मुद्रण यंत्रों के निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिये। तत्काल विदेशों से इन यंत्रों को यथेष्ट संख्या में मंगाने की व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिये।

(ग) **संपादक की नियुक्ति में अनाचार**--हिन्दी पत्रों में प्रधान सम्पादक की नियुक्ति के संबंध में बड़ा अनाचार फैला हुआ है। वास्तविक कार्यकर्ताओं को सम्पादक न बना कर छद्म पत्रकारों को प्रधान सम्पादक का मुकुट पहनाया जाता है। ये लोग न तो पत्र की उन्नति ही कर पाते

हैं और न पत्रकारों के गौरव तथा पत्रकारों की प्रतिष्ठा एवं हितों की रक्षा ही कर पाते हैं। बहुधा वास्तविक कार्यकर्ता को बहुत दिनों तक स्थानापन्न सम्पादक बनाकर अधर में लटकाया जाता है और उसे अपनी दक्षता के उपर्युक्त पद और पुरस्कार से वंचित किया जाता है। इस धांधली का अन्त होना चाहिये और सम्पादक का पद योग्य और श्रमजीवी पत्रकार को मिलना चाहिये जो वास्तविक कार्यकर्ता हो और जिसे वास्तविक अधिकार भी प्राप्त होने चाहिये।

(घ) **न्यूनतम वेतनका अभाव**--पत्रकारों के लिये अंग्रेजी समाचार पत्रों में न्यूनतम वेतन का प्रश्न भले ही आवश्यक न हो किन्तु हिन्दी के लिये तो इससे अधिक महत्व की दूसरी बात हो ही नहीं सकती। हिन्दी के पत्र संचालक थोड़ी पूंजी का रोना रोकर और जनसेवा का साइनबोर्ड लगाकर शिक्षित युवकों की दीनता का बेजा लाभ उठा सकते हैं, किन्तु सम्मेलन का स्पष्ट और सुविचारित मत है कि जो पत्रकार को निर्वाहयोग्य न्यूनतम वेतन न दे सकें, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य शोषण ही है। सम्मेलन सरकार को यह भी बता देना चाहता है कि इस समय हिन्दी में जिन गैर जिम्मेदार पर्चों की बाढ़ आ गयी है जिनका उद्देश्य सनसनीदार विषय छापकर पैसा पैदा करना ही है और जो किसी प्रकार पत्रकारी के आचार का पालन नहीं करते तथा शांति एवं सुशासन में बाधा उत्पन्न करते हैं, इन सबका कारण यही है कि उन्हें पत्रकारों का शोषण करने की पूरी सुविधा है। यदि सम्मेलन के सुझावों और कांग्रेस द्वारा स्वीकृत समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार सरकार पत्रकारों को न्यूनतम निर्वाहयोग्य वेतन दिलाने का कानून बना देती है तो गैर जिम्मेदार और रद्दी पत्र अपने आप मिट जायेंगे। इससे पत्रकारों का भला होने के साथ संस्कृति और समाज का भी भला होगा। न्यूनतम वेतन का दूसरा तर्क उन पत्रों की शोषण वृत्ति है जिन्होंने श्रमजीवी पत्रकारों की मेहनत और बलिदान के बल पर पर्याप्त पूंजी और धन संचित कर लिया है और उसका दुरुपयोग शोषण, विलास और समाज विरोधी कार्यों में कर रहे हैं। इन पत्रों को पत्रकारों की उचित उजरत देने को बाध्य करना उतना ही अनिवार्य है, जितना कि कारखानेदारों को उचित वेतन के लिये मजबूर करना। पत्रकारों का न्यूनतम वेतन प्रश्न २७ के अनुसार बनाये गये क वर्ग के पत्रों में २५० रु० प्रतिमास ख वर्ग के पत्रों में २०० रु० प्रतिमास तथा ग वर्ग के पत्रों में १५० रु० प्रतिमास होना चाहिये।

(ङ) **मिशन के नाम पर शोषण**--कुछ पत्र संचालक और उन्हीं की जैसी मनोवृत्ति रखने वाले कुछ पुराने जमाने के पत्रकार यह आवाज बुलन्द करते हैं कि पत्र निकालना एक मिशन है, अतएव न्यूनतम पूंजी और

न्यूनतम वेतन का प्रतिबंध नहीं होना चाहिये। सम्मेलन का मत है कि पत्र निकालना एक उद्योग बन गया है, अब वह मिशन तो किसी भी दशा में नहीं रह गया है। एक पत्रकार बन्धु ने मिशनरी पत्रों की परख बताते हुए कहा है कि जो पत्र विज्ञापन न छापते हों, वे मिशनरी पत्र हैं। इस कसौटी पर कसने से सम्मेलन की दृष्टि में कम से कम अपने प्रान्त में तो एक भी ऐसा पत्र नहीं आता, जो मिशनरी पत्र कहा जा सके। यदि कोई ऐसा पत्र हो भी, तो भी उसे न्यूनतम वेतन के प्रतिबन्ध से मुक्त करके न तो पत्रकारों के शोषण का रास्ता खुला छोड़ा जा सकता है और न न्यूनतम पूंजी के प्रतिबंध से मुक्त करके उसे जनता को रद्दी मसाला देकर ठगने की ही सुविधा दी जा सकती है।

१८—नौकरी की अन्य शर्तों के संबंध में सम्मेलन का मत है कि कि प्रत्येक सम्पादकीय कार्यकर्ता की नियुक्ति के समय उसे नियुक्तिपत्र मिलना चाहिये, जिसमें नौकरी की सभी शर्तें लिखी रहनी चाहिये। यदि संचालक किसी संपादकीय कार्यकर्ता को अलग करे तो उसके लिये एक महीने पहले की नोटिस अथवा एक महीने का वेतन देना अनिवार्य हो। एक महीने की नोटिस अथवा एक महीने के वेतन पर ही क्यों न हो, बिना कारण किसी सम्पादकीय कार्यकर्ता को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मामले का हल प्रश्न १५ के उत्तर अनुसार होना चाहिये।

१९-२४—काम के घंटे और छुट्टियों के संबंध में विभिन्न हिन्दी पत्रों में अलग अलग नियम हैं और कहीं कहीं तो कोई नियम ही नहीं है। सम्मेलन के मत में कार्य के घंटे दिन में ६ तथा रात में ५ होने चाहिये। सप्ताह में दिन के ३६ घंटे और रात के ३० घंटे से अधिक कदापि नहीं होने चाहिये। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी अवश्य रहे। इसके अतिरिक्त सामान्य छुट्टियाँ वर्ष में ३० दिन, आकस्मिक छुट्टियां १५ दिन तथा बीमारी की छुट्टियां १५ दिन की मिलनी चाहिये। सामान्य छुट्टियां तीन वर्ष तक जमा रहें, इसके पश्चात् कर्मचारी को उसका वेतन मिल जाय। बीमारी की छुट्टियां १५ दिन सवैतनिक, इसके आगे लम्बी बीमारियों में १ माह की छुट्टी अर्द्ध वैतनिक और इसके पश्चात् तीन माह की छुट्टी अवैतनिक मिलनी चाहिये। राष्ट्रीय एवं धार्मिक पर्वों की छुट्टियां भी वर्ष में १५ दिन से कम नहीं मिलनी चाहिये। संपादकीय कार्यकर्ता से किसी भी प्रकार निश्चित समय से अधिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिये। किन्तु असाधारण अवस्था में लिया भी जा सकता है। उस अवस्था में उसे उस समय का ड्योढ़ा वेतन मिलना चाहिये।

२५—युद्ध के पहले प्रधान सम्पादकों को ६० रु० से ८० रु० प्रतिमास मिलता था। हमारी सूचनानुसार केवल एक प्रधान सम्पादक को १०० रु० मिलता था। शेष सम्पादकीय कार्यकर्ताओं को ३० रु० से ५० रु० प्रतिमास तक मिलता था। १९४६ के आंकड़ों के लिये हमारी संबद्ध रिपोर्ट देखने का कष्ट करें।

२६—न्यूनतम वेतन सब स्थानों पर एक ही रहे। किन्तु बड़े नगरों में जीवन-यापन के खर्च की अधिकता को देखते हुए निर्वाह भत्ता और मकान भत्ता के रूप में

अतिरिक्त भत्ते मिलने चाहिये। इस संबंध में केन्द्रीय वेतन कमीशन द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को अपनाया जा सकता है।

२७--सभी दैनिक पत्रों का वर्गीकरण होना चाहिये। एक वर्ग के पत्रों में समान काम के लिये समान वेतन होना चाहिये। वर्गीकरण का आधार प्रश्न ९ के अनुसार पूंजी विज्ञापन दर, आय और ग्राहक संख्या होनी चाहिये। उच्च कोटि के साधन सम्पन्न, ऊँची दरों पर विज्ञापन लेने वाले, अच्छी आय वाले और भारी ग्राहक संख्या वाले पत्रों को "क" वर्ग में रखा जा सकता है। उससे कम साधन सम्पन्न और कम आय वालों को "ख" वर्ग में रखा जा सकता है तथा उससे कम वालों को "ग" वर्ग में रखा जा सकता है। है। हमारी संबद्ध रिपोर्ट में बताया गया है कि हिन्दी पत्रों के दो वर्ग होने चाहिये।

किन्तु यह अनुभव किया जा रहा है कि हिन्दी पत्रों की वर्तमान अविकसित अवस्था को देखते हुए तीन वर्ग होने चाहिये।

२८-३१--यदि वर्तमान महार्घता और जीवन पालन के बड़े खर्च को देखते हुए वेतन निर्धारित हो जैसी कि इस सम्मेलन की सिफारिश है, तो महंगाई भत्ते का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक बोनस आदि का प्रश्न है, लाभ में कर्मचारियों को भी हिस्सा मिलने का सिद्धान्त केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जिसकी घोषणा केन्द्रीय श्रम मंत्री ने की है। वही सिद्धान्त समाचार पत्रोद्योग पर भी अनिवार्यतः लागू होना चाहिये।

३२--यह प्रश्न हमसे सम्बन्धित नहीं है।

प्रावीडेंट फंड के विषय में सम्मेलन का यह मत है कि हर पत्र में सम्पादकीय विभाग के सब कर्मचारियों के लिये प्रावीडेन्ट फंड की व्यवस्था होनी चाहिये। कार्यकर्ता और कम्पनी का भाग बराबर-बराबर होना चाहिये। दो साल की नौकरी के पश्चात् नौकरी छोड़ने पर पूरा प्रावीडेंट फंड अपना और कंपनी का हिस्सा मिलना चाहिए। दो साल के पहले यदि कर्मचारी अपने दोष से हटाया जाय, तो भी उसे पूरा-पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। हर हालत में अपना भाग तो मिलना ही चाहिये।

३४--सम्मेलन के विचार में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। किन्तु जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों के लिये जीवन बीमा की व्यवस्था की गयी है, उसी प्रकार पत्रों में भी होना चाहिये।

३५--अवकाश ग्रहण के समय पर्याप्त ग्रैचुइटो मिलनी चाहिये।

३६--मकान का किराया केन्द्रीय वेतन की सिफारिशों के आधार पर मिलना चाहिए।

३७--कर्मचारियों के खेल-कूद और मनोरंजन का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए।

३८--कार्यालय की ओर से एक चिकित्सक का प्रबन्ध किया जाय, जो कि पत्रकारों और उनके आश्रितों की निःशुल्क चिकित्सा करे। कार्यालय की ओर से औषधालय का प्रबन्ध हो, जहां से कार्यकर्ताओं को लागत मूल्य पर औषधि मिल सके।

३९--प्रावीडेंट फंड, जीवन बीमा, तथा ग्रैचुइटी।

४०--सोने की व्यवस्था, अच्छी रोशनी और साधारण स्वास्थ्यवर्द्धक हवा का प्रबंध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जाड़े में कोयला अथवा हीटर तथा चाय और गर्मी में पंखे और शीतल पेय की व्यवस्था होनी चाहिये। साधारणतया एक सप्ताह में ड्यूटी बदलना चाहिए। किसी सम्पादकीय कार्यकर्ता का निरंतर रात्रि में कार्य करना सम्मेलन ठीक नहीं समझता। यदि कोई संचालक किसी कार्यकर्ता का निरंतर रात में रहना अनिवार्य समझे और उक्त कार्यकर्ता भी इसके लिये तैयार हो, तो उसे २५ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता मिलना चाहिये।

४१--स्वास्थ्य-रक्षा का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये।

४२--कैन्टीन खुलने का प्रबन्ध होना चाहिये, जिसका व्यय-भार संचालक उठाये।

भाग 'ख'

४३-४६--मोफस्सिल कार्यकर्ताओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है--(क) प्रतिनिधि, तथा (ख) संवाददाता।

(क) प्रतिनिधि--बड़े नगरों में पत्र के शाखा--कार्यालय का यह अधिकारी होता है। उसके लिये--

(१) सम्पादकीय कार्यकर्ता की भांति वेतन, तरक्की, छुट्टियां आदि सुविधायें।

(२) संचालक की ओर से सुसंघठित कार्यालय,

(३) संवाद संग्रह के सिलसिले में की जाने वाली यात्राओं में कम से कम इन्टर क्लास के किराये की व्यवस्था तथा

(४) संवाद संग्रह के सिलसिले में भय-जनक स्थानों में जाने के लिये सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिये।

(ख) संवाददाता--इस वर्ग के लोगों को नगरों के महत्व के अनुसार तीन उप-वर्गों में बांटा जा सकता है--

(१) १ लाख से ऊपर की आबादी वाले नगरों में ५० रु० मासिक स्थायी पारिश्रमिक तथा इसके पश्चात् प्रकाशित संवादों पर १५ रु० प्रति हजार शब्द पारिश्रमिक मिलना चाहिये।

(२) १ लाख से नीचे की आबादी वाले व्यापारिक महत्व के नगरों में ३० रु० स्थायी पारिश्रमिक तथा इसके बाद प्रकाशित संवादों पर १५ रुपया प्रति हजार शब्द पारिश्रमिक।

(३) १ लाख से नीचे की आबादी वाले साधारण नगरों में १५ रुपया स्थायी पारिश्रमिक तथा इसके बाद १५ रुपया प्रति हजार शब्द पारिश्रमिक मिलना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संवाददाता को--

(१) संवाद संग्रह के सिलसिले में यात्रा व्यय तथा

(२) पत्र व्यवहार संबंधी व्यय मिलना चाहिये।

कथानान्त :—

उपर्युक्त स्मृतिपत्र में केवल साधारण सिद्धान्त दे दिये गये हैं। तथ्यों के विस्तार और आंकड़ों के देने का प्रयत्न नहीं किया गया है। हम अनुभव करते हैं कि जांच समिति के सन्मुख बहुत बड़ा काम है और वह तथ्यों के विस्तार और आंकड़ों को एकत्र करे, यथा कितनी पूंजी, कितनी विज्ञापन दर, अथवा कितनी ग्राहक संख्या पर कौन वर्ग बनेगा, सम्पादकीय विभाग में अलग अलग पदों पर काम करने वालों का क्या न्यूनतम वेतन, तरक्की, ग्रेड आदि होना चाहिये, कार्यालय की आदर्श नियमावली में क्या क्या नियम होने चाहिये, नौकरी की क्या क्या शर्तें होनी चाहिये, राष्ट्रीय और धार्मिक छुट्टियां कौन-कौन सी होनी चाहिये, बड़े नगरों में निर्वाह भत्ता और मकान भत्ता किस प्रतिशत से मिलना चाहिये, और किस वर्ग में कितना मिलना चाहिये, प्रावीडेन्ट फंड बोनस, ग्रैचुइटी आदि की क्या दरें होनी चाहिये, सरकारी कर्मचारियों के लिये जीवन बीमा के क्या नियम हैं, क्षतिपूर्ति के लिये वर्कमेन कम्पेनसेशन ऐक्ट में क्या नियम हैं, साधारणतया हिन्दी पत्रकारों का मासिक कौटुम्बिक आय व्यय "फेमिली बजट" कितना होता है, आदि। इन विस्तृत तथ्यों एवं आंकड़ों को एकत्र करने जैसा दुस्तर कार्य जांच समिति को करना है। सम्मेलन की संबद्ध रिपोर्ट इस कार्य में सहायता देगी, ऐसी हमें आशा है। जांच समिति को चाहिये कि वह अपनी एक उप-समिति बना दे, जो कि निरंतर कई घंटे प्रतिदिन समय देकर तथा विभिन्न समाचार पत्र केन्द्रों में घूम-घूम कर तथ्य का विस्तार एवं आंकड़े एकत्र करे तथा इस संबंध में पत्रकारों की गवाही भी ले गवाही लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस नगर में गवाही ली जाय, उस नगर का कोई प्रतिनिधि गवाही के समय उक्त उपसमिति में शामिल न हो।

सम्मेलन आशा और विश्वास करता है कि जाँच समिति पत्रों, पत्रकारों और पत्र कला के प्रति अपने कर्त्तव्य का उचित रीति से पालन करेगी।

युक्त प्रान्तीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन
१५।८०, सिविल लाइन्स,
कानपुर।
ता० २८ मई, १९४८

(१) सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य
(२) अशोकजी—संयोजक
(३) सत्यनारायण जायसवाल

परिशिष्ट ङ

समाचार पत्र उद्योग जांच समिति के सन्मुख जिन सज्जनों ने मौखिक गवाही दी उनकी सूची—

(१) श्री जयदेव गुप्त, १५।८० सिविल लाइन्स, कानपुर। (हिन्दी पत्रों की ओर से यू० पी० वर्किंग जनरलिस्ट फेडरेशन के प्रतिनिधि)

(२) ,, एच० विलियम्स, समाचार सम्पादक, पायनियर, लखनऊ।

(३) ,, गिरीश माथुर, प्रधान रिपोर्टर, नवजीवन, लखनऊ।

(४) ,, मुहम्मद यूसुफ खां, समाचार सम्पादक, कौमी अखबार, कानपुर

(५) ,, सुरेश चन्द्र भट्टाचार्य, सम्पादक, प्रताप, कानपुर।

(६) ,, हयातुल्लाह अन्सारी, सम्पादक कौमी आवाज, लखनऊ। (उर्दू पत्रों की ओर से यू० पी० वर्किंग जनरलिस्ट फेडरेशन के प्रतिनिधि)।

(७) ,, अनसूया प्रसाद सक्सेना, उप सम्पादक, नेशनल हेराल्ड, लखनऊ।

(८) ,, अशोक जी, सम्पादक, स्वतंत्र भारत, लखनऊ।

(९) ,, वृज मोहन व्यास, जनरल मैनेजर, न्यूज पेपर्स लिमिटेड, १, क्वीन्सरोड, इलाहाबाद।

(१०) ,, एस० एल० घोष, मंत्री अखिल भारतीय पत्रकार संघ, ८, विश्वकोश लेन, कलकत्ता ३।

(११) ,, सीताराम गुंठे, जनरल मैनेजर, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, लखनऊ।

(१२) ,, बाल कृष्ण माहेश्वरी, प्रोप्राइटर, वीरभारत, कानपुर।

(१३) ,, चन्द्रकुमार, उप सम्पादक, आज, बनारस।

(१४) ,, रामलाल वर्मा, मेनेजिंग एडिटर, दैनिक हिन्द, हौज काजी, दिल्ली।

(१५) ,, जानकी जीवन घोष, सहायक सम्पादक, अमृत बाजार पत्रिका, इलाहाबाद।

(१६) ,, पूरन चन्द्र गुप्त, मैनेजिंग एडिटर, दै० जागरण, कानपुर।

(१७) ,, गिरजा शंकर शुक्ल, प्रूफ रीडर, स्वतंत्र भारत, लखनऊ।

(१८) ,, आर० एल० सिंघल, प्रेस संवाददाता, ४, वेदवारा रोड, मेरठ।

(१९) ,, कुरबान वारिस, सम्पादक, मशरिक, गोरखपुर।

(२०) ,, शील चतुर्वेदी, संयुक्त सम्पादक, स्वतंत्र, झांसी।

(२१) ,, बलभद्र प्रसाद मिश्र, सम्पादक, भारत, इलाहाबाद।

(२२) ,, ज्ञान चन्द्र जैन, समाचार सम्पादक, नवजीवन, लखनऊ।

(२३) ,, बलदेव दास, जनरल मैनेजर, संसार, बनारस।

(२४) श्री वीरेन्द्र स्वरूप, जनरल सेक्रेटरी, कानपुर वर्किंग जनरलिस्ट यूनियन, सिविल लाइन्स, कानपुर।

(२५) ,, जी० एन० शिरोमणि, जनरल मैनेजर, सैनिक, आगरा।

(२६) ,, रामगोपाल, पत्रकार, मोतीनगर, लखनऊ। (लखनऊ प्रेस असोसिएशन के प्रतिनिधि)।

(२७) ,, पी० के० सेन, समाचार सम्पादक, अमृत बाजार पत्रिका, इलाहाबाद। (अंग्रेजी पत्रों की ओर से यू० पी० वर्किंग जनरलिस्ट फेडरेशन के प्रतिनिधि)।

(२८) ,, सत्य नारायण जायसवाल, मार्फत श्री जयदेव गुप्त, १५।८०, सिविल लाइन्स, कानपुर। (युक्त प्रान्तीय हिन्दी पत्रकार संघ के प्रतिनिधि)।

परिशिष्ट (च)

लाभप्रद जानबीमा योजना (Denefit Life Insurance Scheme)

('जन्मभूमि' कार्यालय, बम्बई की योजना)

(१) नाम--इस योजना (scheme) का नाम "दी स्टेट्स पीपुल्स लिमिटेड, एम्प्लाइज बेनीफिट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम" होगा।

(२) उद्देश्य--इस योजना का उद्देश्य भविष्य की सुरक्षा के लिये अपनी बचत का रुपया लाइफ इन्श्योरेंस एन्डाउमेन्ट पालिसियों में लगाने के लिये कम्पनी के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें इस योग्य बनाना है।

(३) परिभाषा—इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो,

१ "कम्पनी" से तात्पर्य दी स्टेट्स पीपुल्स लिमिटेड से है।

२ "डाइरेक्टरों" से तात्पर्य इस योजना के अधीन बीमा पालिसियों के तत्कालीन डाइरेक्टरों से है।

३ "कर्मचारी" से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो कम्पनी की नौकरी (service) में हो।

४ "बीमा किये हुए व्यक्ति" (insured) से तात्पर्य किसी ऐसे कर्मचारी से है जिसने स्टेट्स पीपुल्स लिमिटेड की पालिसी ली हो।

(४) **नियम**--कोई भी कर्मचारी, जो इस योजना के अंतर्गत प्रार्थनापत्र देने की तारीख से पहले लगातार तीन वर्ष तक कम्पनी की नौकरी में रह चुका हो, और जो कम्पनी के प्रावीडेंट फंड का भी सदस्य हो, निर्धारित फार्म पर कम्पनी को इस आशय का प्रार्थनापत्र दे सकता है कि वह इस योजना के अधीन एक जानबीमा पालिसी लेने को इच्छुक है और इन नियमों का पालन करने के लिये सहमत है तथा इसका वचन देता है।

(५) यदि कम्पनी उसकी प्रार्थना को स्वीकार करे तो वह कर्मचारी के नाम उस रकम की बीमा पालिसी लेने के लिये, जिसकी कर्मचारी ने इच्छा प्रकट की हो, आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(६) कम्पनी ऐसी पालिसी पर देय, वार्षिक प्रीमियम की रकम का २५ प्रतिशत स्वयं देगी, परन्तु शर्त यह है कि वह रकम जो कम्पनी इस तरह देगी प्रतिवर्ष न तो २५) से कम और न ५० रुपये से अधिक हो, किन्तु यदि वार्षिक प्रीमियम की रकम २५ रुपये से कम होगी तो उसी के अनुसार कम्पनी कम रुपया देगी।

(७) बीमा किये हुए व्यक्ति को कम्पनी के हक में अपनी पालिसी को पूर्णत: मुन्तकिल (assign) कर देना लाजिमी है।

(८) पालिसी की तारीख से ८ वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कम्पमी बीमा किये हुए व्यक्ति को वह पालिसी फिर मुन्तकिल (reassign) कर देगी, यदि कर्मचारी कम्पनी की नौकरी में लगातार रहा हो।

(९) पालिसी के अधीन कोई दावा पैदा होने की सूरत में जब कि बीमा किया हुआ व्यक्ति कम्पनी में नौकर हो और ८ वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो, कम्पनी इस बात का इकरार करती है कि वह उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिसकी या जिनकी बीमा किये हुए व्यक्ति ने नामजद किया हो या उसके कानूनी प्रतिनिधियों (ieegal representatives) को दावे की वह रकम अदा कर देगी जो कम्पनी ने वसूल की हो और ऐसे व्यक्ति को उक्त रकम अदा कर देने पर कम्पनी अपनी सब जिम्मेदारियों से अन्तिम और प्रभावशाली रूप से बरी हो जायगी।

(१०) बीमा किया हुआ व्यक्ति वार्षिक प्रीमियम की रकम उस तारीख पर जब कि वह देय हो, बराबर अदा करता रहेगा, पर यदि कम्पनी को उक्त प्रीमियम अदा करना पड़े तो वह कर्मचारी के वेतन से वसूल किया जायगा।

(११) उस सूरत में जब कि कर्मचारी कम्पनी की नौकरी छोड़ दे, कम्पनी उस कर्मचारी को उसकी पालिसी फिर मुन्तकिल (re-assign) कर देगी, यदि कर्मचारी कम्पनी को ऐसी कुल रकम जो कम्पनी ने इस योजना की अधीन अदा की हो, और ऐसी रकमें जो कर्मचारी की ओर से कम्पनी को देनी हों, कम्पनी को अदा कर दे।

(१२) यह योजना केवल नई पालिसियों पर जो इस योजना के अधीन कर्मचारी लेंगे, लागू होती हैं।

(१३) पालिसियां कम्पनी लेंगी और वे कम्पनी के द्वारा या ऐसे अधिकारी (Authority) के द्वारा ली जायेंगी जिसे कम्पनी इस योजना को कार्यान्वित करने तथा उसकी व्यवस्था करने के लिये नियुक्त करे।

(१४) कोई मुआवजा या कमीशन, जो उक्त अधिकारी को उसके द्वारा पालिसियों के लिये जाने के कारण मिले, खर्चे काटे जाने के बाद उस जनरल प्रावीडेंट फंड में जमा किया जायगा जो कर्मचारियों के फायदे के लिये काम में लाया जायगा।

(१५) कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह कोई कारण बताये बिना इन नियमों के अधीन किसी भी प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर दें।

(१६) यदि किसी कर्मचारी ने कम्पनी की नौकरी छोड़ने के बाद फिर कम्पनी की नौकरी कर ली हो तो डाइरेक्टर अपने विवेकानुसार क्रमशः नियम ४ और ८ के अधीन ३ वर्ष और ८ वर्ष की अवधि का हिसाब लगाने में ऐसी गैर हाजिरी की अवधि को माफ कर सकते हैं जो उन अवधियों में हुई हो।

(१७) संबंधित कर्मचारी तथा बीमा किया हुआ व्यक्ति कम्पनी और डाइरेक्टरों को ऐसी सब कारंवाइयों, खर्चों और व्ययों से सुरक्षित रखेगा जो पालिसी के संबंध में किसी दावे या उसके किसी दावे के अधीन हो।

(१८) कम्पनी इस योजना को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार अपने लिये सुरक्षित रखती है, यदि वह ऐसा करना उचित समझे, लेकिन ऐसी समाप्ति का उन पालिसियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस योजना के अधीन ली जा चुकी हो।

(१९) ऐसे समस्त मामलों, प्रश्नों और झगड़ों के संबंध में जो इन नियमों या पालिसियों या उनकी व्यवस्था या बीमा किये हुए कर्मचारियोंके अधिकारों और कर्त्तव्यों

के संबंध में जिनमें ऐसे झगड़े या मतभेद सम्मिलित हैं, जो किसी बीमा किये हुए व्यक्ति या उससे मृत्यु लेख प्रवर्तक (Executers) या प्रबंधकर्ता (Administrators) या नामजद व्यक्ति या प्रतिनिधि और डाइरेक्टरों के बीच किसी नियम के अर्थ या प्रभाव या इससे संबंधित किसी मामले या उससे उत्पन्न होने वाले किसी मामले के संबंध में पैदा हों, डाइरेक्टरों का या इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और कर्मचारियों को उनका हर तरह से पालन करना पड़ेगा।

(२०) डाइरेक्टरों को यह अधिकार होगा कि वे इन नियमों के आदेशों में या किसी आदेश में कोई बात बढ़ा दें, उसको बदल दें या उनमें कोई परिवर्तन या संशोधन कर दें।

परिशिष्ट (छ)

मतभेद सूचक टिप्पणी

(१)

प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमत होते हुए भी दो तीन बातों में अपने अन्य साथियों से मेरा भिन्न मत है।

(१) रिपोर्ट के अध्याय ३ में समाचार पत्रों का जो वर्गीकरण किया गया है उसकी मुख्य आवश्यकता सम्पादकीय विभाग के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के निमित्त समझी गयी है। मेरी धारणा है कि जिस प्रकार का वर्गीकरण सुझाया जा रहा है वह कर्मचारियों के हित साधन की अपेक्षा हित में बाधक ही होगा। किसी पत्र का सरकुलेशन स्थायी नहीं होता। किन्हीं कारणों से वह निरन्तर बढ़ सकता है, और किन्हीं दूसरे कारणों से वह घट सकता है। किसी सामान्य कहानी पत्रिका, अथवा उसी के समकक्ष अन्य प्रकार के किसी पत्र की वितरण संख्या दस हजार प्रतियों से कहीं अधिक हो सकती है, और उसकी तुलना में किसी साहित्यिक अथवा उच्च कोटि की पत्रिका की वितरण संख्या पाँच हजार भी नहीं हो सकती। एक प्रकार की विषमता के साथ प्रस्तावित वर्गीकरण में जहां प्रथम प्रकार के पत्र को अधिक वेतन देना होगा वहीं दूसरे प्रकार के सम्पादक को "ग" श्रेणी का वेतन मिलेगा, जब कि योग्यता और श्रम की दृष्टि से उसे पहले पत्र के सम्पादक की अपेक्षा अधिक योग्य और श्रमशील होना आवश्यक है। सरकुलेशन के साथ दो अन्य बातों का विचार किये जाने की बात कही गयी गयी है। लगायी गयी पूंजी दूसरी शर्त है। पर पूंजी स्थायी वस्तु नहीं है। किसी समय नाम मात्र की पूंजी से संचालित पत्रों की आज बहुत बड़ी हैसियत है और बहुत बड़ी पूंजी के पत्र की आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नहीं है। लिमिटेड कम्पनियों की पूंजी का स्वरूप किसी कदर मालूम भी हो सकता है पर निजी संस्थाओं की पूंजी का ज्ञान सर्वथा संभव नहीं है। आय तीसरी शर्त बतायी गयी है। पर वास्तविक आय का कभी ज्ञान हो सकेगा यह संदिग्ध है। साधारणतया पत्रकारों की धारण यह है कि विगत युद्धकाल में सभी पत्र लाभ में रहे और उन्होंने विज्ञापन में खूब कमाया। यही भाव कमेटी के सदस्यों ने कमेटी की मीटिंग में व्यक्त किये हैं और कुछ लोगों ने अपनी गवाहियों में व्यक्त किये हैं। किन्तु जिन पत्र संचालकों ने अपने आय का विवरण कमेटी को भेजने का कष्ट किया है उसमें उन्होंने ३१ वें प्रश्न के उत्तर में या तो उन युद्धकालीन वर्षों में स्पष्टतः हानि बतायी है, या इतना कम लाभ बताया है कि जिसे उनकी मान और प्रतिष्ठा तथा लोक धारणा को देखते हुए प्रस्तावित श्रेणी बिभाजन के अनुसार श्रेणी निर्धारित करने को वे तैयार न होंगे। इस प्रान्त के दो प्रतिष्ठित दैनिक, एक अंग्रेजी और दूसरा हिन्दी, जिन्हें हम साधारणतया प्रथम श्रेणी का पत्र मानते हैं, अपने आंकड़ों के अनुसार "ग" श्रेणी के पत्र ठहरते हैं।

प्रस्तावित श्रेणी विभाजन में जो तीन आधार माने गये हैं उन्हें विकल्प को स्थान

दिया गया है। उस विकल्प के अनुसार संचालक किसी विकल्प को श्रेणी विभाजन का आधार मान सकते हैं जो उनके हित के उपयुक्त हों और कर्मचारी अपने हित के अनुसार किसी दूसरे विकल्प को मानें। रिपोर्ट की भाषा से ऐसा नहीं जान पड़ता कि तीनों आधारों का सामूहिक रूप से विचार कर श्रेणी निर्धारण किया जायगा, फिर भी, यदि इस बात को मान लें तो सामूहिक रूप से विचार कर श्रेणी का निर्धारण कौन करेगा, इस विषय में समिति के सदस्य मौन हैं। ऐसी अवस्था में संचालक अपने ढंग पर और कर्मचारी अपने ढंग पर श्रेणी विभाजन की बात कह सकते हैं। ऐसी अवस्था में मतभेद होने पर सरकार अथवा उसके किसी सहायक को उसके बीच आना होगा। इस प्रकार प्रस्तावित श्रेणी विभाजन वर्ग संघर्ष को जो आज कल बढ़ रहा है, बढ़ानेवाला ही है।

दूसरी बात इस श्रेणी विभाजन में दैनिक पत्रों का ही विशेष ध्यान रखा गया है साप्ताहिक और मासिक पत्रों का नहीं। आजकल हमारे प्रान्त में जो साप्ताहिक या मासिक पत्र प्रकाशित होते रहते हैं वे प्रायः किसी पुस्तक प्रकाशन संस्था अथवा दैनिक पत्र कार्यालय के "बाइप्राडक्ट" हैं। उनके संचालन में संचालकों को किसी प्रकार की अतिरिक्त पूंजी नहीं लगानी पड़ती और न वे उससे किसी प्रकार की आय की आशा करते हैं। ग्राहक संस्था की वृद्धि की ओर भी उनका तटस्थ भाव रहता है। ऐसे पत्रों की प्रस्तावित वर्गीकरण के अनुसार श्रेणी केवल "ग" ही हो सकती है, चाहे उसकी ख्याति, मर्यादा कितनी अधिक क्यों न हो और सम्पादक की योग्यता चाहे कितनी ऊंची क्यों न हो।

अतः मेरी सम्मति है कि प्रत्येक पत्र का वर्गीकरण, वितरण पूंजी और आय के साथ साथ उसकी ख्याति, मर्यादा, स्वरूप को देखकर ही किया जा सकता है और वह दो पत्रों का एक समान न होगा। अतः मेरा सुझाव है कि कर्मचारियों के आधारभूत वेतन का निर्धारण पत्र संचालक और कर्मचारी स्वयं अपने अपने पत्र के लिये मिलकर निश्चित करें। इस निश्चय की व्यवस्था उस ढंग पर की जा सकती है जिस प्रकार अमेरिका के पत्र-संचालक वहां के न्यूज पेपरमेन गिल्ड के साथ किया करते हैं। हमारे प्रान्त में उस गिल्ड का काम प्रान्तीय पत्रकार संघ स्वयं अथवा अपनी स्थानीय शाखा के मार्फत कर सकते हैं। इसके लिये केवल अपेक्षित यह होगा कि सरकार संघ को मान्यता दे और नियम कर दे कि बिना संघ के साथ आधारभूत वेतन संबंधी समझौता किये किसी नये पत्र को निकालने की इजाजत नहीं दी जायगी। और जो पत्र निकल रहे हैं वे यदि किसी निर्धारित समय के भीतर संघ से समझौता नहीं कर लेते तो उनकी पत्र निकालने की आज्ञा वापस ले ली जायगी। इस प्रकार प्रत्येक पत्र संचालक को अपनी स्थिति के अनुकूल पत्र कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक समझौता करने का अवसर मिलेगा और सब कर्मचारी भी सन्तुष्ट रहेंगे। जिस प्रकार रिपोर्ट में डिक्लेरेशन के समय पूंजी बताने के लिये कहा गया है उसी प्रकार इस प्रकार के समझौते को दाखिल करने को भी कहा जा सकता है। यह व्यवस्था कम से कम सरकारी हस्तक्षेप के साथ कर्मचारियों की वेतन संबंधी कठिनाइयों को ही नहीं बल्कि अन्य बातों को भी दूर करने में सहायक हो सकती है।

(२) अध्याय ५ में कार्यालय की छुट्टियों के संबंध में समिति ने जो यह सिफारिश की है कि सरकार अखबारों को पर्वों और त्यौहारों के या उत्सवों के दिन अपना कार्यालय और अखबार बन्द रखने को बाध्य करे, उसका समर्थन करते हुए भी जिस रूप में ये छुट्टियां देने का सुझाव रखा गया है, उससे मेरा मतभेद है।

मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि जितनी सरकारी छुट्टियां होती हैं उतनी पत्र कार्यालयों में भी हों, पर साथ ही अनिवार्य और वैकल्पिक छुट्टियों की तालिका प्रस्तुत कर इस बात के लिये बाध्य करने का मैं विरोधी हूँ कि अमुक छुटी अनिवार्य रूप से ही हो। इससे पत्र संचालक और कर्मचारियों, दोनों को असुविधा हो सकती है। जो तालिका प्रस्तुत की गयी है उसमें कितनी ही छुट्टियां ऐसी हैं जो आज कितने ही कार्यालयों में नहीं होती, उनके स्थान पर वहां ऐसी दूसरी छुट्टियाँ होती हैं जो स्थान और कर्मचारियों की दृष्टि से आवश्यक या अनिवार्य हैं। इसके लिये अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अब होगा यह कि इस अनिवार्य बन्धन के कारण कर्मचारियों को वे छुट्टियां नहीं मिल पायेंगी।

इसलिये मेरा सुझाव है कि पत्र संचालकों को सरकारी घोषित छुट्टियों को अपने कार्यालय की छुट्टियां घोषित करने को बाध्य तो किया जाय पर साथ ही उन्हे इस बात की सुविधा दी जाय कि वे अपने कर्मचारियों की सलाह से अनिवार्य और वैकल्पिक छुट्टियों का निश्चय करें। उन्हें यह भी सुविधा रहे कि किसी सरकारी घोषित छुट्टी के स्थान पर स्थानीय आवश्यक छुट्टी कर्मचारियों की सलाह से कर सकें। इस परिवर्तन के साथ वैकल्पिक छुट्टियों के संबंध में को गयी समिति की सिफारिशों का समर्थन करता हूँ।

(३) तीसरी बात जिसकी ओर समिति ने पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया है, वह है छुट्टियों के संबंध में साप्ताहिक पत्रों की समस्या। साप्ताहिक विश्राम के अतिरिक्त यदि कभी कोई छुट्टी कार्यालय में हुई तो उस दिन साप्ताहिक पत्र के सम्पादकीय विभाग को नियमानुसार छुट्टी रहती है, पर उस छुट्टी के कारण बंधा बंधाया क्रम इस प्रकार बिगड़ जाता है कि अगले दिनों, सप्ताह के निश्चित तिथि पर पत्र निकाल देने के लिये अतिरिक्त समय में काम करना पड़ता है। इस अतिरिक्त समय के लिये उन्हें किसी प्रकार का ओवरटाइम या अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलता। इस प्रकार उसके लिये छुट्टी मिलना न मिलना बराबर हो जाता है। इस क्षति की पूर्ति के लिये कुछ पत्रों में ऐसा नियम रहा है कि होली और दशहरा या दीवाली को पत्र बन्द रहे और सम्पादकीय विभाग को उस पूरे सप्ताह विश्राम करने की स्वतंत्रता हो। इस प्रकार अतिरिक्त कार्य के एवज में वर्ष में आठ दिन (दो सप्ताह के बीच साप्ताहिक तथा पर्व को दो दो दिन की छुट्टी काट कर) की अतिरिक्त छुट्टी मिल जाय किन्तु अधिकांश पत्रों में ऐसा नियम नहीं है और जिन पत्रों में यह परम्परा रही है उन्होंने भी अब या तोड़ दिया है या अन्य पत्रों में इस प्रकार की छुट्टी न देखकर छुट्टी तोड़ देने का विचार रखते हैं।

अतः मेरी सम्मति है कि साप्ताहिक पत्रों के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाय कि वे वर्ष में दो बार अपने अंक निश्चित रूप से बन्द रखें और उन दिनों सम्पादकीय बिभाग को पूर्ण विश्राम का अधिकार हो।

प्रस्तुत रिपोर्ट में समाचार पत्र व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, पर यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि यह हस्तक्षेप किस प्रकार का हो। यद्यपि पूरी रिपोर्ट पढ़ने से यह प्रतिध्वनित होता है कि समिति की

राय है कि सरकार पत्रकारों के हित के लिये कोई कानून बनाये। कानून का स्वरूप क्या हो, इस संबंध में समिति मौन है। अतः स्पष्ट रूप में मेरा सुझाव है कि सरकार कानून बनाकर पत्रकारों की हित की रक्षा करे। इस प्रकार के कानून का सीधा स्वरूप यह हो कि—

(१) प्रत्येक पत्र संचालक को पत्र निकालने के समय प्रेस ऐक्ट के अनुसार डेक्लेरेशन के साथ, अथवा यदि पत्र निकल रहा हो तो कानून बनाने के तीन मास के भीतर, इस कानून के अन्तर्गत डिक्लेरेशन दाखिल करना पड़े कि जिसमें वह

(१) अपनी पूंजी घोषित करे (अध्याय ९ में की गयी सिफारिश)

(२) वह यह घोषित करे कि उसने वेतन आदि के संबंध में पत्रकार संघ से समझौता कर लिया है। (मेरा सुझाव)

(३) वह इस कानून के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को मानने को तैयार है। बिना इस प्रकार के डिक्लेरेशन के पत्र निकालने की आज्ञा न दी जाय।

(२) इस कानून में सरकार को पत्रकारों के हित के लिये समय समय पर नियम बनाने का अधिकार दिया जाय। इस अधिकार से सरकार ऐसे नियम बनाये जिससे समिति की बताई सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मेरी दृष्टि में समिति की सिफारिशों को कानून की अपेक्षा नियम का स्वरूप देना अधिक सुविधाजनक होगा। उससे समय समय पर बिना कानून में संशोधन किये ही पत्रकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति नियम बनाकर की जा सकेगी।

(३) इस कानून के अन्तर्गत पत्रकार संघ को मान्यता दी जाय। वह मान्यता ट्रेड यूनियन के समान तो हो, पर इस व्यवसाय की मर्यादा के अनुकूल उसका स्वरूप सम्मानजनक हो।

(४) इस कानून से संचालक पत्रकार संघ से समझौता करने पर बाध्य हो।

इस प्रकार केवल तीन चार धाराओं के छोटे से कानून से ही उन सारी बातों की पूर्ति हो जायेगी जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गयी है।

परमेश्वरीलाल गुप्त
२८।३।४९

(२)

मेरी धारणा है कि समिति की रिपोर्ट अभी पूर्ण नहीं हुई है। इसका एक कारण तो यह है कि उसे समाचार पत्र संचालकों का सहयोग नहीं के बराबर ही प्राप्त हुआ। न तो उन्होंने समिति की प्रश्नावली के उत्तर भेजने में ही रुचि दिखलाई और न मौखिक सा[illegible] के प्रति ही कोई उत्साह दिखाया। समिति में उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनमें से

अधिकांश ने समिति के कार्यों के प्रति निरुत्साह दिखाया और कुछ दो एक बैठकों के अतिरिक्त उसमें उपस्थित तक नहीं हुए तथा एक प्रख्यात पत्र संचालक महोदय तो एक भी बैठक में न आये।

दूसरी बात साक्षियों के संबंध में है। साक्षियों के चुनाव में उदारता से काम नहीं लिया गया और अनेक वर्ग यथा कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर, संवाददाता, आदि छूट गये हैं। मेरे विचार से समिति का साक्ष्य संग्रह कार्य अधूरा रहा है, और इसी कारण पत्रकार व्यवसाय के विविध अंगों पर हम भलीभांति विचार नहीं कर पाये हैं।

अब रही रिपोर्ट की बात। उसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, षष्टम्, सप्तम् और नवम अध्यायों से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। परन्तु चतुर्थ, पंचम, अष्टम और दशम अध्यायों में मेरा किंचित् मतभेद है।

चतुर्थ अध्याय में समिति ने पत्रकारों के आधारभूत न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जाने की जो सिफारिशें की हैं उनकी दर से मैं सहमत हूँ, परन्तु समिति ने उन दरों में महंगाई का भत्ता भी शामिल कर दिया है। मेरी सम्मति से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दरें जीवन निर्वाह के वर्तमान स्तर को दृष्टिगत रखकर ही निर्धारित की गयी है और यदि इनमें महंगाई का भत्ता शामिल समझा जायगा तो निर्वाह स्तर के घटने बढ़ने के साथ व्यर्थ के टंटे पैदा होंगे। अतएव इस अध्याय में उल्लिखित दरों को मूलभूत न्यूनतम प्रारंभिक वेतन माना जाय।

इसके अतिरिक्त कार्टूनिस्ट और प्रेस फोटोग्राफर के लिये समिति ने कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरी सम्मति में कार्टूनिस्ट का कार्य एक उप सम्पादक से कठिन है; क्योंकि कार्टूनिस्ट को प्रथम श्रेणी की संवाद बुद्धि (News Sense) के अतिरिक्त विलक्षण चित्रकला का भी ज्ञाता होना चाहिये। उसका कार्य भी अत्यन्त गरिमायुक्त और महत्वपूर्ण होता है। सम्पादक के अनेक लेखों और टिप्पणियां के स्थान पर कार्टूनिस्ट का एक चित्र ही व्यक्ति और समाज को प्रभावित करने को यथेष्ट होता है। अतएव उसका वेतन सहायक सम्पादक के समकक्ष होना ही चाहिये।

अध्याय ५ में वर्णित सभी सिफारिशों से मैं सहमत हूँ। परन्तु उसमें मैं इतना बढ़ा देना चाहता हूँ कि महिला पत्रकारों को--क्योंकि अब सम्पादकीय कार्यालयों में महिलाओं का प्रवेश प्रारम्भ हो गया है--इस अध्याय में वर्णित सुविधाओं के अतिरिक्त विवाह के अवसर पर कम से कम एक सप्ताह की सवेतन और गर्भिणी होने पर प्रसव काल से एक मास पूर्व से एक मास पश्चात् तक की सवेतन और दूसरे मास की अर्द्ध-वेतन पर छुट्टी मिलनी चाहिये।

आठवां अध्याय संवाददाताओं के संबंध में है। इस अध्याय में संवाददाताओं के लिये नगरों का जैसा वर्गीकरण किया गया है, उसमें मैं प्रथम श्रेणी के नगरों में से लखनऊ को निकाल देना चाहता हूँ और बरेली, झांसी, नैनीताल, तथा गोरखपुर का नाम प्रथम श्रेणी में जोड़ देना चाहता हूँ। लखनऊ प्रान्त की राजधानी है। अतएव वहां के पत्र संवाददाताओं का स्तर मुफस्सिल संवाददाताओं से ऊंचा होना चाहिये; क्योंकि शासन के सर्वोच्च अधिकारियों से उनका सम्पर्क रहता है। मेरा मत है कि र[illegible]नी

अर्थात् लखनऊ में प्रत्येक संवाददाता का सरकार के सूचना विभाग द्वारा प्रमाणित तथा अधिकृत किया जाना अनिवार्य होना चाहिये और यह नियम बना दिया जाय कि लखनऊ में केवल वे ही संवाददाता अधिकृत हों जो विशुद्ध पत्रकार हों, अर्थात् कोई अन्य व्यवसाय न करते हों तथा जिनकी आय अपने पत्रों से कम से कम १५० रुपये मासिक हो। वह इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि विभिन्न पेशे के बहुतेरे व्यक्ति फर्जी समाचार पत्रों के संवाददाता बनकर पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाओं तथा इस पेशे की प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाकर परमिटबाजी तथा अन्य प्रकार से अपना लाभ करते हैं, जिससे इस प्रतिष्ठित व्यवसाय की मर्यादा को क्षति पहुँचती है।

दसवें अध्याय में सिफारिशों का सारांश है और उसमें उपरोक्त मतान्तर के प्रकाश में संशोधन करना चाहिये।

विजयकुमार मिश्र
३१।३।४९

(३)

समाचार पत्र उद्योग जांच समिति की रिपोर्ट से मेरा बुनियादी मतभेद यह है कि मैं देशहित तथा पत्रकारों के हित के लिये भारतीय पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति में पत्रकारों के हित के लिये कोई कानून नहीं चाहता। यों तो कानून बाह्योपचार रोकथाम के लिये होते हैं ऐसे मामलों में। असली बात है नैतिकता और योग्यता की। ट्रेड यूनियन के ढंग पर यदि पत्रकारों का संगठन हुआ तो वे अपनी गर्दन पूंजीपतियों और दोहन और शोषण करने वाले लोगों के हाथों में दे देंगे। साधारण और संघर्ष से जीवन बिताने वाले पत्रकारों की दुर्दशा हो जायगी। संवाददाताओं के स्थान में और कार्यालयों में गुमाश्तों और मुनीमों का बोलबाला होगा। रिपोर्ट में पत्रकारों की योग्यता पर विशेष ध्यान नहीं रखा गया। आखिर पत्रकारों में इतना दम क्यों नहीं कि उनकी बात का, उनके लेखों का, वही मान हो जो विदेश के पत्रकारों का होता है। कितने हिन्दी के पत्रकार हैं जो अधिकार पूर्वक अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अपने देश की खेती, किसानों की समस्या, पशुपालन, रचनात्मक कार्य तथा सामजिक समस्याओं पर अधिकारपूर्वक लिख सकते हैं। इस समय पत्रकरों की दशा को कानून से सुधारना टाइफाइड के रोगी को दौड़ाने के समान है। कानून बनवा कर अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास जाल में फंसे पक्षी का फंदों को और दृढ़ करने के प्रयास के समान है—

"अपनी मिनकारों से फंदा कस रहे हैं दाम का
तायरों पर सह है सैयाद के इकबाल का।"

इंगलैंड और अमेरिका में पत्रकारों ने अपने लिये कोई कानून इसलिये इतनी जल्दी नहीं बनवाया कि एक तो वहां के समाचार पत्र उद्योग ने बड़े उद्योगों का रूप धारण नहीं किया था और दूसरे ट्रेड यूनियन भावना का स्पष्टीकरण व्यावहारिक रूप से पत्रकारों में संभव नहीं था। हिन्दी में पत्रकारों का संगठन अभी मेढकों के तौलने के समा[illegible] ।

इसके मानी यह नहीं कि मै वेतन वृद्धि के विरुद्ध हूँ और न यह बात इसलिये लिखता हूं कि मुझे हिन्दी पत्रों के प्रधान सम्पादक बनने के लिये १२०० रुपये (बारह सौ रुपये) तक मासिक वेतन लोग देने को तैयार हैं। प्रश्न व्यक्ति का नहीं है। योग्य आदमी की पूछ होगी, पर अभी कानून बनने से साधारण पत्रकार की दुर्दशा हो जायगी; वह अपनापन खो बैठेगा।

अन्तिम बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार कानून बनने से साधारण समाचार पत्र खत्म हो जायेंगे और पूंजीपतियों के गुट विशेष में वे चले जायेंगे।

सहयोग समितियों से पत्रकार अपना बहुत भला कर सकते हैं।

श्रीराम शर्मा

३०।३।४९ विशाल भारत सम्पादक

(४)

यह नोट विरोधसूचक नहीं, बल्कि सुझाव देने के लिये है। मैं चाहता था कि कमेटी मुफस्सिल संवाददाताओं के संबंध में मेरे सुझाव जो मैंने उसके सामने रखे थे स्वीकार कर लेती। किन्तु कमेटी ऐसा नहीं कर सकी। संभवतः वह उन्हें स्वीकार करना अव्यावहारिक समझती थी। कमेटी के सदस्यों में से अनेक मेरे कुछ सुझावों से सहमत भी थे। फिर भी इस आशासे कि भविष्य में इन सुझावों के आधार पर शायद मुफस्सिल संवाददाताओं की वर्तमान निर्धनता को दूर करने का कुछ प्रयास किया जा सके, मैं इन सुझावों को कमेटी की रिपोर्ट के साथ जोड़ देना चाहता हूं।

कमेटी ने ८वें अध्याय के प्रारंभ में मुफस्सिल संवाददाताओं की आर्थिक स्थिति का जो चित्रण किया है वह सर्वथा सत्य है। किन्तु कमेटी इससे आगे कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसके सामने व्यावहारिक दिक्कतें थीं। किन्तु मेरा नम्र निवेदन है कि कमेटी को साहस के साथ सरकार और पत्र संचालकों के सामने इन संवाददाताओं के कार्य को सम्मानजनक बनाने के लिये अपने सुझाव दे ही देने चाहिये थे। अपनी स्पष्ट सम्मति प्रकट कर देनी चाहिये थी, जैसा उसने अन्य श्रेणी के पत्रकारों के संबंध में किया है, यद्यपि उन सुझावों की व्यावहारिकता के संबंध में भी कमेटी के कुछ सदस्यों को सन्देह हुए थे।

मुफस्सिल संवाददाता पत्रों की रीढ़ होते हैं और यदि वह रीढ़ मजबूत न हुई तो पत्रों का स्तर कदापि ऊंचा नहीं उठ सकता। आजकल मुफस्सिल संवाददाता जिस स्थिति में हैं उससे प्रान्त के शिक्षित नवयुवकों को इस पेशे में आने की प्रेरणा नहीं मिल सकती इस दृष्टि से देखने से भी मुझे लगता है कि कमेटी की सिफारिशें अपर्याप्त हैं। यदि दूसरे पेशों में हमारे नवयुवकों को अच्छा वेतन, कम काम, भविष्य में तरक्की की सुविधा, बोनस, बीमा, पेन्शन आदि की सुविधायें मिल सकती हैं तो इस पेशे में आने को सोच ही कौन सकता है? तीसरे दर्जे के आदमियों को लेकर समाचार पत्र व्यवसाय उन्नति नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर मैंने कुछ सुझाव कमेटी के सामने रखे थे, किन्तु कमेटी सहमत न हुई। अब मैं पुनः सुझावों को नोट में दे रह

(१) बड़े शहरों की प्रथम श्रेणी में पांच निम्न शहर और भी जोड़ दिये जायं--मेरठ, बरेली, गोरखपुर, तथा झांसी। ये नगर अपना महत्व रखते हैं, न्यूज वैल्यू की दृष्टि से भी इनका महत्व है। राजनीति के प्रमुख केन्द्र के अलावा यह रेलवे तथा सेना आदि के भी केन्द्र हैं। इन चारों नगरों में समाचार पत्रों ने अपने विशेष संवाददाता भी नियुक्त किये हैं। गोरखपुर में तो "लीडर" ने दफ्तर भी खोल दिया है। यह संभव है कि इन चार शहरों की उतनी न्यूज वैल्यू न हो जितनी पांच बड़े शहरों की है, किन्तु हमें देखना यह है कि इन केन्द्रों में संवाददाताओं को अपने कार्य को सम्पन्न करने के लिये कितना परिश्रम करना पड़ता है। उपरोक्त पांच बड़े शहरों में तो समाचार पत्रों ने अपने स्टाफ रिपोर्टर्स रखे हैं और उन्हें दफ्तर, सहायक, चपरासी आदि की भी सुविधायें दी हैं। किन्तु इन नगरों में तो संवाददाताओं को अकेले ही सब काम करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इन चार शहरों के संवाददाताओं को इनके परिश्रम के अनुपात से ही पारिश्रमिक मिलना चाहिये। इन चार शहरों की पांच बड़े शहरों से तुलना करने से भ्रम पैदा होने की संभावना है। उदाहरणार्थ, लखनऊ का जो महत्व है वह बनारस को नहीं, जो इलाहाबाद का है वह आगरे का नहीं, फिर भी बनारस और आगरा लखनऊ और इलाहाबाद के साथ जोड़ दिये गये हैं। व्यावहारिक रूप में गोरखपुर अथवा बरेली आगरा से अधिक न्यूज वैल्यू रखते हैं। मैं अपने कथन की पुष्टि में दैनिक समाचार पत्रों को पेश कर सकता हूं जिनमें आगरे से कहीं अधिक इन चार शहरों की महत्वपूर्ण खबरें छपती हैं।

(२) रिटेनर पारिश्रमिक का फिक्सेशन (निर्धारण) निम्न लिखित होना चाहिये

	क श्रेणी	ख श्रेणी	ग श्रेणी
बड़े शहर	६० रु०	४० रु०	२० रु०
द्वितीय श्रेणी के शहर	४० रु०	३० रु०	२० रु०
तृतीय श्रेणी के शहर	२५ रु०	२० रु०	१५ रु०

इसके अतिरिक्त सभी श्रेणियों के संवाददाताओं को प्रति हजार शब्द १० रु० एक सा पारिश्रमिक मिलना चाहिये।

(३) समस्त मुफस्सिल संवाददाताओं को बोनस मिलने की भी व्यवस्था होनी चाहिये, यह प्रथा देश के कतिपय समाचार पत्रों में है।

(४) कमेटी ने पांच बड़े शहरों के संवाददाताओं के लिये प्राविडेंट फंड, बोनस, बीमा आदि की सुविधायें की सिफारिश की है। उसके ये सुझाव प्रशंसनीय हैं। इन सिफारिशों को उपस्थित करते समय कमेटी के सामने प्रश्न था कि पत्रकार की वृद्धावस्था में उसके कुटुम्ब के लोगों और उसके लिये क्या प्रबन्ध हो सकता है। अथवा यदि पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के लोगों का क्या होगा? इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर उसने उक्त सिफारिशें की हैं, किन्तु मुफस्सिल संवाददाताओं के संबंध में और खासकर उसके संबंध में जो अपनी जीविका के लिये केवल इसी पेशे [illegible] आश्रित हैं, कमेटी खामोश रही। मैंने इस संबंध [illegible] भी कमेटी का ध्यान आकर्षित [illegible] कोशिश की, किन्तु कमेटी मुझसे सहमत [illegible] हो सकी।

मेरा निवेदन है कि उक्त दोनों कारण, जिनसे प्रेरित होकर कमेटी ने अन्य पत्रकारों के प्राविडेंट फंड तथा बीमा आदि की सिफारिश की थी, फुल टाइम (पूरे समय के) मुफस्सिल संवाददाताओं पर भी लागू होते हैं। आकस्मिक दुर्घटना अथवा पंगु हो जाने का तो संवाददाता के पेशे में सदैव ही खतरा रहता है। इसलिये यह आवश्यक है कि समाचार पत्रों के संचालक अपनी जिम्मेदारी समझ कर इस दिशा में कोई कदम उठावें। इस संबंध में मेरे सुझाव निम्न लिखित हैं :—

(क) पूरे समय के समस्त मुफस्सिल संावाददाताओं को प्राविडेंट फंड की सुविधा प्राप्त हो। यह सुविधा उस संवाददाता को उस समय प्राप्त हो जब वह पत्र में एक वर्ष काम कर चुके। प्राविडेंट फंड में समाचार पत्र (यदि संवाददाता एक से अधिक पत्रों का प्रतिनिधित्व करता है) अपनी आर्थिक श्रेणी स्थिति के हिसाब से ही कन्ट्रि-ब्यूट करे (अपना हिस्सा दे)।

(ख) पूरे समय के समस्त मुफस्सिल संवाददाताओं को बीमे की सुविधा प्राप्त हो। यह सुविधा केवल उन्हीं संवाददाताओं पर ही लागू हो जो पत्र में कम से कम एक बर्ष काम कर चुके हों। इसमें भी प्रत्येक पत्र को (यदि संवाददाता एक से अधिक पत्र का प्रतिनिधित्व करता हो) अपनी आर्थिक श्रेणी के अनुपात से ही कन्ट्रिब्यूट करना (अपना हिस्सा देना) चाहिये।

(ग) यदि कोई मुफस्सिल संवाददाता पत्र की सेवा करते हुए पंगु हो जाय तो उसे ३ वर्ष का रिटेनर मुआवजे के रूप में मिलना चाहिये। यह सुविधा पार्ट टाइम (आंशिक समय) मुफस्सिल संवाददाताओं के लिये भी लागू होना चाहिये।

(घ) पत्र की सेवा करते हुए पूरे समय काम करने वाले मुफस्सिल संवाददाता के पंगु हो जाने पर उसके बीमे को चालू रखने की सुविधा समाचार पत्रों की ओर से होनी चाहिये।

(५) संवाद समितियों के संवाददाताओं के संबंध में मेरी सिफारिशें निम्न लिखित है—

प्रथम श्रेणी के नगरों में	२९० रुपया
द्वितीय श्रेणी के नगरों में	१५० रुपया
तृतीय श्रेणी के नगरों में	७५ रुपया

इसके अतिरिक्त १० रुपया प्रति हजार शब्द पारिश्रमिक होना चाहिये।

अन्त में कुछ सुझाव मुफस्सिल संवाददाताओं के पेशे में उन्नति करने के साधनों के संबंध में रखना चाहता हूँ। यदि संवाददाता को यह महसूस हुआ कि उसकी उन्नति और प्रगति के द्वार बन्द ही रहेंगे और वह जहां है वहां से आगे नहीं बढ़ सकता तो यह निराशा की भावना उसे कार्य को अधिक सुचारु रूप से करने के लिये प्रेरित नहीं कर सकती। समाचार पत्रों को पूरे समय के ऐसे संवाददाताओं के लिए ऐसी सुविधायें और साधन जुटाना चाहिये जिनसे यदि उनमें प्रतिभा और प्रेरणा शक्ति है तो वह संकुचित दायरे से निकल कर बड़े दायरे में जा सकें। आज भी मैं ऐसे प्रथम श्रेणी के संवाददाताओं को जानता हूँ जो [illegible] अपने जिलों में १०० रुपया, ७५ रुपया [illegible] सिक

पारिश्रमिक गत १५, २० वर्षों से पा रहे हैं। यदि इन्हें बड़े केन्द्रों में जाने की सुविधा मिले तो यह पत्रकार कला के लिये अधिक उपयोगी हो सकते हैं। इसलिये मैं इस दिशा में निम्न लिखित सुझाव रखता हूँ।

(क) पूरे समय के उन मुफस्सिल संवाददाताओं को जो तीन वर्ष से किसी पत्र अथवा पत्रों में काम कर रहे हों, समाचार पत्रों अथवा संवाद समितियों के मुख्य केन्द्रों में व्यावहारिक शिक्षा मिलने की सुविधा होनी चाहिये।

(ख) योग्य संवाददाताओं को शिक्षा के बाद एक निश्चित अनुपात में पत्र अथवा संवाद समितियों के सम्पादकीय विभाग में अथवा स्टाफ रिपोर्टर के रूप में कार्य करने की सुविधा होनी चाहिये।

उपरोक्त ये सुझाव ऐसे हैं जिनकी सिफारिश सरकार पत्र संचालकों से कर सकती है और जिनका कार्यान्वित होना संचालकों की सद्कामनापर ही अधिकांश रूप से निर्भर है। किन्तु प्रान्त के प्रतिष्ठित पत्रकारों को निश्चय ही इस दिशा में कदम उठाना चाहिये।

३०।३।४९ कृष्णचन्द्र शर्मा

(५)

अध्याय ४ में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये, और विशेषतः पत्रकारों के लिये उनके आधारभूत वेतन की स्वीकृति उनके अनुभव के आधार पर होनी चाहिये। इसी लिये मेरी राय यह है कि प्रत्येक तीन साल के अनुभव पर एक तरक्की मिलनी चाहिये और कानून में यह नियम बनना चाहिये कि यदि कोई पत्रकार एक पत्र को छोड़कर दूसरे पत्र में जाता है तो उसके अनुभव काल का हिसाब रखा जाय और उसी के अनुसार उसको ऊंचा वेतन मिले और इस वृद्धि के लिये उसे सौदा न करना पड़े। यह नियम सभी श्रेणियों के पत्रों के वर्तमान कर्मचारियों पर लागू हों।

मैं इस बात से सहमत नहीं कि कोई वेतन दर नियत नहीं की जा सकती। मेरा सुझाव है कि 'क' श्रेणी के पत्रों में किसी भी दशा में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की १५ रुपया और उच्च श्रेणीके कर्मचारियोंकी २५ रुपये से कम वार्षिक वृद्धि न होनी चाहिये।

मेरा यह भी सुझाव है कि इस व्यवसाय में बहुत अधिक परिश्रम साध्य कार्य के लिये वेतन की दर ऐसी होनी चाहिये जिससे कर्मचारी को १५ वर्षों में ही उच्चतम वेतन प्राप्त होने लगें।

मेरा यह भी मत है कि 'क' श्रेणी के पत्रों में कम से कम १५ दिन की छुट्टी विश्राम और मनोरंजन के लिये मिलनी चाहिये और इसी सिलसिले में हुए रेल खर्च का भी कुछ भाग मालिकों द्वारा दिया जाना चाहिये।

इसी प्रकार विदेशी संवाददाता के उच्च स्तर के विशेष कार्य की शिक्षा ग्रहण करने के लिये ६ महीने के पूरे वेतन पर "शिक्षार्थ छुट्टी" देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारे देश में पत्रकारों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता की ओर अत्यल्प ध्यान [illegible]या गया है। इसका विचार किये बिना नियुक्तियाँ [illegible] किसी व्यक्ति का [illegible] इस ओर है या नहीं। इस कमी की पूर्ति [illegible] समाचार पत्र

कार्यालयों की सहायता से की जा सकती है। अतः हर एक पत्रकार को समय समय पर अन्य स्थानों और पत्रों के कार्यालयोंमें तथा विदेशों को भेजा जाय जिससे उसका मानसिक विकास हो और उसके अनुभव की वृद्धि हो।

३०।३।४९ सत्येन्द्रनाथ सान्याल

P.S.U.P. P. O. No. 8[illegible] 27-9-49. 500 Bks. B. B. Press, Banaras.